लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५१, १९६१ / १८८२ (शक)

[२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१ / ९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation 18.5.90 Date
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

तेरहवां सत्र, १९६१ / १८८२ (शक)

(खण्ड ५१ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५१—अंक ११ से २०—२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१/९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक ११—मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१/९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७९, ३८१ से ३८३ और ४०३ . . . ९९७—१०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ से ३७२, ३८०, ३८४ से ४०२ और ४०४ से ४२५ . . . १०१८—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४५ से ५५७, ५५९ से ६१२ और ६१४ से ६८३ . . . १०६७—११३१

स्थगन प्रस्ताव—

कराची में भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण . . . ११३१—३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११३४

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ११३६—३७

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ते की गोदियों में खुरचने और रंग करने वालों की हड़ताल . . . ११३७

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ११३८

विधेयक प्रस्तुत किये गये— . . . ११३८—३९

१. रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक १९६१

२. विनियोग विधेयक, १९६१

३. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . ११३९—४१

श्री तंगामणि . . . ११३९—४०

श्री विमल घोष . . . ११४०—४१

सामान्य आय व्ययक (१९६१—६२)—उपस्थापित . . . ११४१—६६

वित्त विधेयक, १९६१—पुरःस्थापित . . . ११६६

निक संक्षेपिका . . . ११६७—७८

विषय सूची

	पृष्ठ
अंक १२—बुधवार, १ मार्च, १९६१/१० फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४३० और ४३२ से ४३५ . .	११७९—१२०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ और ४३६ से ४७२ . . .	१२०१—१९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८४ से ७०६, ७०८ से ७७७ और ७७९ से ७९८	१२२०—७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१२७३
राज्य सभा से सन्देश	१२७३
दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	१२७४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय . . .	१२७४—७६
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	१२७६
तारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर में शुद्धि . .	१२७६—७७
विनियोग विधेयक १९६१—पारित किया गया . . .	१२७७
आय व्ययक (रेलवे)—सामान्य चर्चा	१२७७—१३०२
आदिवासियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा . . .	१३०२—०७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—	
सत्तरवां प्रतिवेदन	१३०७
दैनिक संक्षेपिका	१३०८—१५
अंक १३—गुरुवार, २ मार्च, १९६१/११ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ से ४८३	१३१७—४०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१३४०—४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ और ४८४ से ५१५ . . .	१३४३—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९९ से ८९१	१३५९—९९
सदन में शिष्टाचार का पालन	१३९९—१४००
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आसाम में रहने वाले बंगालियों को मतदाता सूचियों में दर्ज करना	१४०१—०२

विषय सूची पृष्ठ

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा .	१४०२–३३
दैनिक संक्षेपिका	१४३४–४०

अंक १४--शनिवार, ४ मार्च, १९६१/१३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ से ५१९, ५२१, ५२२, ५२४, ५४३ और ५२५	१४४१–६४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या . . .	१४६४–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२०, ५२३, ५२६ से ५४२ और ५४४ से ५६१	१४६६–८५
अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९३७, ९३९ से ९६२ और ९६४ से ९७३	१४८५–१५२२
स्थगन प्रस्ताव--	
उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश .	१५२२–२४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५२४–२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पटसन के मूल्यों में वृद्धि	१५२५
सरकारी कार्य के लिये समय नियत करना .	१५२६
सभा का कार्य	१५२७
रेलवे आय-व्ययक --सामान्य चर्चा	१५२७–४१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--	
सतत्तरवां प्रतवेदन . . .	१५४१
धार्मिक पूजा स्थानों के राजनैतिक प्रचार के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध संबंधी--संकल्प . .	१५४१–५४
सरकारी कर्मचारियों की कार्मिक संघ की कार्यवाहियों संबंधी संकल्प .	१५५४–५९
दैनिक संक्षेपिका .	१५६०–६६

अंक १५--सोमवार, ६ मार्च, १९६१/१५ फाल्गुन १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ५६८, ५७०, ५७१, ५७४, ५७६ से ५८० और ५८२ से ५८७	१५६७–९५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५	१५९५–१६००

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९, ५७२, ५७३, ५७५, ५८१ और ५८८ से ६०४ — १६०१—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७४ से ११०६ — १६१२—७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १६७६–७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कांगों के लिये भारतीय सैनिक — १६७७—७९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उड़ीसा) १९६०–६१ — १६७९

राज्य सभा से सन्देश — १६७९

समिति के लिये निर्वाचन—

दिल्ली विकास प्राधिकार की परामर्श परिषद — १६७९

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १६८०–१७०१

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव — १७०१–१७

खंड २ से ४ तथा १ . — १७१७

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१७

दैनिक समवाय (संशोधन) विधेयक . . १७१७–२३

विचार करने का प्रस्ताव १७१७–२२

खंड २ से ९ तथा १ . . १७२२

पारित करने का प्रस्ताव . , , . १७२२–२३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—रेलवे १९६०–६१ . . १७२३–२५

सभा का कार्य . . . १७२५–२६

दैनिक संक्षेपिका . . १७२७–३५

अंक १६—मंगलवार, ७ मार्च, १९६१/१६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

निधन संबंधी उल्लेख — १७३७–४३

दैनिक संक्षेपिका — १७४४

अंक १७—बुधवार, ८ मार्च, १९९६१/१७ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ से ६६२, ६६४ से ६६६, ६६८ से ६७२, ६७४, ६७५, ६७८ और ६७९ — १७४५–६९

विषय सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६४६, ६५१ से ६५८, ६६३, ६६७, ६७३, ६७६, ६७७ और ६८० से ६६० . . . . १७७०-१८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०७ से १२१८ और १२२० से १३०१ . १८०४-८३

स्थगन प्रस्ताव

सिमलाबहल और बद्रचक कोयला खानों में हुई दुर्घटनायें . १८८३-८६

पंडित गोविन्द बल्लभ के निधन पर प्रधान मंत्री का सन्देश . १८८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति---

अठत्तरवां प्रतिवेदन . . . १८८८

पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर आक्रमण के संबंध में वक्तव्य . . १८८८

रेलवे दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य १८८८-८६

औषधीय तथा प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक---पुरस्थापित १८८६

सभा का कार्य १८८६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६६०-६१ . . . १८६०-६६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा संबंधी संकल्प . . १८६६-१६०४

दैनिक संक्षेपिका . १६०५-१६

अंक १८---गुरुवार, ६ मार्च, १६६१/१८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ६६२, ६६४ से ७००, ७०४, ७०६, ७०६ और ७११ १६१७-४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ६६१, ६६३, ७०१ से ७०३, ७०५, ७२० और ७१२ से ७२८ . . . १६४३-५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०२ से १३६६ . . . १६५५-६४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १६६४-६५

आंध्र प्रदेश में गुड़ के भाव में गिरावट के बारे में वक्तव्य . . १६६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १६६५

राज्य सभा से सन्देश १६६५

विनियोग (रेलवे) विधेयक---पुरस्थापित १६६६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा---संबंधी संकल्प . . . १६६६-२००६

आतिशबाजी के सामान के कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . . १६६६

विषय सूची | पृष्ठ

उड़ीसा के बारे में अनुदानो की अनुपूरक मांगें . . . २००७—२२

अनुदानों की मांग (रेलवे) १९६१–६२ . . . २०२३—६०

दैनिक संक्षेपिका . . . २०६१—६७

अंक १९—शुक्रवार, १० मार्च, १९६१/१९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ से ७३७ . . . . २०६९—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ से ७६५ और ६५० . . . २०९०—२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४०० से १४९३ . . . २१०२—४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

रेलगाड़ी से गिर जाने के कारण मृत्यु २१४१

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के अनुपूरक प्रश्नों के बारे में . . २१४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

घागर नदी में बाढ़ . . . २१४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २१४३—४५

सभा का कार्य २१४५

उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरस्थापन स्थगित . . . २१४५–४६

विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६१—पारित . . . २१४७

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२ . . . . २१४७—७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठत्तरवां प्रतिवेदन २१७२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित—

(१) श्री नारायणन् कुट्टि मेनन का अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, १९६१ . . . २१७२

(२) श्री केशव का भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा ४ का संशोधन) २१७३

(३) श्री अरविन्द घोषाल का राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक, १९६१ श्री अरविन्द घोषाल का ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक २१७३

प्रस्ताव करने का विचार (अस्वीकृत) . . २१७३—८५

कार्य मंत्रणा समिति—

बासठवां प्रतिवेदन २१८६

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा (नये अध्याय ५क का रखा जाना) . . . २१८६

विचार करने का प्रस्ताव २१८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . २१८७—९४

अंक २०—सोमवार, १३ मार्च, १९६१/२२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६, ७७८, ७६७ से ७६९, ७७३ से ७७७, ७७९, ७८३ से ७८५, ७८७ और ७९२ . . . २१९५—२२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ७७२, ७८० से ७८२, ७८६, ७८८ से ७९१ और ७९३ से ८०३ . . . . . २२२०—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १५४०, १५४२ से १५५६, १५५८ और १५५९ . २२३०—६०

स्थगन प्रस्ताव—

१. चलती रेलगाड़ी से गिरने के कारण श्री के० रामाराव की मृत्यु . २२६०—६२

२. रुद्रसागर में कथित दुर्घटना . . २२६२–६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अदीस अबाबा में रहने वाले भारतीय नागरिकों की शिकायतें . २२६३–६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२६५

प्राक्कलन समिति—

एक सौ आठवां प्रतिवेदन . . . २२६५

लोक लेखा समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . २२६६

समिति के लिये निर्वाचन—

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति . . . २२६६

उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित . २२६६–६७

कार्य मंत्रणा समिति—

बासठवां प्रतिवेदन २२६७

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२ . . . . २२६७—२३२२

विषय	पृष्ठ
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित . . .	२३२२
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३२२—२४
दैनिक संक्षेपिका	२३२५—३०

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LSIII—2292(Ai) LS—15-4-61—125

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ६ मार्च, १९६१
१८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली राज्य में परिवार नियोजन

+
*६९२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन द्वारा परिवार नियोजन सम्बन्धी जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा था उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): अब तक दिल्ली प्रशासन ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन पहाड़गंज में एक परिवार नियोजन क्लिनिक खोला है । शेष तीन परिवार नियोजन-क्लिनिक १९६१-६२ में नये औद्योगिक क्षेत्र, सब्जी मंडी और जामा मस्जिद में खुलने की आशा है ।

श्री भक्त दर्शन: मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक इस सम्बन्ध में जो प्रयत्न किये गये हैं उनका क्या परिणाम निकला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली की आबादी तो बढ़ती ही चली जा रही है ?

श्री करमरकर : परिणाम यह निकला है कि इस क्लिनिक में जिन आदमियों को कंट्रासेप्टिव्ज इश्यू हुए हैं उनकी संख्या ८६ है । क्लिनिक को अटेंड करने वालों की संख्या १९८ है, जिनको घर पर उपदेश दिया गया है उनकी संख्या १०० है, जिन लोगों को क्लिनिक में उपदेश दिया गया उनकी संख्या ११३ है और स्टेरिलाइजेशन कुल एक का ही हुआ ।

2262(Ai)LSD—1.

श्री भक्त दर्शन : दिल्ली की जनसंख्या और यहां की समस्याओं को देखते हुए जो स्कीम बनाई गई है वह कब तक पूरी तरह से अमल में आ जायेगी ?

श्री करमरकर : तब तक अमल में नहीं आयेगी जब तक सरकार से और लोगों की तरफ से काफी प्रयत्न नहीं होगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि कलकत्ते के इन्स्टिट्यूट में जो फैमिली प्लैनिंग की गोलियों का आविष्कार किया गया था और जिनका प्रयोग किया जा रहा था, क्या उनका प्रयोग दिल्ली में भी किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो उनसे कितना लाभ हो रहा है ?

श्री करमरकर : हम सोच रहे हैं और हमारा इरादा ज्यादा तादाद में इसका प्रयोग करने का है । कलकत्ते में जो प्रयोग हुआ उसका नतीजा चार वर्षों में यह निकला है कि इसमें हमको ५० परसेन्ट कामयाबी मिली है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के लिए परिवार नियोजन किस प्रकार होगा और क्या सरकार का विचार प्रत्येक घर में परिवार नियोजन का प्रचार करने का है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां । हमारा विचार प्रत्येक घर में परिवार नियोजन कराने का है परन्तु जब तक जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक ऐसा होना संभव नहीं है ।

खाद्यान्नों का आयात

†*६६४. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :†
श्री कोडियान :
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नलदुर्गकर :
श्री गोरे : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में प्रत्येक महीने पब्लिक ला ४८० के अन्तर्गत खाद्यान्न का कितना आयात किया गया ;

(ख) क्या इससे पत्तनों में बहुत अधिक माल इकट्ठा हो गया है और भांडागार सम्बन्धी कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं ; और

(ग) वर्ष १६६१ के लिए आयात का क्या कार्यक्रम तय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) दिसम्बर, १६६० में लगभग ५७१ हजार मीट्रिक टन; जनवरी १६६१ में लगभग ३४६ हजार मीट्रिक टन; और फरवरी १६६१ में लगभग २६७ हजार मीट्रिक टन ।

(ख) जी नहीं । कोई महत्वपूर्ण कठिनाई नहीं हुई है ।

(ग) ऐसी जानकारी बताना लोक हित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमारी खाद्य स्थिति अच्छी होने के कारण क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों का आयात कम करने का है ?

†**श्री अ० म० थामस** : आन्तरिक उत्पादन, खाद्य स्थिति, मूल्यों के स्तर, भांडार स्थिति आदि इन सभी पर हम विचार करते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : खाद्यान्नों का भांडार करने के लिए उनका लदान करने में इस समय कितने वैगन लगे हुए हैं और क्या यह उचित समझा गया है कि इन वैगनों का उपयोग करके अन्य क्षेत्रों की इस कमी को दूर किया जाये ?

†**श्री अ० म० थामस** : ऐसा करना संभव नहीं है । सच यह है कि इस समय सरकार तथा व्यापार दोनों के लिए खाद्यान्नों के यातायात के लिए हमारे पास पर्याप्त वैगन नहीं हैं और हमने रेलवे मंत्रालय से और वैगन मांगे हैं । वैगनों की संख्या कम करना संभव नहीं है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारतीय जहाजों के द्वारा अमरीका से भारतीय बन्दरगाहों पर कितना खाद्यान्न लाया गया था ?

†**श्री अ० म० थामस** : पी एल-४८० के अधीन भारतीय नौवहन के द्वारा ३००० से ४००० टन खाद्यान्न पार्सलों के रूप में लाये जा सकते हैं । ऐसा इस कारण से नहीं किया गया कि हम भारतीय जहाजों के द्वारा लाना नहीं चाहते हैं परन्तु सच बात यह है कि भारत टन भार उपलब्ध नहीं हो सका है ।

†**श्री गोरे** : क्या सरकार को विश्वास है कि रेलवे और वैगन दे देगी, क्योंकि हमें तो इतना ही मालूम है कि कोयला तथा अन्य वस्तुओं के यातायात के लिए ही रेलवे वैगनों की मांग पूरी नहीं कर सकी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम रेलवे की कठिनाइयां जानते हैं । समस्त देश की आवश्यकता के आधार पर ही उन्हें निर्णय करना होता है । परन्तु फिर भी खाद्यान्नों को सर्वप्राथमिकता दी जाती है । उदाहरणतः हमारे यहां सन्तोषजनक आन्तरिक उत्पादन होने पर भी, रिजर्व भांडार पर्याप्त होने पर भी, व्यापारिक यातायात न होने के कारण कठिनाइयां आ ही जाती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या डाकखानों की अपना टैलीफोन रखो योजना के समान अपना वैगन रखो योजना भी बनाई गई है ?

†**श्री गोरे** : कोयले की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी । क्या उक्त समिति ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का भी कोई प्रतिनिधि था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मंत्री स्वयं उसमें हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इतना आयात होने पर भी बिहार में चने के भाव क्यों बढ़ गए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : जैसा मेरे साथी ने अभी बताया कि हमारे पास देश में पर्याप्त खाद्यान्न होने पर भी कभी-कभी मूल्य बढ़ जाते हैं क्योंकि रेलवे में गड़बड़ी के कारण खाद्यान्न उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं ।

डा० गोविन्द दास : हर वक्त एक बात की घोषणा की जाती है कि गेहूं और चावल की हमारी पैदावार बराबर बढ़ रही है । इस स्थिति में अनाज का जो आयात हुआ करता है, वह जितना पहले होता था उससे कम होता जाता है या उतना ही होता है, और अगर कम नहीं होता है तो इसका क्या कारण है ?

श्री स० का० पाटिल : यह ठीक है कि पैदावार बढ़ती जाती है और बढ़नी चाहिये । तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसे ६ परसेन्ट बढ़ाने का विचार है । लेकिन जब तक हमारे पास काफी संचय नहीं होता है, स्टाक पाइल, तब तक कभी-कभी सिचुएशन बिगड़ जाती है । इसलिये मैं मानता हूं कि आयात आहिस्ते-आहिस्ते कम होने वाली है । हमारा इरादा तो यह है कि पांच वर्ष में आयात बिल्कुल न करना पड़े ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि भांडार में अधिकृता के कारण कोई महत्वपूर्ण कठिनाई नहीं हुई है । परन्तु क्या यह सच नहीं है कि माननीय खाद्य मंत्री ने कुछ दिन पूर्व भांडार की स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था कि उनकी चिन्ता भांडार की नहीं है परन्तु यह है कि उस भांडार को ठीक प्रकार से किस प्रकार रखा जाये । इस समय क्या स्थिति है ? क्या भांडारों के स्थान का सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : स्थिति पर लगातार विचार किया जा रहा है । ऐसी कोई बात नहीं है कि अचानक ही कोई संकट आ गया हो । परन्तु इन भांडारों से जितना खाद्यान्न प्रतिमास बाहर निकाला जाता था अब उतना नहीं निकाला जा रहा है । इसलिये हमें खाद्यान्नों की आमद का विनियमन करना है जिससे उन खाद्यान्नों को रखने के लिए स्थान अपर्याप्त न हो जाये ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान अमरीका के एक कांग्रेसमैन के इस वक्तव्य की ओर गया है कि पी ल० ४८० के अधीन भारत में आयात किये गए खाद्यान्नों को ऊंचे मूल्य पर बेचा जा रहा है और व्यापारी, अधिक लाभ उठा रहे हैं ? क्या इस वक्तव्य में कुछ सत्यता है और अमरीका से आयात किये गये खाद्यान्न भारत में किन मूल्यों पर बेचे जाते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : वह वक्तव्य हमने देखा है परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य द्वारा इन आरोपों का खंडन करने का समाचार भी पढ़ा होगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : अमरीका से आयात किये गये खाद्यान्न भारत में किन मूल्यों पर बेचे जाते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम गेहूं १४ रुपये मन देते हैं । यह लगभग उसकी भूमि पर उतारी गई लागत तथा परिवहन व्यय मात्र हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : प्रत्यावरोध भांडार से विभिन्न राज्यों को कितना खाद्यान्न वितरित किया गया था और उन राज्यों में वास्तव में कितनी खपत हुई ?

†श्री अ० म० थामस : मेरे साथी ने बताया कि भांडारों से कम खाद्यान्न बाहर निकाले गये हैं। गत सितम्बर में प्रति मास ३½ लाख टन निकाले गये थे । अब उसका दो तिहाई हो गया है । यही भिन्न-भिन्न राज्यों में वितरित किया जा रहा है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : खाद्य मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय को अपनी वैगनों की आवश्यकता कितनी बताई है ? रेलवे मंत्रालय ने इसमें से कितनी पूरी कर दी है और कमी कितनी है ?

†श्री अ० म० थामस : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। जहां तक सरकार के लिए यातायात का सम्बन्ध है उसमें हमें कोई कठिनाई नहीं होती है । परन्तु गैर-सरकारी यातायात में पर्याप्त कठिनाई होती है । परन्तु आप जानते हैं कि सरकार के लिए थोड़े खाद्यान्न का ही यातायात होता है ,।

†श्री रा० स० तिवारी : माननीय मंत्री जी ने बताया कि पांच वर्षों में हमें गल्ला बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा । क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन्होंने इन पांच वर्षों के लिए खेती के लिए कौन सी विशेष सुविधायें देने की योजना बनायी हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : योजनायें बनायी हैं और पंचवर्षीय योजना में वही तो चीज है । हम इतना बढ़ायेंगे कि बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस योजना के अधीन आयात किये गये खाद्यान्न उचित मूल्य की दूकानों द्वारा वितरित किया जा रहा है अथवा उसको देश में प्रत्यावरोध भांडार के रूप में रखा जा रहा है ।

†श्री अ० म० थामस : दोनों काम के लिये पिछले वर्ष हमने लगभग ५० लाख टन का आयात किया था । राज्यों तथा केन्द्र के पास इस समय लगभग ३० लाख टन भंडार है । इसका एक भाग रिजर्व रखा जाता है और शेष राज्यों में स्थित उचित मूल्य की दूकानों के द्वारा बेचा जा रहा है । हम आटा मिलों को भी दे रहे हैं। देश की आटा मिलों को प्रति मास २ लाख टन मिलता है ।

†श्री कोडियान : क्या पी० एल ४८० के अधीन आयात किया गया खाद्यान्न केरल में कहां पर रखा गया है । केरल राज्य के भांडारों में कितना स्थान है और वहां पर कितना खाद्यान्न रखा गया है ।

†श्री अ म० थामस : मेरे माननीय मित्र केरल के हैं और जानते हैं कि हाल में ही खाद्य तथा कृषि मंत्री ने केरल में केन्द्रीय भंडार गोदाम का उद्घादन किया है। इस समय केरल में केन्द्रीय सरकार की १ लाख टन की भांडार क्षमता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : भारत सरकार द्वारा बार बार यह घोषणा की जाती है कि देश की खाद्य स्थिति संतोषजनक होती जा रही है और हमने अमरीका से यह भी समझौता किया है कि चार वर्षों में ७०० लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया जायेगा तो क्या सरकार यह नहीं समझती है कि खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक न हो जाने पर इस योजना के अधीन आयात निरर्थक हो जायेगा ? यदि हां, तो क्या हम कम आयात करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस अवधि में खाद्यान्नों का आयात कम कर दिया जायेगा ।

†**श्री स० का० पाटिल** : अभी हमारी कठिनाइयां कम नहीं हो गई हैं । यह समझौता चार वर्ष के लिए है । हम तब तक स्थिति पर ध्यान रखेंगे । हम आवश्यकताओं का वार्षिक पुनरीक्षण करते हैं । मैं नहीं बता सकता कि प्रत्येक फसल हमारी आवश्यकता से अधिक होगी । मुझे देश की खाद्य स्थिति सुधारने के लिए चार वर्ष चाहिए ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कलकत्ता कार्यालय से गुम होने वाली धनराशि

+
†*६९५. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कलकत्ता कार्यालय से गुम हो गयी धन-राशि के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). पुलिस अभी जांच कर रही है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : कितनी धनराशि गुम हुई थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : राशि १,४८,००० रुपये है । ऐसी घटना न हों इस सम्बन्ध में सभी प्रकार की सावधानी बरती जायेगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : आई ए सी के कितने कर्मचारी इससे सम्बन्धित थे ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं ने बताया कि अभी पुलिस जांच कर रही है । इसलिए हम नहीं बता सकते हैं इससे कितने कर्मचारी सम्बन्धित थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री विट्ठल राव ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री म० ला० द्विवेदी : जांच में कितना समय लग जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने श्री विट्ठल राव को पुकारा है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : अप्रैल, १९६० में भी ४०,००० रुपये गुम हुए थे । जिसकी जांच की गई थी जो बाद में बन्द कर दी गई थी । अब १ लाख रुपये गुम हुए हैं। यदि इस प्रकार राशि नियमित रूप से गुम हो रही है तो वित्तीय सलाहकार की सेवावधि दो वर्ष और क्यों बढ़ाई गई है ।

†श्री गोरे : उनको सहारा दिया जा रहा है ।

†श्री मुहीउद्दीन : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस वृद्धि का जिक्र कर रहे हैं। हमें तो अक्तूबर १९६० में पहली बार पता लगा है कि कुछ धनराशि गुम हो गई है। उसके बाद इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने जांच की और यह पता लगा लगने पर ग़जब हुआ है मामला पुलिस को सौंप दिया गया ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वित्तीय सलाहकार समय समय पर जांच किस प्रकार करते हैं। स्पष्ट है कि उन्होंने जांच नहीं की है। इसीलिये माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उनको उस पर पद पर क्यों रखा जा रहा है। कभी कभी प्रश्न ठीक ढंग से नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि 'आपने सचिव ने ऐसा किया'। यदि उप-सचिव ने वह काम किया हो तो मंत्री महोदय बता देते हैंकि "सचिव ने ऐसा" नहीं किया। जिसका अर्थ निकल सकता है कि विभाग ने ऐसा नहीं किया। माननीय मंत्री को मालूम होना चाहिये कि वित्तीय सलाहकार कौन है और क्या उसकी सेवावधि बढ़ाई गई है। अन्यथा वह प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दे सकते हैं । प्रश्न है कि जब धनराशि गुम हो रही है तो वित्तीय सलाहकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

†श्री मुहीउद्दीन : अभी पुलिस जांच कर रही है और जांच समाप्त हो जाने के बाद आवश्यक अनुशासिनिक कार्यवाही पदाधिकारियों के विरुद्ध की जायेगी ।]

†श्री गोरे : क्या कोई विभागीय कार्यवाही की गई है ?

†श्री मुहीउद्दीन : जी हां। दो लेखापदाधिकारी मुअत्तल कर दिये गए हैं और कुछ अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

†श्री गोरे : क्या स्थानान्तरण दण्ड है ।

†श्री मुहीउद्दीन : उनका स्थानान्तरण जांच करने में सुविधा के लिय किया गया है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : जांच की जा रही है। गत दिसम्बर, में बताया गया था कि जांच की जा रही है। मैंने यह प्रश्न ग्राह्य किया था कि क्या जांच पूरी हो चुकी है। माननीय मंत्री ने बताया "नहीं" माननीय सदस्यों को पूछना चाहिय "जांच कब तक पूरी हो जायगी ।" और इस प्रकार के भी एक अथवा दो प्रश्नों को पूछे जाने की अनुमति दी जा सकती है। जांच से पहले व्यौरे पूछने का क्या तात्पर्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मेरा एक निवेदन है। अप्रैल, १६६० में लगभग ४०,००० रुपये की कमी बताई गई थी। तब एक जांच की गई थी और कर्मचारी से धनराशि जमा करने के लिए कहा गया और राशि जमा किए जाने के बाद मामला रफा दफा कर दिया गया। इसके बाद अक्तूबर १६६० में यह मामला हुआ। माननीय मंत्री के उत्तर से पता लगता है कि अप्रैल, १६६० में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपने इस बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैंने पिछले सत्र में प्रश्न पूछा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया था। उन्हें प्रश्न पूछना चाहिये था कि क्या यह सच नहीं है कि उसी कार्यालय में अप्रैल, १६६० में कुछ गड़बड़ी हुई थी और यदि हां, तो उस मामले में क्या किया गया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : आई ए सी के कार्यालय से ३५,००० रुपये के गुम होने की सूचना हमें मिली थी। माननीय सदस्य क्या इसी राशि का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इससे पहले कोई सूचना नहीं मिली।

†**श्री मुहीउद्दीन** : जितना मुझे पता है इससे पहले कोई सूचना नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य अप्रैल, की घटना के बारे में मुझे लिखेंगे तो मैं उसकी जांच करूंगा और स्थिति को स्पष्ट करूंगा।

संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम्य जल संभरण योजनाएं

+

*६६६. { **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय से संघ राज्य क्षत्रों में ग्राम्य जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसकी पूर्ति हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के लिये कुल कितनी व्यवस्था की गयी थी ; और

(ङ) अब तक इस में से कुल कितनी रकम व्यय की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०]**

†**श्री कोडियान** : विवरण से पता लगता है कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब मुख्यतः सामग्री के समाहार के कारण हुई है। मैं जानना

†मूल अंग्रेजी में

चाहता हूं कि सरकार ने इन सामग्रियों के संभरण के बारे में क्या कार्यवाही की है जिससे ये योजनायें यथासंभव शीघ्र पूरी हो सकें ।

†**श्री करमरकर** : जो भी संभव होता है हम वह करते हैं परन्तु फिर भी कभी कभी स्थिति कठिन हो जाती है । जल संभरण योजनाओं को सर्व प्राथमिकता दी गई है इसलिये सभी संभव कार्यवाही की गई है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार जानती है कि इन सभी राज्यों में हजारों सार्वजनिक कूवों से अनुसूचित जाति के लोगों को अब भी पानी नहीं भरने दिया जाता है ? सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संघ क्षेत्रों में ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि एसी बात नहीं है परन्तु यदि एसा होता है तो कानून में उसके लिये सजा नियत है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी**: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बयान में लिखा हुआ है कि इतनी रकम पंचवर्षीय योजना में मुकर्रर की गई थी लेकिन उसमें ५० फीसदी से कहीं कहीं कम खर्च हुआ है और ७५ फी सदी से ज्यादा कहीं पर खर्च नहीं हुआ है तो इन योजनाओं में रकम खर्च न होने का क्या कारण है और अब यह कैसे पूरी हो सकेंगी जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो रही है और तीसरी योजना शुरू होने वाली है ?

†**श्री करमरकर** : अगर माननीय सदस्य मेरे उत्तर को जरा पूरी तौर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको वह कारण मालूम हो जायेंग . . .

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : उत्तर में मैंने देख लिया है और उसके बाद ही मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं ?

†**श्री करमरकर** : माफ करियेगा, मैं आपको अपने उत्तर को पढ़ कर फिर सुना देना चाहूंगा . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है । एक विवरण सभापटल पर रखा जा चुका है ।

†**श्री करमरकर** : उसमें कारण बताये गये हैं परन्तु उनका कहना है कि उन्होंने कारण नहीं देखे हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : विवरण में बताया गया है कि वह पूरी हो जायेगी । परन्तु दूसरी योजना समाप्ति पर है और तीसरी आरंभ हाने को है । अब तक ५० प्रतिशत धनराशि व्यय नहीं हुई है । मैं यही जानना चाहता हूं कि वह इस राशि को किस प्रकार व्यय कर सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक अन्य सदस्य के प्रश्न से पता लगता है कि विवरण में यह दिया है कि सामग्री की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाया है । उनके प्रश्न का यही उत्तर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा से दिल्ली के लिये जल संभरण

†*६६७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी की अतिरिक्त जल संभरण सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति भाखड़ा से करने के लिये दिल्ली नगर निगम कितनी प्रारम्भिक और आवर्तक धनराशि का योगदान देगा ; और

(ख) अगले बीस वर्षों में सम्भरण का, और दिल्ली निगम द्वारा किये जाने वाले योगदान का निर्धारित ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) पश्चिम यमुना नहर परियोजना का प्राक्कलन पंजाब के इंजीनियरों ने २५६ लाख रुपया बताया है। इससे भाखड़ा जलाशय को पश्चिम यमुना नहर से मिलाने का विचार है। कुल व्यय २५६ लाख रुपये में निगम का अंश पंजाब सरकार ने ३० लाख रुपया बताया है। दिल्ली द्वारा किया जाने वाला आवर्त्तक व्यय पता नहीं है। निगम का यह विचार है कि जब वह परियोजना व्यय दे रहे हैं तो पानी के लिये क्यों दें।

(ख) यह ३२५ क्यूजेंक है अर्थात् १२५ क्यूजेंक स्थिर किरण से लिये तथा २०० क्यूजेंक जल संभरण आरंभ करने के लिये।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : यह अंशों का निश्चय पंजाब सरकार तथा दिल्ली निगम के बीच बातचीत द्वारा हुआ है अथवा यह निर्णय भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : मेरे पत्रों के अनुसार यह निर्णय पंजाब सरकार तथा दिल्ली प्रशासन दोनों ने मिलकर किया है। मैं समझता हूं कि यदि भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड का परामर्श आवश्यक समझा गया होगा तो निसंदेह रूप से यह परामर्श लिया गया होगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या माननीय मंत्री निश्चित रूप से बता सकते हैं कि भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड का परामर्श लिया गया था ?

†**श्री करमरकर** : पूर्व सूचना मिलने पर मैं इसका पता करने की कोशिश करूंगा।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि भाखड़ा से जो पानी दिल्ली आयेगा उसमें उतनी ही क्लोरिन मिलाई जायेगी जितनी कि यमूना के पानी में मिलायी जाती है या उससे कुछ कमोवेश मिलायी जायगी ?

†**श्री करमरकर** : मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पानी को शूद्ध बनाये रखने के लिए प्रत्येक आवश्यक उपाय किया जायगा अर्थात् उसका क्लोराइनेशन और फिल्टरेशन सब कुछ किया जायेगा और जैसा कि अभी लोगों को पानी शुद्ध मिलता है ऐसा ही शुद्ध पानी आगे भी पीने के लिए मिलेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि निर्णय करने में विलम्ब के कारण आगामी गर्मी में दिल्ली को पानी मिलने में बड़ी कठिनाई होगी और निगम को इसकी बड़ी चिन्ता है ? क्या माननीय मंत्री सभी अधिकारियों को एक साथ बैठाकर मामले को निबटाने के बारे में कोई कार्यवाही करेंगे ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री करमरकर** : हम हमेशा एक साथ बैठ कर मामले तय करते हैं। मेरे मित्र को किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं सभा को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि आगामी गर्मी के मौसम में पानी की कोई कमी नहीं होगी। पिछली गर्मियों की भांति ही हम इस बार भी पंजाब सरकार से व्यवस्था कर रहे हैं कि गर्मी के कठिन मौसम में पर्याप्त पानी मिल सके।

हीराकुद बांध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता

†*६६८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्था कुछ सर्वेक्षण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हीराकुद बांध के परिणाम स्वरूप बाढ़ नियंत्रण से होने वाले लाभ सिंचाई और जल-विद्युत से होने वाले लाभों की तुलना में बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के बाढ़ विशेषज्ञों ने हीराकुद बांध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने क्या अध्ययन किया है, और उसका क्या परिणाम निकला है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित की गई एक समिति हीराकुद बांध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता की जांच कर रही है। इस समिति का सदस्य केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के मुख्य इंजीनियर भी हैं। समिति ने अभी अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि हीराकुद बांध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता बहुत कम है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में १९६० की भारी बाढ़ को देखते हुए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है। माननीय मंत्री ने उस समय राज्य का दौरा किया था। तीसरी योजना में उड़ीसा में बाढ़ को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

†**श्री हाथी** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य उत्तर को ठीक प्रकार नहीं समझे हैं। यह प्रश्न हीराकुद बांध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता के बारे में नहीं है। प्रश्न यह पूछा गया है कि:

> "क्या यह सच है कि गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्था कुछ सर्वेक्षण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हीराकुद बांध के परिणाम स्वरूप बाढ़ नियंत्रण से होने वाले लाभ सिंचाई और जल-विद्युत से होने वाले लाभों की तुलना में बहुत कम हैं।"

इस संस्था से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने को कहा गया था जिससे यह पता लग सके कि इस विकास कार्य का इसके आस-पास रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। सिंचाई

†मूल अंग्रेजी में

योजनाओं, बिजली परियोजनाओं तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के कारण इस क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ हुए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य हाल की बाढ़ों जिनका नियंत्रण नहीं हो पाया, का जिक्र कर रहे हैं। यदि इस संस्था के अनुसार बाढ़ नियंत्रण से होने वाले लाभ अन्य लाभों की तुलना में कम हैं तो क्या कार्यवाही करने का विचार है? माननीय मंत्री ने गोखले संस्था की राय स्वीकार कर ली है।

†**श्री हाथी** : हीराकुद बांध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता की जांच एक समिति कर रही है जो यह भी बतायेगी कि और क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। उस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री भी यह समझते हैं कि पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है?

†**श्री हाथी** : पिछली बाढ़ को देखते हुए यह समझा गया कि वर्तमान नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं। नियंत्रण अधिक करने के लिए ही समिति नियुक्त की गई है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** उठे——

†**अध्यक्ष महोदय** : एक समिति नियुक्त की कई है जो मामले पर विचार कर रही है। मैं नहीं जानता कि इससे अधिक और क्या पूछना है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : आप जानते हैं कि वहां पर अभूतपूर्व बाढ़ आई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। परन्तु क्या किया जा सकता है। एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : यह बांध १६५७ में बनकर पूरा हो गया था और बांध नियंत्रण की जांच के लिए समिति १६६१ में नियुक्त की गई जबकि उड़ीसा को बाढ़ से पर्याप्त हानि हो गई थी?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आलोचना कर सकते हैं परन्तु इंजीनियर नहीं बन सकते हैं।

†**श्री रंगा** : सिंचाई क्षमता कितनी है? क्या उसका पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है?

†**श्री हाथी** : लगभग ४,२०,००० एकड़ में से, ३,८०,००० एकड़ की सिंचाई हो रही है।

†**श्री रंगा** : क्या प्रतिशतता हुई? कितनी भूमि की सिंचाई करने की आशा थी तथा कितनी भूमि की सिंचाई की जा रही है?

†**श्री हाथी** : परियोजना प्रतिवेदन में बताया गया है कि कितनी भूमि की सिंचाई की जानी है। ४ लाख तथा कुछ हजार एकड़ में से ३,८०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है। यह लगभग ७८ अथवा ८० प्रतिशत होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं की श्री पाणिग्रही यह जानना चाहते थे कि क्या समिति अपना प्रतिवेदन आगामी वर्षा ऋतु से पहले प्रस्तुत कर देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : हमें मई १९६१ में समिति का प्रतिवेदन मिल जाने की आशा है।

†अध्यक्ष महोदय : यथा-संभव सभी कार्यवाहियां की जायेंगी।

उर्वरकों का उत्पादन

+

†६९९. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रामी रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के उत्पादन में बड़ी तेजी से कमी हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप देश के कृषि-उत्पादन में बाधा पड़ने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

†श्री रघुनाथ सिंह : देश में उर्वरकों की कितनी आवश्यकता है और वर्तमान उत्पादन कितना है?

†डा० पं० शा० देशमुख : यदि माननीय सदस्य चालू वर्ष के संबंध में यह सूचना चाहते हैं तो हमें ४,६३,५०० टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन की आशा है। जहां तक सुपर फास्फेट का संबंध है, हम उतना उत्पादन करेंगे जितनी आवश्यकता होगी। इसमें लगभग ९ लाख टन का आयात जोड़कर देश की लगभग ६६ प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

†श्री रघुनाथ सिंह : माननीय मंत्री के उत्तर से यह मालूम होता है कि हम ९ लाख टन उर्वरकों का आयात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह आयात कब बन्द किया जाएगा और भारत उर्वरकों के संबंध में कब आत्म-निर्भर हो जाएगा?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): जहां तक देश में उर्वरक संबंधी स्थिति का प्रश्न है, जैसा कि सभा को ज्ञात होगा हम यह आयोजन कर रहे हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १० लाख टन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और सुपरफास्फेटों का उत्पादन होने लगे। जब तक देश में उर्वरकों का उत्पादन नहीं होता तब तक हमें उनका आयात करना ही होगा क्योंकि उर्वरक हमारे खाद्यान्न के उत्पादन के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि चार लाख टन से ऊपर नाइट्रोजेनेस फर्टलाइजर हिन्दुस्तान में पैदा होता है और लगभग नौ लाख टन बाहर से मंगाया जाता है। नाइट्रोजेनेस

†मूल अंग्रेजी में

फर्टलाइज़र खेती के लिये बहुत जरूरी चीज़ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सारे देश के बैकवर्ड एरियाज और फार्वर्ड एरियाज में इसके ीक बंटवारे के लिये क्या सैंट्रल गवर्नमैंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई निर्देश दिया है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : जरूर दिया है और बंटवारा ऐसे होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स से पूछा जाता है कि उनको कितना चाहिय और उसी प्रोपोर्शन से दिया जाता है । मुझे उम्मीद है कि इस बरस और नैक्स्ट बरस--आईन्दा बरस--में जितना फर्टलाइज़र उनको चाहिये, उसका हंड्रेड परसेंट मैं दूंगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि अलवाए का उवर्रक कारखाना पिछले एक साल से बेकार है और यदि हां, तो उसकी क्षमता क्या है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं नहीं समझता कि वह बेकार है । पिछले दिन ही मैंने वहां जाकर उसके विस्तार का उद्घाटन किया था । मुझे उसकी क्षमता तो अभी नहीं मालूम है परन्तु वह बेकार नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि के अन्त तक देश उवर्रकों के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जायेगा.......

†**श्री रघुनाथ सिंह** : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैंने यह नहीं कहा । मैंने यह कहा था कि चाहे उत्पादन कितना भी हो कोई भी देश उर्वरकों में कभी आत्म-निर्भर नहीं होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश उर्वरकों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करेगा और क्या यह आत्म निर्भरता वर्तमान उद्योग से प्राप्त की जायेगी अथवा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में भी उसे शुरू करके ?

†**श्री स० का० पाटिल** : श्रीमान् मैं केवल स्थिति का स्पष्टीकरण कर रहा हूं क्योंकि मैं माननीय मित्र के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहता । तीसरी योजना अवधि के अन्त में हम अपने देश में १० लाख टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक अर्थात् ५० लाख टन एमोनियम सल्फेट का उत्पादन करने लगेंगे । परन्तु यह आत्म-निर्भरता नहीं होगी क्योंकि अन्य देश भी..........

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह मात्रा वर्तमान उत्पादन के अतिरिक्त होगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी नहीं, यह ५० लाख टन कुल मात्रा है—एमोनियम सल्फेट हो या इसकी कोई अन्य किस्म हो । इसलिये यह आत्म निर्भरता नहीं होगी क्योंकि यदि हम ब्रिटेन अथवा किसी अन्य देश को देखें तो ज्ञात होगा कि भूमि उर्वरकों को एकदम नहीं ग्रहण करने लगती है । जैसे जैसे हम प्रयोग करेंगे उवर्रकों की अधिकाधिक आवश्यकता होगी ।

प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि वह उत्पादन सरकारी उद्योग क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में । अभी तक यह निर्णय था कि जहां तक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का संबंध है, वह केवल सरकारी उद्योग क्षेत्र में होगा । परन्तु वह निर्णय अब बदल दिया गया है । अब गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र भी प्रतियोगिता कर सकता है और विज़ाग में एक बहुत बड़ा गैर सरकारी कारखाना बनाया जा रहा है जिसमें नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का उत्पादन होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या यह सच है कि हमारे उर्वरकों के मूल्य संसार में सबसे अधिक हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार उन्हें कम करने का विचार कर रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं यह नहीं कहूंगा कि उनके मूल्य सबसे अधिक हैं । पिछले वर्ष अथवा उससे पिछले वर्ष वे संसार के अन्य देशों के मूल्यों से कम थे । आजकल अवश्य वे कुछ अधिक है और यह एक चिन्ता का विषय है क्योंकि केवल उर्वरक ही नहीं वरन् हम जो भी उत्पादन करते हैं उन सभी के मूल्य अधिक हैं । हमें मूल्य कम करने ही होंगे और इसके लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा क्योंकि ऐसा करना किसानों के हित में है ।

†**श्री कर्णीसिंह जी** : क्या उर्वरकों का संभरण बढ़ाने के लिये उत्तरी राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना चालू करने के संबं में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी हां, मैं समझता हूं कि निर्णय किया जा चुका है और संभवतः इटारसी में एक कारखाना खोला जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : राजस्थान में भी हनुमानगढ़ में एक कारखाना खोला जायेगा । यह मध्य प्रदेश के कारखाने के अतिरिक्त होगा ।

डा० गोविन्द दास उ —

†**अध्यक्ष महोदय** : मध्य प्रदेश के संबंध में उत्तर दिया जा चुका है । क्या माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

†**डा० गोविन्द दास** : मुझे एक दूसरा सवाल पूछना है ।

जहां तक मध्य प्रदेश की फैक्टरी का सवाल है, माननीय मंत्री जी के पास इस संबंध में कटनी से भी दरख्वास्त आई है और माननीय मंत्री, श्री सतीश चन्द्र जी, ने मुझे कहा था कि कटनी का मामला भी सोचा जा रहा है । उस दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि कटनी इटारसी से बहतर स्थान होगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में अन्तिम निर्णय हो गया है कि मध्य प्रदेश में फैक्टरी इटारसी में या कटनी में बनेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । माननीय मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है ।

†**डा० गोविन्द दास** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या निर्णय हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं, लेकिन इस बारे में यह उत्पन्न नहीं होता है । यह उर्वरकों के कुल उत्पादन के संबंध में है । यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है कि वह कहां स्थापित किया जाना चाहिये । माननीय सदस्य को एक पृथक प्रश्न की सूचना देनी चाहिये और यदि मैं सन्तुष्ट हुआ तो उसकी अनुमति दूंगा ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि अनेक कारणों से सिन्दरी के उर्वरक कारखाने में पूरी क्षमता के बराबर उत्पादन नहीं हो रहा है और उनमें से एक कारण है मशीनों तथा अन्य चीजों के बदले जाने

---

†मूल अंग्रेजी में

की आवश्यकता । मैं जानना चाहता हूं कि उसके पूरी क्षमता के अनुसार चलाये जाने के लिये क्या कदम उठा`जा रहे हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : सामान्यतः यह प्रश्न दूसरे मंत्रालय के अन्तर्गत आता है क्योंकि जहां तक कारखानों आदि के संचालन का संबंध है, वह कार्य इस मंत्रालय के हाथ में नहीं है । हम तो केवल यह बताते हैं कि हमारी आवश्यकता कित ी है । पिछले वर्ष कुछ कारणों से उत्पादन कुछ कम हुआ था जैसे कोयले आदि की दिक्कत । परन्तु अब उसमें सुधार किया जा रहा है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या दूसरी योजना का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रघुनाथ सिंह उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री रघुनाथ सिंह किसी भी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं कभी नहीं पूछता हूं ।

गाड़ियों में चोरियां

†७००. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ियों से डिब्बों और मालडिब्बों के कलपुर्जों की चोरियां अधिकांशतः उस समय होती हैं जबकि रेलगाड़ियां "यार्ड" में अथवा "साइडिंग" में होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था को कड़ा करने के लिये क्या कदम उठा`गये हैं ; और

(ग) उत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे को १६६० में कितनी हानि उठानी पड़ी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान् । यह सच नहीं है कि सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के कलपुर्जों की चोरियां अधिकांशतः उस समय होती हैं जबकि वे 'यार्ड' में अथवा 'साइडिंग' में खड़े होते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । परन्तु जो पूर्वविधान उपाय किये जाते हैं उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती है ।

सूची

(१) उच्च श्रेणी के सवारी डिब्बे जब यार्ड में खड़े किये जाते हैं तो ताला बन्द रखा जाता है और उनकी समुचित निगरानी की जाती है ।

(२) समस्त प्रमुख यार्डों पर रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र तथा बिना हथियारों से युक्त कर्मचारियों द्वारा गश्त किया जाता है ।

(३) जिन यार्डों में चारदीवारी अथवा तारों की आड़ नहीं थी उनमें उनकी व्यवस्था की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) यार्डों में निरीक्षण और अचानक जांच अधिक की जाने लगी है ।

(५) चोरी होने वाले कुछ मुख्य कलपुर्जों के लिये अधिक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था का उपबन्ध ।

(६) जहां कहीं संभव हो मूल्यवान कलपुर्जों के बदले में कम मूल्य के कलपुर्जे लगाये जा रहे हैं ।

(७) रेलवे सुरक्षा दल का यदाकदा यात्री गाड़ियों में चलना ।

(८) प्रभावित यार्डों की निगरानी रखने के लिये साधारण वस्त्रधारी कर्मचारियों का रखा जाना ।

(९) विद्युत् संबंधी तथा इंजीनियरिंग कलपुर्जों को इस प्रकार लगाया जा रहा है कि उनका निकालना कठिन हो जाय ।

(१०) चोरियों के लिये जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने के लिये जिला और सरकारी रेलवे पुलिस के बीच निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

(ग) १९६० में पूर्व और उत्तर रेलवे को क्रमशः ३,२९,३८५ रुपये और ५८,०२४ रुपये का नुकसान हुआ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पूर्वाविधान उपायों के विवरण में यह बताया गया है कि कुछ कीमती पुर्जों के स्थान पर सस्ते पुर्जे लगाये जा रहे हैं जहां कहीं वैसा संभव है । मैं जानना चाहता हूं कि जब कीमती सामान बदलना होता है तो क्या उसके बदले में रेलवे मंत्रालय की नीति सस्ता सामान लगाने की है ? इसके अतिरिक्त क्या मंत्रालय की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कम मूल्य की चीजें भी लोगों द्वारा चुरा ली जाती हैं और, यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री शाहनाज खां** : हमारा यह अनुभव है कि अधिकतर ऐसी चीजें नहीं चुराई जाती हैं जो अधिक कीमत की नहीं होती हैं इसलिये कीमती पुर्जों के बदले में सस्ते पुर्जे लगा देने से चोरियों की संख्य कम हो गई है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : कौन से रेलवे जोन में सबसे अधिक चोरियां होती हैं ?

†**एक माननीय सदस्य** : बनारस में ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : बनारस में नहीं ।

†**श्री शाहनवाज खां** : यह प्रश्न केवल सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की चोरियों से सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध में पूर्व रेलवे का नम्बर सबसे पहले आता है और फिर वर्ष १९६० के दौरान उत्तर रेलवे का । जहां तक यार्डों और साइडिंगों में चोरियों का सम्बन्ध है, पूर्वोत्तर रेलवे का पहला नम्बर है और पूर्व रेलवे का दूसरा तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का उसके बाद ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह कहा गया है कि विद्युत् तथा यांत्रिक पुर्जे इस प्रकार लगाये जा रहे हैं कि उनका हटाना कठिन हो जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सुरक्षा का कार्य कार्मिक संघ के लोगों को क्यों नहीं सौंप दिया जाता है । उन्हें कुछ राज सहायता दीजिये तथा उनसे उनकी देखभाल करने के लिये कहिये । समस्त कर्मचारी कार्मिक संघ के हाथ में होते हैं । यदि वे सतर्क रहेंगे तो कोई भी चोरी नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहम्मद इलियास** : यदि उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जायेगी तो चोरियां नहीं होंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्मिक संघ को राजसहायता देकर इन चोरियों से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर ली जाय ?

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : हम ऐसे मामलों की सूचना प्रशासन को देते हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** उठे——

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके बारे में काफी प्रश्न हो चुके हैं । अगला प्रश्न ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । माननीय सदस्य वे सब रेलवे बहस में खत्म कर चुके होंगे । अगला प्रश्न ।

डाक और तार के सेंट्रल सर्किल का मुख्य कार्यालय

+
†*७०४. { **श्री विद्याचरण शुक्ल** :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि **डाक और तार के** सैंट्रल सर्कल के मुख्य कार्यालय को नागपुर से भोपाल लाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी आवश्यकता किन कारणों से पड़ी ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि भोपाल में कार्यालय के लिये उपयुक्त स्थान और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक निवास स्थान उपलब्ध हो सके ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या मध्य प्रदेश में इस परिवर्तन का अनुरोध किया है और, यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या विचार किया है ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्योंकि यदि इस समय यह कार्यालय भोपाल ले जाया जाता है तो वहां इमारतें उपलब्ध नहीं हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय तथा मध्य प्रदेश के इस प्रस्ताव का विरोध किया है और, यदि हां, तो इस विरोध के आधार क्या हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मुझे ऐसे किसी विरोध की जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री खुशवक्त राय——अनुपस्थित । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उसका उत्तर दिये जाने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं ।

मंगलौर और तूतीकोरन पत्तन

†*७०६. {
श्री सम्पत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
श्री आचार :
डा० राम सुभग सिंह :
}

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तनों का बड़े पत्तनों के रूप में विकास करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी धन-राशि की मंजूरी दी गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) मामला अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सम्पत** : इन दो पत्तनों के विकास की अनुमानित लागत अलग-अलग कितनी है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : लगभग २२ करोड़ रुपये ।

†**श्री सम्पत** : तूतीकोरिन और मंगलौर पत्तनों की अलग अलग लागत कितनी है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : तूतीकोरिन की १० करोड़ रुपये और मंगलौर की १२ करोड़ रुपये ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या मंगलौर और तूतीकोरिन दोनों के लिये वित्तीय आवण्टन तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : योजना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है । योजना का अन्तिम चरण अभी विचाराधीन है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : माननीय मंत्री कहते हैं कि अन्तिम चरण अभी विचाराधीन है । हमें १ अप्रैल से योजना शुरू करनी है फिर यह विलम्ब क्यों ? समिति का प्रतिवेदन आ चुका है । प्रत्येक चीज दी जा चुकी है ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : योजना के सम्बन्ध में अप्रैल के लगभग अन्तिम निर्णय होगा । तभी हम जो करना चाहते हैं शुरू कर सकेंगे ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि अनेक विशेषज्ञों ने अनेक बार सरकार से मंगलौर पत्तन के विकास की आवश्यकता की सिफारिश की है क्योंकि वह पश्चिमी तट पर है और उसकी बहुत आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : दोनों पत्तनों के बारे में प्रतिवेदन आ चुके हैं। उन सब प्रतिवेदनों पर विचार किया गया है। हमने योजना आयोग पर इसके लिये जोर डाला है कि इन दोनों पत्तनों के लिये आवण्टन किया जाना चाहिये।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि सेतुसमुद्रम योजना पूरी किये बिना तूतीकोरिन पत्तन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य की धारणा सर्वथा गलत है। तूतीकोरिन पत्तन का सेतुसमुद्रम के पहले बनना आवश्यक है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इसीलिये तो मैं कहता हूं।

†**श्री आचार** : माननीय मंत्री ने कहा कि तूतीकोरिन को पहले बनाना चाहिये। क्या यह सच नहीं है कि मंगलौर को भी समान अधिमान्यता दी गई है।

†**डा० प० सुब्बरायन** : अधिमान्यता का कोई प्रश्न नहीं है। दोनों विचाराधीन हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

जल-विद्युत् तापीय केन्द्रों का निर्माण

†*७०७. **श्री पहाड़िया :**
श्री उस्मान अली खां :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कालिका सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में बड़े जल-विद्युत् तापीय केन्द्रों की योजना बनाने, उनके नमूने तैयार करने और उनका निर्माण करने के लिये एक विशेषताप्राप्त संगठन स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना पर कितना धन व्यय किया जाना है ;

(घ) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ङ) इस विशेषता प्राप्त संग न की अनुपस्थिति में कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जा चुकी है ; और

(च) क्या विद्युत् उद्योग के लिये अपेक्षित संयंत्र और उपकरण समय पर उपलब्ध किये जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (च). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पहाड़िया** : विवरण में यह कहा गया है कि कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक होगा और इस क्षेत्र में अधिक प्रगतिशील देशों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों का अध्ययन करने के लिये कुछ अधिकारियों को भी विदेश भेजना पड़ सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने अधिकारी, किस श्रेणी के, किन देशों को और कितने समय के लिये भेजे जायेंगे ?

†**श्री हाथी** : देश अभी निश्चित नहीं हुए हैं। लगभग १४ अधिकारी भेजे जायेंगे।

†**श्री पहाड़िया** : यह भी कहा गया है कि तापीय तथा जलविद्युत् स्टेशनों के डिजाइन बनाने तथा उनकी स्थापना से सम्बन्धित इंजीनियरिंग कार्य के लिए विदेशी सलाहकार रखने पड़ते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि ये विशेषज्ञ किन देशों से आयेंगे।

†**श्री हाथी** : किसी एक देश से नहीं वरन् विभिन्न देशों से आयेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमने इन दो योजना अवधियों में ऐसे दर्जनों स्टेशन बनाये हैं। क्या हमारे कर्मचारी अब भी इतना नहीं सीख सके हैं कि वे इन स्टेशनों के डिजाइन बना सकें ? कितने लोग देश में मिल सकेंगे तथा कितने सलाहकार विदेशी होंगे ?

†**श्री हाथी** : जहां तक बहु-प्रयोजन परियोजनाओं के निर्माण और डिजाइन का सम्बन्ध है, अब हम उनके क्रियान्वयन के लिए विदेशी विशेषज्ञों पर नहीं निर्भर हैं। परन्तु जहां तक विद्युत् संयंत्र और मशीनों की स्थापना का सम्बन्ध है हम आत्म-निर्भर नहीं हैं। हमें विद्युत् उपकरण की स्थापना और डिजाइन पर मंत्रणा के लिये काफी खर्च करना पड़ता है। यह प्रस्ताव उसके लिये है।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट में लिखा है :

> "डायरेक्टर, डिप्टी चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर और कुछ अराजपत्रित पदों को लगभग १८ महीने बाद भरने का विचार किया जा रहा है।"

मैं जानना चाहता हूं कि जब इस आर्गेनाइजेशन का बनना इतना जरूरी है और यह बहुत ही जरूरी चीज है तो क्या वजह है कि १८ महीनों के बाद इन पोस्ट्स को भरा जायेगा ?

†**श्री हाथी** : हम समस्त अधिकारी तुरन्त नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना होगा जैसे और जब हमें उपयुक्त अधिकारी मिलेंगे। यह स्थापना कार्य विशेष योग्यता का है। इसके लिये हमें प्रशिक्षण लेकर आये अधिकारियों की आवश्यकता है। अन्य अधिकारियों को यहां बेकार बैठाना व्यर्थ है। इसलिए हम उन्हें धीरे धीरे रखेंगे।

†**श्री पहाड़िया** : विवरण में यह भी कहा गया है कि इस परियोजना के लिये आवश्यक ४७७ कर्मचारियों में से ८३ चतुर्थ श्रेणी के होंगे। क्या चौथी श्रेणी में भी विशषज्ञ होंगे ?

†**श्री हाथी** : वे इंजीनियर, डिजाइनर, ड्राफ्टमैन, और सेक्शन आफिसर आदि होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आवश्यकता भी हो सकती है। वे प्रविधिक नहीं हैं।

†**श्री गोरे** : ये जलविद्युत् तापीय केन्द्र क्या हैं ? जलविद्युत् केन्द्रीय और तापीय केन्द्र तो होते हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री हाथी : मने वैसा नहीं कहा । मैंने जलविद्युत् और तापीय केन्द्र कहा था।

†अध्यक्ष महोदय : शीर्षक गलत है । उसमें 'और' शब्द भी होना चाहिये था।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट में लिखा है :

"इस संगठन की स्थापना से विदेशी सलाहकारों पर निर्भरता धीरे धीरे कम की जा सकती है ।"

मैं जानना चाहता हूं कि यह डिपेंडेंस कितने समय में रिड्यूस होगा ? क्या इसके बारे में सरकार ने कोई अवधि निश्चित की है ?

†श्री हाथी : हम चार वर्षों में आत्म-निर्भर हो जायेंगे ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस मामले में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। क्या इस संगठन में कुछ प्रतिशत राज्य के कर्मचारियों का होगा ?

†श्री हाथी : जी, नहीं ; राज्य के कर्मचारी नहीं होंगे । विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से अपने राज्यों में यह कार्य करने का अनुरोध किया है । वह कार्य यह संगठन प्रारम्भ करेगा ।

कोयला और जलाने की लकड़ी

†*७०८. { + श्री दी० चं० शर्मा
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के व्यापारी अपने कोयले और जलाने की लकड़ी के भंडार को रेलवे परिसर से कई कई दिनों तक नहीं उठाते जिसके परिणामस्वरूप शहर में इन चीजों का कृत्रिम अभाव हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) नई दिल्ली मिनरल साइडिंग से व्यापारियों द्वारा कोयले के हटाये जाने के सम्बन्ध में कुछ देर की गई है परन्तु जलाने की लकड़ी के सम्बन्ध में ऐसी कोई देरी नहीं देखी गई है । यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इससे शहर में कोई कृत्रिम कमी उत्पन्न हुई है या नहीं ।

(ख) रेलवे के अहाते से कोयला हटाने में तेजी लाने के लिए उत्तर रेलवे ने कोयला व्यापारियों, दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव और सिविल सप्लाई अधिकारी के साथ परामर्श किया है ।

कोयले पर भरणतट शुल्क की दरें बढ़ाने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि कोयला व्यापारियों को दिये जाने के पूर्व विलम्ब की सर्वाधिक अवधि कितनी थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

†अध्यक्ष महोदय : माल हटाये जाने के पूर्व विलम्ब की सर्वाधिक अवधि।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : : कौन सा माल ?

†श्री दी० चं० शर्मा : कोयला।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, वह उत्तर दे चुके हैं कि वह हटा लिया गया है। अब केवल जलाने की लकड़ी रह गई है।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†श्री दी० चं० शर्मा : उन्होंने कहा कि उसमें कुछ विलम्ब हुआ था।

†श्री अध्यक्ष महोदय : वह दोनों ही के लिए पूर्व सूचना चाहते हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा कि अनेक अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। मैं जानना चाहता हूं उसमें क्या निर्णय हुआ तथा उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया मालूम होता है। हम सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†श्री अजित सिंह सरहदी : मैं जानना चाहता हूं कि हटाये जाने में विलम्ब व्यापारियों की गलती से हुआ अथवा रेलवे अधिकारियों की किसी गलती के कारण ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह विलम्ब अनेक कारणों से हुआ है। सर्व प्रथम, ऐसा मालूम होता है कि व्यापारियों के पास इतने ट्रक नहीं हैं कि प्रतिदिन उपलब्ध माल उठा सकें। उनके पास सीमित संख्या में ट्रक है। प्रतिदिन लगभग ७४ माल डिब्बे साइडिंग में रखे जाते हैं और उनके पास जितने ट्रक हैं उनसे वे केवल ६४ माल डिब्बों का माल उठा पाते हैं। दूसरे दिल्ली में कुछ समय के बीच भारी माल डिब्बों के आवागमन पर प्रतिबन्ध है। तीसरे, व्यापारी अधिक ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि भरणतट शुल्क बहुत कम है अर्थात् २४ घण्टों की निशुल्क अवधि के पश्चा् लगभग ३ रुपये प्रति माल डिब्बा प्रतिदिन। इसलिये वे उसे रेलवे के अहाते में ही पड़ा रहने देते हैं।

राम गंगा पर रेल का पुल

†*७०९. श्री राम शरण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मुरादाबाद के निकट रामगंगा रेलवे पुल को पार करते समय मोटर गाड़ियों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिससे उन्हें बड़ी परेशानी होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह पुल बड़ा पुराना हो चुका है और इसके पुन निर्माण की आवश्यकता है ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में पुल के निर्माण की अथवा इसे दोहरा बनाने की योजाना शामिल की गयी है ; और

(घ) सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान्। रेलवे पुल पर रेलों के अधिक यातायात के कारण सड़क पर चलने वाली सवारियों को रुकना पड़ता है परन्तु एक बार में घण्टों के लिए नहीं।

(ख) यद्यपि पुल ६८ वर्ष पुराना है परन्तु उसकी स्थिति संतोषजनक है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) राज्य सरकार रेलवे पुल से ६०० फीट ऊपर की ओर एक पॉन्टून सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

†**श्री राम शरण** : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब तक पान्टून ब्रिज नहीं बन जाता तब तक इस ब्रिज पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था हो सकती है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ट्रैफिक तो रेगुलेट होता ही है। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि इस पुल के ऊपर से रोजाना चालिस गाड़ियां आती जाती हैं। तो जितनी जल्दी रोड ट्रैफिक इस पुल पर से जाना बन्द हो जाये, उतना अच्छा है ।

†**श्री द० च० पाण्डे** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह पुल राष्ट्रीय राजपथ का भाग है और वह मोटर गाड़ियों के लिए उस समय भी बन्द रहता है जब कि कोई रेलगाड़ी नहीं होती है? ऐसा होता है कि जब गाड़ी रामपुर से छूट जाती है तो यह पुल बन्द कर दिया जाता है। वास्तव में होना यह चाहिये कि पुल उस समय तक खुला रहना चाहिये जब तक कि गाड़ी उसके निकट न पहुंच जाये। तभी यह कठिनाई कम हो सकेगी। अन्यथा लोगों को घण्टों खड़ा रहना पड़ता है । मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां, यह ठीक है कि सड़क यातायात को बहुत रुकना पड़ता है पर रेलगाड़ियों की सुरक्षा के हित में एक प्रक्रिया का पालन करना होता है और ऐसा नहीं हो सकता कि रेलें भी चलती रहें तथा सड़क यातायात भी चालू रहे। एकमात्र संतोषजनक हल एक अन्य सड़क पुल का निर्माण ही हो सकता है । इस मामले पर विचार किया गया है और उसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार तब तक के लिए एक पॉन्टून पुल बना रही है ।

नाविकों की भरती

†*७११. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन के महानिदेशक के कार्यालय द्वारा वाणिज्यिक जलपोतों के लिए नाविकों की नई भरती सम्बन्धी नीति को बदल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस नयी भरती के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). बम्बई में सैलून विभाग में नये नाविकों की भरती के प्रस्ताव के विरुद्ध एक अनधिकृत नाविक संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । क्योंकि इस विभाग में कुछ निम्न श्रेणी में कमी है, सरकार ने भावी अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने का फैसला किया है जैसा कि अब तक होता रहा है ।

†**श्री आसर** : क्या यह भी सच है कि नाविक रोजगार दफ्तर द्वारा उन व्यक्तियों को भी भर्त्ती किया जा रहा है जो भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम विभिन्न विदेशी जहाज के मालिकों को यह कह रहे हैं कि वे भारतीय पत्तनों पर भरती की पुरानी प्रथा को जारी रखें परन्तु हम उनको वह कार्य करने को मजबूर नहीं कर सकते जो वे करना नहीं चाहते ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या यह सच है कि कलकत्ता के नौवहन कार्यालय में विधिहीनता के कारण विदेशी जहाज-मालिक भरती केन्द्र कलकत्ता से हटा कर चिटगांव ले जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष ८ से १० हजार नाविकों को रोजगार का अवसर खोना पड़ रहा है । नाविकों को वेतन देने के समय और हिसाब चुकता करने के समय बदमाशों का एक गिरोह नाविकों से संघ में अंशदान के नाम पर जबरदस्ती रुपया ऐंठता है और कई अभ्यावेदनों के बावजूद भी सरकार इसको नहीं रोक सकती । इसीलिये विदेशी जहाज-मालिक ऊब कर वहां से भरती केन्द्र चिटगांव ले जा रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : परन्तु संघ का नाम नहीं दिया गया है । माननीय सदस्य ने केवल यह कहा है कि यह बदमाशों का गिरोह है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : वह बदमाशों का गिरोह है । वे किसी संघ के व्यक्ति नहीं हैं परन्तु उन्हें राष्ट्रीय संघ से समर्थन प्राप्त होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय को यह बात बतायी गई है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जैसा मैंने बताया, हम इन व्यक्तियों की भरती के लिये बिल्कुल विदेशी जहाज-मालिकों के हाथ में है और क्योंकि भारत में कुछ नाविक उससे अधिक वेतन मांगते हैं, जिस पर उन्हें अन्य विदेशों में अन्य पत्तनों में नाविक प्राप्त हो सकते हैं, वे व्यक्ति निश्चय ही उस स्थान पर जाते हैं जहां श्रमिक कम वेतन पर मिल जाते हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत में कुछ नाविक विदेशी नाविकों की अपेक्षा वेतन अधिक मांगते हैं । मुझे बताया गया है कि कम्पनियां भारतीय नाविकों को बेरोजगार बनाने के लिये पाकिस्तान से और कूला लम्पुर से नाविकों की भर्ती कर रही हैं और हमारे हजारों नाविकों को रोजगार नहीं मिल रहा है जब कि पाकिस्तान और कूला लम्पुर के व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है । प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार इन विदेशी कम्पनियों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और हमारे नाविकों को रोजगार का आश्वासन नहीं दे सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : भर्ती पूर्ण रूप से विदेशी जहाज मालिकों के हाथ में है और हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते ।

†श्री दामानी : पिछले तीन वर्षों में विदेशी कम्पनियों ने कितने नाविकों को रोजगार पर लगाया है ?

†डा० प० सुब्बरायन : उनकी संख्या कई हजार है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : विदेशी जहाज-मालिकों की भर्ती केन्द्रों को भारतीय पत्तनों से हटा कर गैर-भारतीय पत्तनों में ले जाने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन भारतीय नाविकों को जिन्हें हाल ही के वर्षों में भर्ती किया गया है और विभिन्न संस्थानों में व्यापारिक बेड़े के लिये शिक्षित किये गये नाविकों को ोजगार की गारन्टी देने की आवश्यकता के प्रति जागरुक है ?

†डा० प० सुब्बरायन : माननीय सदस्य सरकार से यह किस प्रकार कराना चाहते हैं ? जहां पर जहाज उपलब्ध हैं, नाविकों की भी आवश्यकता होगी ।

†श्री मुहम्मद इलियास : भारत नाविकों द्वारा विदेशी जहाज-मालिकों की पिछले एक सौ वर्ष से की जा रही सेवा को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी जहाज-मालिक भारत से भारतीय नाविकों को भर्त्ती क्यों नहीं कर रहे हैं ? क्या भारत सरकार विदेशी जहाज-मालिकों पर भारत से भारतीय नाविकों को लेने के लिये दबाव नहीं डाल सकती ?

†डा० प० सुब्बरायन : वे यह जानकारी विदेशी जहाज मालिकों से प्राप्त करें ।

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि ये भारतीय नाविक अधिक मजूरी मांगते हैं और इसलिये वे भर्त्ती का क्षेत्र हमारे देश से हटा कर किसी अन्य देश को बना रहे हैं । माननीय सदस्य पहले पूछताछ करलें और फिर इस मामले को उठायें ।

†श्री मुहम्मद इलियास : भारतीय नाविक संसार भर में सस्ते हैं ।

†श्री रघुनाथ सिंह : जी, नहीं । पाकिस्तानी नाविक सब से सस्ते हैं; वे हमसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : इसमें इतने अधिक सदस्य रुचि ले रहे हैं और मंत्री महोदय के अनुसार हजारों नाविक भर्ती किये जा चुके हैं । अतः वह इस मामले की जांच करें क्योंकि उस क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों का कहना है कि हमारे नाविक सस्ते हैं ।

†डा० प० सुब्बरायन : वास्तव में बम्बई में उनको अभी भी भर्त्ती किया जा रहा है, क्योंकि विदेशी जहाज-मालिकों से हमारे पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप, बम्बई के लोग वह मजूरी लेने को तैयार हो गये हैं जो कम्पनियां देना चाहती हैं । वहां इस संख्या में कमी नहीं हुई है परन्तु कलकत्ता में मामला भिन्न है ।

†अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई हर्ज नहीं है यदि मंत्री महोदय मामले को देखें और पता लगायें कि इसमें क्या किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : जैसा मैंने पहले कहा है कि मैं अभी भी यह पता लगाने के लिये विदेशी जहाज-मालिकों के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा हूं कि क्या वे कलकत्ता से भी भर्त्ती नहीं कर सकते ।

†श्री रघुनाथ सिंह : सरकार की भावी नीति क्या है, क्या वे भविष्य में भी विदेशी राष्ट्र-जनों की भर्त्ती करेंगे ? जो कुछ हमने पहले किया, वह भिन्न बात है ।

†डा० प० सुब्बरायन : यह उस पद पर निर्भर करता है जिस पद पर हम उन्हें भर्त्ती करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे भी पद हैं जिनके लिये भारतीय राष्ट्रजन उपलब्ध नहीं हैं ।

†श्री रघुनाथ सिंह : भारतीय नाविकों के रजिस्टर में १५००० विदेशी राष्ट्रजनों के नाम लिखे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रोजगार भारतीय राष्ट्रजनों को क्यों नहीं दिया जाता । हमारे नाविक विदेशी नाविकों जैसे हैं ?

†श्री ब्रजराज सिंह : और वहां अच्छे व्यक्ति भी हैं ।

†डा० प० सुब्बरायन : उस समय यह इसलिये किये गया था क्योंकि भारतीय नाविक उपलब्ध नहीं थे । उनको यहां लाकर अब हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह सच है कि भारतीय जहाज-मालिक भी विदेशी राष्ट्रजनों को नाविकों के रूप में भर्त्ती कर रहे हैं और भारतीय व्यक्तियों को भर्त्ती नहीं किया जा रहा है और उसी समय पाकिस्तान के व्यक्तियों को भर्त्ती किया जा रहा है ?

†डा० प० सुब्बरायन : हम यह बात अपने जहाज-मालिकों से पूछेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अनुपयोगी पशु

***६६१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दो करोड़ अनुपयोगी पशु हैं जैसा कि कृषि उप-मंत्री श्री कृष्णप्पा ने २५ नवम्बर, १९६० को लोक-सभा में बताया था और यदि हां, तो यह संख्या किस आधार पर निर्धारित की गई है; और

(ख) क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही करने जा रही है जिससे कि ये अनुपयोगी पशु देश पर भार बन कर न रहें ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) २५-११-१९६० को लोक सभा में कृषि के उप-मंत्री जी ने एक विवरण में कहा था कि "२० करोड़ पशुओं में से, लगभग २ करोड़ अलाभकारी और अनुपयोगी पशु हैं ।" यह पशु संरक्षण

†मूल अंग्रेजी में

और विकास समिति की रिपोर्ट (१९४८) पर आधारित था जिसमें अनुमान लगाया था कि देश की कुल पशु-आबादी का लगभग दो प्रतिशत नाकारा है, जबकि आबादी का लगभग ८ प्रतिशत अनुत्पादित है। पशु गणना १९५६ के अनुसार पशु-आबादी २०.४ करोड़ है, इस कुल पशु-आबादी का १० प्रतिशत २ करोड़ होता है।

(ख) पशुओं की हत्या करना जनता की भावनाओं के कारण सीमित है। राज्यों के पशु-पालन विभागों / भारत सरकार ने (१) गोसदनों में बूढ़े और अलाभकारी पशुओं को अलग रखने और (२) निम्न जाति सांडों को बधिया करने की योजनाओं को प्रारम्भ किया है, इन दोनों का उद्देश्य अनुपयोगी-पशुओं की आबादी को, एक परिसीमित मात्रा में, सीमित करना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, पशुओं के घटिया किस्मों का बिना भेदभाव के प्रजनन और बढ़ने को रोकने के लिये निम्न जाति सांडों को बड़े पैमाने पर बधिया करने की एक विस्तृत योजना का भी प्रस्ताव है।

दामोदर घाटी निगम का सिंचाई सम्बन्धी राजस्व

†*६९३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से दामोदर घाटी निगम का सिंचाई सम्बन्धी राजस्व प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और उनका ब्योरा क्या है ; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). इस मामले पर दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच बातचीत की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने लिखा है कि इस मामले पर वे विचार कर रहे हैं और फैसला शीघ्र ही दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों को बता दिया जायगा।

गोमोह स्टेशन पर गाड़ी की टक्कर

†*७०१. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या रेलवे मंत्री ९ जनवरी, १९६१ को गोमोह स्टेशन पर हुई गाड़ी की टक्कर के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

९-१-६१ को वार्षिक परीक्षण स्पेशल गाड़ी पूर्व रेलवे के अप मेन प्लेटफार्म पर आयी। इतने ही समय में लगभग प्रातः ५.२५ बजे धनबाल से चली डीजल क्रैक माल गाड़ी गोमोह स्टेशन के बाहरी और अन्दरूनी सिगनल की परवाह न करते हुए उसी लाइन पर आ गयी और परीक्षण स्पेशल गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गयी जिसके परिणाम-स्वरूप वार्षिक परीक्षण स्पेशल गाड़ी के पिछले दो डिब्बे पटरी से उतर गये और मालगाड़ी के आठ डिब्बों समेत डीजल इंजन पटरी से उतर गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्घटना के फलस्वरूप परीक्षण स्पेशल गाड़ी के ४६ कर्मचारियों को चोट आयी, जिनमें से तीन को गम्भीर चोटें आयीं और बाकियों को मामूली चोट आयी। गम्भीर रूप से जख्मी तीनों कर्मचारियों में से प्रत्येक को २०० रुपये का प्रसादतः भुगतान कर दिया गया है।

रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमान १,४५,००० रुपये लगाया गया है।

वरिष्ठ पदाधिकारी संयुक्त जांच के अनुसार यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई।

दिल्ली को नहरी पानी का संभरण

*७०२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नहरी विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिये दिल्ली प्रशासन ने मांग की है कि दिल्ली को नहरी पानी देने विषयक समस्त प्रबन्ध मुख्य आयुक्त को सौंप दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री : (श्री हाथी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उदयपुर हिम्मतनगर लाइन

†*७०३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर–हिम्मतनगर मीटर गेज रेलवे परियोजना के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) बिछायी जाने वाली रेलवे लाइन की लम्बाई कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) १०.५६ करोड़ रुपये।

(ग) १३७.१४ मील ।

गन्ने का मूल्य निर्धारित करना

*७०५. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने का मूल्य मुख्यतया गन्ने की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) क्या यह सच है कि गन्ने के उत्पादन की लागत प्रति मन क्या होती है इसकी आज तक कोई विधिवत् जांच नहीं की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऐसी अवस्था में गन्ने का प्रति वर्ष मूल्य निर्धारित करते समय गन्ने के उत्पादन की लागत को किस प्रकार विचार में लिया जाता है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) (१) गन्ने के उत्पादन पर व्यय (२) उत्पादक की दूसरी फसलों पर प्राप्ति एवं कृषि पदार्थों के मूल्यों का सामान्य रुख और (३) उपभोक्ता को उचित भाव पर चीनी प्राप्ति---इन सब पर विचार करके गन्ने का न्यूनतम मूल्य गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, १६५५ के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन व्यय आंकने के लिए भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने एक उपसमिति की नियुक्ति की है। इस उपसमिति का कार्य चल रहा है।

(ग) अन्य बातों के साथ इस बात पर भी सामान्य रूप से ध्यान रखा जाता है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत डाक्टर

†७१०. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत काम करने वाले डाक्टर, केन्द्रीय सरकार के अधीन अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों से, जिनकी अर्हताएं उनके बराबर हैं, अधिक वेतन प्राप्त करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन और केन्द्रीय सरकार के अधीन हस्पतालों में समान पदों पर डाक्टरों के वेतन दर समान हैं।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन डाक्टरों को वेतन के ५० प्रतिशत की दर से, जो ४०० रुपये से अधिक न हो, बगैर प्रेक्टिस का भत्ता दिया जाता है और अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों को यह भत्ता वेतन का २५ प्रतिशत दिया जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना लागू हो जाने से सभी मेडिकल अफसरों को २५ प्रतिशत भत्ता दिया जायेगा जो कि १५० रुपये से अधिक नहीं होगा। वास्तव में १३–३–१६५८ के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में आने वालों को २५ प्रतिशत के हिसाब से भत्ता दिया जायेगा जो १५० रुपये से अधिक नहीं होगा ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन डाक्टरों को निर्धारित दर पर यात्रा भत्ता मिलता है। दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है क्योंकि उन्हें घरेलू विजिट नहीं करनी पड़ती है।

डाक और तार विभाग में नियुक्ति के लिये विशेष सूचियां

†७१२. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जिन पदों तथा पदालियों के लिए भरती प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती है, उन सबके लिए विशेष सूचियां बनायी जाया करेंगी;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या टेलीग्राफ मास्टर्स की पदाली के लिए भी उपरोक्त सूची बनायी जाया करेगी;

(ग) यदि नहीं, तो बम्बई मंडल को छोड़कर डाक तथा तार विभाग के अन्य मंडलों में इस प्रक्रिया का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस विषय में गृह-कार्य मंत्रालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

†*७१३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाया जायेगा; और

(ख) इस मामले में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). खड़गपुर यार्ड के पश्चिमी और पूर्वी छोर पर एक ऊपरी सड़क पुल और एक निचला पुल पहले ही है। तथापि यह प्रस्ताव है कि केवल पैदल चलने वालों और साइकल-सवारों की सुविधा के लिए तृतीय योजना में पश्चिमी केबिन के समीप एक पैदल ऊपरी पुल भी बनाया जाये।

सुरेन्द्रनगर में डीजल-ट्रामवे

†*७१४. { **श्री याज्ञिक** :
श्री क० उ० परमार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने सुरेन्द्रनगर स्टेशन और बधवा नगर के बीच चलने वाली डीजल-ट्रामवे को खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) इसे कितने में खरीदा जायेगा;

(ग) रेलवे द्वारा किस तिथि को 'ट्राली' चलायी जायेगी; और

(घ) क्या रेलवे ने इस बारे में कोई जांच की है कि वर्तमान मालिकों को पिछले वर्षों में क्या लाभ अथवा हानि हुई है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़ौदा में डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र

†*७१५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में बड़ौदा में एक डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का था ;

(ख) क्या उसकी स्थापना हो गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़ौदा में एक डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) अभी सरकार ने इस योजना का अनुमोदन नहीं किया है ।

मनीपुर राज्य परिवहन

†*७१६. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य परिवहन ने भारत-बर्मा और टिड्डिम मार्गों पर, आय में हानि होने पर, सभी बसों का चलाना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या आय में इस कथित हानि की कोई यथोचित जांच की गयी थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं । बसें केवल इम्फाल-थौबल और इम्फाल-चूडाचान्दपुर मार्गों पर से हटायी गयीं थी ।

(ख) यह बसें इस लिये हटायी गयीं क्योंकि इन सेक्शनों पर यातायात पर्याप्त नहीं था और इन गाडियों की इम्फाल-दीमापुर सड़क के लिये बहुत आवश्यकता थी, जहां यातायात बहुत है ।

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा नाविकों को तंग किया जाना

†*७१७. **श्री नाथ पाई** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क विनियमों के नाविकों पर लागू किये जाने के पश्चात् नाविकों को तंग किये जाने के बहुत से मामलों की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि है, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस जहाज के, जो कलकत्ता से चल कर मद्रास गोदी में ठहरा था, अधिकारियों के पास जितना रुपया था उसे जब्त कर लिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, हां। इस ख्याल से कि यह दिसम्बर, १९५९ में हुई एस० एस० 'जलविकम' घटना के बारे में है।

(घ) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सामान भत्ते पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण।

बीकानेर-आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ

†*७१८. **श्री कार्णी सिंहजी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर को आगरा और दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण करने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया निश्चय किस प्रक्रम पर है ;

(ख) कार्य कब शुरू होगा और यह कब पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस राजपथ के मार्ग के बारे में अन्तिम रूप से क्या निर्णय किय गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) से (ग). दिल्ली और शाहदरा राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ से मिले हुए हैं। आगरा–जयपुर–बीकानेर मार्ग वर्ष १९६० में राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया गया था। दिल्ली और बीकानेर के बीच एक सीधी सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आगरा और जयपुर के बीच सम्बन्ध को अन्तिम रूप दे दिया गया है। जयपुर और बीकानेर के बीच विभिन्न सम्बन्ध विचाराधीन हैं। शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है। यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आरम्भ किया जायेगा।

आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज का अस्पताल

*७१९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज में जो ६५० बिस्तर वाला अस्पताल बनाया जा रहा है उसके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री द० प० करमरकर) : (क) इस अस्पताल के ओ० पी० डी० खण्ड का निर्माण-कार्य शीघ्र ही एक अनुमोदित ठेकेदार को सौंपा जाने की सम्भावना है। ६५० बिस्तर वाले अस्पताल और तत्सम्बन्धी भवनों के निर्माण के लिये प्राक्कलन विचाराधीन हैं।

(ख) ओ० पी० डी० खण्ड, उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से लगाकर, करीब दो वर्ष की अवधि में पूरा हो जायेगा जब कि अस्पताल-भवन के निर्माण पर, उसके शुरू करने की तिथि से लेकर, लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

डकोटा विमानों का प्रतिस्थापन

†*७२०. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री पांगरकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डकोटा विमानों के प्रतिस्थापन के लिये विमानों के निर्माण के वास्ते लाकहीड विमान निगम से प्राप्त योजना पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†*७२१. श्री कोडियान :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को राज्य में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता की रूपरेखा के बारे में सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पर्यटकों के लिए सर्किट हाउसों का उपयोग

†*७२२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि सर्किट हाउसों को पर्यटकों के लिये खोल दिया जाये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पर्यटक विकास परिषद् ने वर्ष १६५८ में श्रीनगर में हुई अपनी प्रथम बैठक में यह सिफारिश की कि प्रमुख पर्यटन केन्द्रों के समीप राज्य सरकारों के विश्राम गृहों और सर्किट हाउसों को पर्यटकों के लिये खोल दिया जाये और आवंटन 'प्रथम आये, प्रथम पाये' आधार पर किया जाये और यदि यह सम्भव नहीं है तो विश्राम-गृह का एक भाग पर्यटकों के लिये सुरक्षित रखा जाये। उपरोक्त सिफारिश के बारे में केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान की सरकारों और हिमाचल प्रदेश प्रशासन को बता दिया गया और उन से अपने कुछ सर्किट/गेस्ट हाउस आदि, जो पर्यटक रुचि के महत्वपूर्ण स्थानों के निकट हैं, पर्यटकों के लिये खोलने की प्रार्थना की गयी ।

मद्रास और केरल की राज्य सरकारों और हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने सिफारिश मान ली है। मैसूर और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें कुछ शर्तों पर, जिनकी जांच हो रही है, सिफारिशें मानने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने उपरोक्त सिफारिश स्वीकार करना उचित नहीं समझा है ।

दिल्ली में नेत्र बैंक

†*७२३. **श्री सम्पत :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अय्याकण्णु :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली के लिये नेत्र बैंक की आवश्यकता का सुझाव दिया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जम्मू में टेलीफोन एक्सचेंज

†७२४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिहवन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के भद्रवाह, किश्तवाड़ और पुंछ क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की कमी अनुभव की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिये डाक तथा तार सलाहकार समिति ने इन सेवाओं में वृद्धि करने की कोई योजना पेश की है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना पर कितनी लागत आयेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) से (ग). पूंछ, किश्तवाड़ और भद्रवाह में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने की मांग है। इन सभी तीनों स्थानों के लिये सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की मंजूरी दे दी गयी है।

(घ) ४.४५ लाख रुपये।

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

†*७२५. श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ में डाक तथा तार विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जिन पदों के लिये पदोन्नति की जानी थी, उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों के अन्तर्गत कर लिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि १९५८ में इस रियायत को वापस ले लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण थे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ये आदेश वर्ष १९५७ में किसी घटनावश जारी किये गये थे। सरकार ने वर्ष १९५८ में यह स्पष्ट करते हुए आदेश किये थे कि ऐसी पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये कोई रक्षण नहीं है और इसी लिये गल्ती से जो रियायतें दी गयी थीं वे वापस ले ली गयी हैं।

गुजरात के लिए डाक तथा तार विभाग का मंडल

†७२६. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग का गुजरात मंडल बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां।

(ख) यह सर्किल गुजरात राज्य की सीमा के साथ साथ बनेगा।

(ग) और (घ). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ

†*७२७. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :
श्री सुगन्धि :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री क० उ० परमार :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण हो जायेगा, किन्तु लगभग ३५ मुख्य पुलों का निर्माण होना शेष रहेगा ;

(ख) क्या योजना आयोग ने सड़कों के लिये ३० करोड़ रु० का अतिरिक्त आवंटन करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस धनराशि को इन पुलों के लिये निर्धारित किया जा रहा है ताकि हमारे राष्ट्रीय राजपथों का पूरा ढांचा १९६५–६६ तक यातायात के लिये तैयार हो जाये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय राजपथ पद्धति में हाल ही में जोड़े गये तीन नये राष्ट्रीय राजपथों, अर्थात राष्ट्रीय राजपथ संख्या ११ (आगरा–जयपुर–बीकानेर), १२ (जबलपुर–भोपाल–बियोडा) और १३ (शोलापुर–चित्रदुर्ग) को छोड़ कर वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ पद्धति में सभी सड़क सम्बन्धों के तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बन जाने की आशा है और योजना के अन्त में लगभग ३३ बड़ पुलों का निर्माण बाकी रहेगा । इस ३३ पुलों की संख्या में उपरोक्त तीन नये राष्ट्रीय राजपथों पर बगैर पुल वाली नदियों के क्रासिंग पर पुल शामिल नहीं हैं । इन तीन राष्ट्रीय राजपथों पर पुलों के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) और (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा में सड़कों के लिये शामिल कुल उपबन्ध में कुछ समायोजन करके, राज्यों को अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के विकास के लिये सहाय अनुदान के रूप में देने के लिये केन्द्रीय सेक्टर में ३० करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की गयी है । यह धनराशि राष्ट्रीय राजपथों पर टूटे हुये पुलों को बनाने के लिये नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण जनता का कल्याण

†*७२८. { श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री तंगामणि :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जनता के कल्याण के लिये श्री जय प्रकाश नारायण के सभापतित्व में एक ग्रध्ययन दल नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन हैं ग्रौर इस दल के कृत्य क्या हैं ;

(ग) क्या दल ने इस बीच कोई रिपोर्ट पेश की है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) ग्रामीण जनता के गरीब लोगों के लिये श्री जय प्रकाश नारायण के सभापतित्व में एक ग्रध्ययन दल नियुक्त किया गया है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(१) दल के सदस्य

१. श्री जय प्रकाश नारायण . . .	सभापति
२. श्री ग्रन्ना साहब सहस्रबुध . . .	सदस्य
३. श्रीमती सुचेता कृपालानी . . .	सदस्य
४. श्री मं० रं० कृष्ण, संसद् सदस्य	सदस्य
५. श्री ब्रजराज सिंह, संसद् सदस्य . .	सदस्य
६. श्री बी० शिवरमण, सदस्य, राजस्व बोर्ड, उड़ीसा .	सदस्य
७. श्री एल० एम० श्रीकांत, ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के ग्रायुक्त . .	सदस्य

(२) कृत्य

ग्रध्ययन दल के निदेश पद ये हैं :—

(क) इस बात का ग्रध्ययन करना कि ग्राम, खंड ग्रौर जिला स्तर पर सामुदायिक विकास संस्थायें ग्रौर/ग्रथवा पंचायती राज संस्थायें समाज के गरीब सेक्शन के ग्रार्थिक विकास ग्रौर कल्याण में किस प्रकार संवर्द्धन कर सकती हैं ।

(ख) ऐसी कार्यवाहियों का सुझाव देना जिनके द्वारा केन्द्रीय ग्रौर राज्य सरकारों ग्रौर स्थानीय प्राधिकार की विकास योजनाग्रों ग्रौर उपलब्ध वित्तीय सहायता का समाज के गरीब सेक्शनों के लाभ के लिये क्रियाकारी रूप से उपयोग किया जा सके ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली

†१३०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में विलिंगडन अस्पताल, नयी दिल्ली में कितने नये वार्ड बनाये गये ;

(ख) वहां कितने और पलंग की व्यवस्था की गयी है ;

(ग) प्रयोगशाला सहायकों के प्रशिक्षण पर किये गये खर्च का क्या ब्यौरा है ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). स्थान की कमी के कारण १९६०–६१ में विलिंगडन अस्पताल में कोई नये वार्ड नहीं बनाये गये हैं ।

(ग) उक्त अस्पताल में प्रयोगशाला सहायकों के प्रशिक्षण की कोई योजना नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के अस्पतालों में एक्स-रे से चिकित्सा

†१३०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के उत्तरार्ध में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कितने व्यक्तियों का एक्स–रे लिया गया ; और

(ख) वे किस तरह के मामले थे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२ ।]**

नयी रेलवे लाइनें

†१३०४. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये कितनी रेलवे लाइनों की सिफारिश की है ;

(ख) वे कौन कौन सी लाइनें हैं ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने किन्हीं लाइनों को प्राथमिकता देने के सुझाव दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ). तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिकता के क्रम से जिन अठारह लाइनों की सिफारिश की है उनके नाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य रेलवे में चलती गाड़ियों में डकैतियां

†१३०५. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६० से अब तक बम्बई और इटारसी के बीच चलती माल गाड़ियों और सवारी गाड़ियों में कितने डाके पड़े ;

(ख) इन डकैतियों में कितने रुपये का माल और नकदी लूट ली गयी ; और

(ग) इन डकैतियों में कितने यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को चोट लगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). १ अगस्त, १९६० से अब तक बम्बई और इटारसी स्टेशनों के बीच केवल एक बार ही डाका पड़ा जिसमें अपराधी मालगाड़ी के एक डिब्बे पर टूट पड़े और उन्होंने ३५० रुपये मूल्य के चने की ७ बोरियां चुरा लीं।

(ग) अपराधियों द्वारा पत्थर फेंके जाने के कारण रेलवे पुलिस बल के एक रक्षक को, जो मालगाड़ी के साथ जा रहा था, सिर पर चोट आयी।

मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†१३०६. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में मध्य रेलवे के कर्मचारियों ने कितने और किस प्रकार के भ्रष्टाचार किये ;

(ख) प्रत्येक वर्ग के कितने व्यक्तियों को सजा दी गयी ; और

(ग) प्रत्येक वर्ग के कितने व्यक्तियों को निर्दोष छोड़ दिया गया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उस वर्ष में भ्रष्टाचार के साबित मामलों की संख्या ३९ थी। वे मुख्यतः इन श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :—

घूसखोरी और भ्रष्टाचार, टिकट दुबारा बेचना, पास का दुरुपयोग आदि। रेलवे सम्पत्ति का दुरुपयोग और चोरी इत्यादि।

(ख) और (ग). इनमें से दो मामले न्यायालयों के सुपुर्द किये गये और वहीं निबटाये गये जिनमें वर्ग ३ के २ कर्मचारियों को सजा दी गयी और वर्ग ४ के १ कर्मचारी को निर्दोष छोड़ दिया गया। बाकी मामलों में विभाग ने ही कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की।

महाराष्ट्र में मेडिकल कालेज

†१३०७. **श्री पांगरकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक महाराष्ट्र के मेडिकल कालेजों को कितनी रकम दी गयी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मेडिकल कालेज, जामनगर की स्थापना के लिए संयुक्त बम्बई राज्य को ४०,९८,०४६ रुपये (अनुदानों की इकट्ठी रकम को छोड़कर) की रकम मंजूर की गयी थी। इसके अलावा १९५८–५९ में "चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण" समूह के लिए अनुदान की इकट्ठी रकम के तौर पर १४·८३ लाख रुपये संयुक्त बम्बई राज्य के लिए मंजूर किये गये थे। १९५९–६० में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

समर्थित सभी योजनाओं के लिए इकट्ठा अनुदान के तौर पर ४६.३५ लाख रुपये की रकम मंजूर की गयी थी। वर्ष १९६०–६१ में उसी प्रयोजन के लिए ५१.३१ लाख रुपये दिये गये थे।

महाराष्ट्र में आहार गृह

†१३०८. **श्री पांगरकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में आहार गृह (डायट किचन) स्थापित करने तथा आहार शास्त्र विशेषज्ञों की नियुक्ति की योजना कार्यान्वित करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : महाराष्ट्र राज्य में आहार-गृह (डायट किचन) स्थापित करने की योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूर कर ली गयी थी। उस के लिये जरूरी साजसामान प्राप्त किया जा रहा है और अनुमान है कि निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायगा। जब आहार-गृह बनकर तैयार हो जायगा तब राज्य सरकार एक आहार-शास्त्र विशेषज्ञ नियुक्त करेगी।

महाराष्ट्र मे कुष्ठ रोग

†१३०९. **श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में अब तक कुष्ठ रोग के निवारण और इलाज के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय सहायता महाराष्ट्र राज्य को दी है; और

(ख) यदि हां तो कितनी?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख) कुष्ठ नियंत्रण की योजना एक ऐसी योजना है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार सहायता देती है। बंबई के संयुक्त राज्य में कुष्ठ नियंत्रण योजना सहित उन सभी योजनाओं के लिए जिनके लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है, १९६०–६१ के द्वितीय वर्ष में ४४ लाख रुपये की इकट्ठी रकम अस्थायी रूप से नियत की गयी थी।

राल और तारपीन का उत्पादन

†१३१०. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९५९ में प्रत्येक राज्य में राल और तारपीन का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक राज्य में जंगलों से कितनी कच्ची राल इकट्ठी की गयी है?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चावल का प्रति व्यक्ति उपभोग

†१३११. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फिलहाल चावल का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है;

(ख) जापान और चीन के मुकाबले में वह कितना है; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में देश में चावल के कुल उत्पादन और उपभोग का क्या अनुमान है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) विनियंत्रण की दशा में और विभिन्न अनाज के उपभोग के विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बिना, देश में चावल के प्रति व्यक्ति उपभोग का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी देश में १६६० में प्रति व्यक्ति उपभोग के लिए, बीज, बरबादी आदि के लिए निकालकर, लगभग ६.४४ औंस प्रति दिन चावल उपलब्ध था। यहां इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि देश में चावल की यह वास्तविक उपलब्धि केवल औसत प्रति व्यक्ति है कुछ क्षेत्रों में चावल का उपयोग नगण्य है जब कि मुख्यतः चावल खाने वाले क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग काफी अधिक है। इसलिए प्रति व्यक्ति आधार पर वास्तव में उपयोग किये गये चावल की मात्रा प्रत्यक राज्य में भिन्न भिन्न है।

जापान में १६५४–५५ में चावल का प्रति व्यक्ति उपभोग १० औंस प्रतिदिन था। बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चीन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतिम वर्ष, १६६०–६१ में देश में चावल के कुल उत्पादन और संभावित्त उपयोग के बारे में अभी बताना संभव नहीं है। १६६०–६१ में चावल का उत्पादन लगभग २.६३ करोड़ टन था। वर्तमान अनुमान के अनुसार १६६०–६१ की चावल की फसल पिछले साल की फसल से संभवतः अधिक अच्छी होगी और इसलिए इस वर्ष उपभोग के लिए चावल पिछले साल की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा।

तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना

†**१३१२. श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना, दौर १ से कुड्डापा जिले के किसी भाग को लाभ पहुंचेगा ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक और किन किन गांवों को लाभ पहुंचेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वोत्तर रेलवे में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम

१३१३. श्री खुशवक्त राय : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का समय ४५ दिन है जब कि उत्तर रेलवे में उन्हीं वर्गों के लिए उसका समय केवल १५ दिन ही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में उम्मीदवारों को परीक्षा में ६० प्रतिशत अंक प्राप्त न करने पर रोक लिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं और एकरूपता लाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां। मौखिक परीक्षा में इन कोटियों के लिए—

१. सेक्शन मेट।
२. सहायक रेल-पथ निरीक्षक/नायब रेल-पथ निरीक्षक।
३. रेल-पथ निरीक्षक (सभी ग्रेड के)
४. स्टेशन मास्टर।
५. यातायात निरीक्षक/सहायक यातयात निरीक्षक।
६. सहायक स्टेशन मास्टर।
७. गार्ड।
८. टिकट-कलेक्टर-चल टिकट/परीक्षक।
९. केबिनमैन।

(ग) सवाल नहीं उठता।

राजस्थान में नई रेल लाइनें

†१३१४. { **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री ओंकार लाल :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए, बीकानेर डिवीजन को खास तौर से ध्यान में रखते हुए राजस्थान के लिए कितनी नयी रेल लाइनों की सिफारिश की गयी है और उनमें से प्रत्येक लाइन कितनी लम्बी होगी;

(ख) इन लाइनों के लिये किस प्राथमिकता का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). राजस्थान सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये प्राथमिकता क्रम से निम्नलिखित चार नयी लाइनों की सिफारिश की है :—

१. रतलाम डूंगरपुर बरास्ता बांसवाड़ा और गलियाकोट
२. टोडरईसिंह—देवली—बूंदी—कोटा
३. कोटा-चित्तौड़गढ़
४. सिरमथूरा-गंगापुर बरास्ता करौली।

इनमें से कोई भी लाइन बीकानेर डिवीजन में नहीं पड़ती।

(ग) तीसरी योजना में शामिल करने के लिये योजना आयोग ने अब तक जिन नयी लाइनों के लिये मंजूरी दी है उन लाइनों की सूची में इन योजनाओं में से एक भी नहीं है।

डाक-तार विभाग में भ्रष्टाचार के मामले

१३१५. श्री कुंभार : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में देश के विभिन्न डाकमण्डलों (पोस्टल सर्कल्स) में से प्रत्येक डाकमण्डल (पोस्टल-सर्कल) में प्रत्येक श्रेणी के डाक तथा तार कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कितने और किस प्रकार के मामले हुए;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन मामलों में किस प्रकार का दण्ड दिया गया;

(ग) प्रत्येक डाक-मण्डल में अभी कितने मामलों का फैसला नहीं हुआ है; और

(घ) उनके फैसले में देर के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४]**

डाक-तार कर्मचारियों का कल्याण

†**१३१६. श्री कुंभार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन साल में उड़ीसा सर्किल में डाक तार विभाग के कर्मचारियों के लिए किये गये कल्याण कार्यों का क्या ब्यौरा है और उन पर कितना खर्च किया गया ; और

(ख) इसी प्रयोजन के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए जो कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिद्धपुर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर जुर्माना किया जाना और इकट्ठा करना

†**१३१७. श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के सिद्धपुर तथा अन्य स्टेशनों पर इस पार से उस पार जाने वाले अबोध और निर्दोष ग्रामीणों पर इस आधार पर भारी जूर्माना लगाया जाता है कि उनके पास प्लैटफार्म पास या टिकट नहीं होते; और

(ख) यदि हां तो १६५६-६० में कुल कितना जूर्माना इकट्ठा किया गया और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में डाक-तार कर्मचारी

†**१३१८. श्री सरजू पांडेय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६६० के अन्त में उत्तर प्रदेश सर्किल में प्रत्येक श्रेणी के और प्रत्येक पोस्टल डिवीजन में कितने डाक-तार कर्मचारी थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उत्तर प्रदेश सर्किल में प्राप्त शिकायतें और सुझाव

†**१३१९. श्री सरजू पांडेय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६०-६१ में अब तक डाक तार के उत्तर प्रदेश सर्किल के डाक अधीक्षकों और निदेशकों को कितनी शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये शिकायतें और सुझाव किस प्रकार के हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) अभी तक कितनी शिकायतें और सुझाव पड़े हुए हैं जिन पर कार्यवाही नहीं की गयी और उसके क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क)

शिकायतें . .	७१०१३
सुझाव	७

(ख) शिकायतें डाक की वस्तुएं पहुंचाने में देर तथा खो जाने और मनीआर्डर के भुगतान में देर तथा उनके खो जाने के बारे में थीं। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी शिकायतें विविध मामलो जैसे दावों का निबटारा, अशिष्ट व्यवहार आदि के सम्बन्ध में थीं।

सुझाव अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता, जनता के लिये अलग साइकिल स्टैन्ड स्मृति डाक टिकट जारी किये जाने के समय पहले दिन लिफाफों की पर्याप्त पूर्ति, उन डाकखानों में बचत बैंक काउण्टर खोलना जहां बचत बैंक का काम बहुत अधिक हो और मऊथान-भंजन डाकखाने में टेलीफोन बूथ में बैठने की उचित व्यवस्था के बारे में थे।

निबटायी गयी शिकायतों की संख्या	६३,१९६
निबटाये गये सुझाव . .	७
(ग) जिन शिकायतों की जांच हो रही है . .	७,८१७
विचाराधीन सुझाव . . .	कोई नहीं

शिकायतें प्राप्त होने के बाद उनके निबटारे में कुछ समय लगता है और इसलिये कुछ प्रतिशत शिकायतें अवश्य ही सदा विचाराधीन रहेंगी।

उत्तर प्रदेश के गांवों में पानी की सप्लाई

†१३२०. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को गांवों में पानी पहुंचाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	(लाख रुपयों में रकम)
१९५६–५७	२८.५०
१९५७–५८	७.००
१९५८–५९	६०.००
१९५९–६०	१५.००
जोड़	६०.५०

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन

†१३२१. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक उत्तर प्रदेश में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये ;

(ख) इन केन्द्रों को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ग) क्या पिछले तीन साल में परिवार नियोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दी गयी रकमों का पूरा पूरा उपयोग किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में दिसम्बर, १९६० तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में ११५ नगरीय और ३८ ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र खोले थे।

(ख) उपर्युक्त परिवार नियोजन केन्द्रों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये खर्च के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी १९५९–६० तक उत्तर प्रदेश सरकार को ६,५४,८४९ रुपये के अनुदान मंजुर किये गये थे और १९६०–६१ के लिये राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये ९ लाख रुपये नियत किये गये हैं।

(ग) और (घ). आवश्यक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†१३२२. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक किन किन स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं; और

(ख) उस अवधि में इन केन्द्रों को कितनी सहायता दी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

जम्मू और कश्मीर के लिए स्वास्थ्य परियोजनाएं

†१३२३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में निम्नलिखित परियोजनाओं के अधीन अमेरिका से प्राप्त सहायता से जम्मु और काश्मीर को कितनी सहायता दी गयी है :

(१) मेडिकल कालेज और उसी तरह की संस्थाएं।

(२) स्थिति ज्ञान प्रशिक्षण परियोजनाएं।

(३) राष्ट्रीय जल संभरण और सफाई कार्यक्रम।

(४) राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम।

(५) राष्ट्रीय पीलपांव नियन्त्रण कार्यक्रम; और

(६) कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अमेरिका से प्राप्त सहायता से १९६०–६१ में जम्मु और कश्मीर को कोई सहायता नहीं दी गयी है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बनाया गया सब से अधिक तेज चलने वाला जहाज

†१३२४. **श्री न० म० देव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम द्वारा बनाये गये अत्यधिक तेज चलने वाले जहाज की लागत क्या है तथा जहाज बनाने में कितना समय लगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा अब तक बनाया गया सब से अधिक तेज़ रफ्तार वाला जहाज 'स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, है" जिस की रफ्तार१७ . २ नॉट प्रति घंटा है। जहाज की लागत अनुमानत: १९५ लाख रुपये है जिस का अभी अन्तिम रूप में फैसला नहीं किया गया है। जहाज २७ महीनों में पूरा हुआ था।

आंध्र में कृषि विश्वविद्यालय

†१३२५. { **श्री उस्मान अली खां** :
श्री रामी रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिसदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने आंध्र प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपना मत बता दिया है ;

(ग) क्या समिति ने गुंटूर में एक स्थान देख लिया है ; और

(घ) क्या उस पर कोई कार्रवाई की जा चुकी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). आंध्र प्रदेश सरकार ने १९५७ में राज्य में एक कृषि संबंधी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न का परीक्षण करने तथा उस बारे में प्रतिवेदन पेश करने के लिये नौ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। उस समिति ने राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की और गुंटूर जिले के बापातला एवं हैदराबाद में राजेन्द्र नगर को प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान बताया। १९६० में, भारत सरकार ने राज्य सरकार को कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये अपने प्रस्ताव बनाने में सहायता देने के लिये एक चार सदस्यीय समिति नियुक्त की। इस समिति ने हाल ही में आंध्र प्रदेश का दौरा किया और वहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी मसौदा विधेयक के उपबन्धों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है। इस समय वह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

तीसरी योजना में देश में कृषि संबंधी विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी प्रश्न अभी विचाराधीन है। आंध्र प्रदेश सरकार की प्रस्थापना पर, जब वह प्राप्त हो जायगी, तीसरी योजना अवधि में देश में कृषि सम्बन्धी विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में निर्णय किये जाने के पश्चात्, ऐसी अन्य प्रार्थनाओं के साथ साथ, उचित रूप से विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में बड़े पैमाने के उद्योग

†१३२६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री २१ दिसम्बर १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली शहर में भीड़ को, तथा भूमि के भार को कम करने के लिये, राजधानी से ५० मील के अर्धव्यास के अन्दर बड़े पैमाने के और उद्योगों को रोकने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** दिल्ली प्रदेश में उद्योगों की व्यवस्था तथा स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव दिल्ली की मसौदा मास्टर प्लान में शामिल है, जो इस समय दिल्ली विकास प्राधिकार के विचाराधीन है ।

केरल के लिये डाक परिमण्डल

१३२७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री पं० वें० ईयाचरण :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १४ दिसम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न-संख्या १८११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के लिये एक अलग डाक परिमण्डल स्थापित करने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उस के बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या केरल के अतिरिक्त वर्तमान डाक परिमण्डलों का पुनर्गठन करने का सामान्य प्रश्न भी विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन परिमण्डलों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केरल के लिये एक अलग डाक परिमण्डल बनाने के प्रश्न की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) जी हां ।

(ग) मौजूदा राजस्थान, सेन्ट्रल तथा बम्बई परिमण्डलों में परिवर्तन करने तथा गुजरात में एक नया परिमण्डल स्थापित करने के प्रश्न विचाराधीन हैं जिस से कि उन की सीमायें न्यूनाधिक रूप में वही रहें जो सम्बन्धित प्रदेशों की सीमायें हैं ।

डाक घर से बीमाकृत पार्सल का गुम हो जाना

†१३२८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २२ दिसम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमाकृत पार्सल के गुम हो जाने के बारे में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मत्स्यग्रहण समवाय

†१३२९. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी मत्स्यग्रहण समवायों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). केवल दो प्रस्ताव—एक ताइयो फिशिंग कम्पनी[1] से और दूसरा एची प्रिफेक्चरल गवर्नमेंट से, जिन का ८ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२१७ के उत्तर में उल्लेख किया जा चुका है, प्राप्त हुए हैं । ऐची प्रिफेक्चरल गवर्नमेंट के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और ६० टन का रिसर्च जहाज "कैको मारू" २२ जनवरी, १९६१ को ४० दिन की अवधि के लिये मैसूर के समुद्र तट पर प्रयोगात्मक ढंग से मछली पकड़ने के लिये, मंगलौर पत्तन पर पहुंच गया । 'एची प्रिफैक्चर' के साथ भावी सहयोग की संभाव्यताओं पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

प्रबंध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

†१३३०. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री ३१ अगस्त १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि भारतीय रेलों में वर्कशापों के प्रबंध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिये जाने के लिये क्या तरीका अपनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

पंजाब में नल कूप बनाने का काम

†१३३१. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि राज्य में प्रयोगात्मक नल कूप सम्बन्धी काम राज्य सरकार को सौंप दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fising Companies.

दिल्ली में श्रवण विज्ञान केन्द्र[1]

†१३३२. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कानों के इलाज के लिये एक श्रवण विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खाद्य में मिलावट को रोकना

†१३३३. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य में मिलावट को रोकने का प्रशासन संभालने तथा विधि को अधिक कड़ी बनाने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : खाद्य में मिलावट को रोकने के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है और भारत सरकार द्वारा इसे हाथ में लिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विधि को अधिक कड़ी बनाने के बारे में स्थिति पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने अक्तूबर १९६० में जयपुर में अपनी आठवीं बैठक में पुर्नविचार किया था और निम्न संकल्प पारित किया था—

"केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने खुराक में मिलावट को रोकने के अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों को लागू करने के बारे में चालू स्थिति पर विचार करने के पश्चात् यह विचार किया है कि खुराक में मिलावट को रोकने के लिये यह आवश्यक है :

(१) कि पहले अपराध के लिये ५०० रुपये का कम से कम जुर्माना रखा जाय। जांच मैजिस्ट्रेट अपने फैसले में दर्ज किये जाने वाले कारणों से इस कम से कम ५०० रुपये को घटा भी सकता है ;

(२) अधिनियम में इस प्रकार संशोधन किया जाय कि नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षकों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण किया जाय ;

(३) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम की धारा १० (७) में इस प्रकार संशोधन किया जाय कि जब विश्लेषण के लिये नमूना लिया जाय तो दो की बजाय केवल एक साक्ष्य ही काफी समझा जाना चाहिये ;

(४) कि अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाय ताकि अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगों के निपटाने के लिये निम्नतम अवधि निर्धारित की जाय।

(५) कि राज्य सरकारों से प्रार्थना की जाय कि वे स्थानीय प्राधिकारों को अनुदेश दें कि वे अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों को अच्छी तरह लागू करें।"

परिषद् ने खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ में संशोधनों के जो सुझाव दिये थे, वे राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासनों को भेजे जा चुके हैं जिन के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Audiological Centre.

खाद्यान्नों में मुनाफाखोरी पर रोक

१३३४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों में मुनाफाखोरी को रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और उन्हे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ख) क्या खाद्यान्नों के मूल्य गिराने और मुनाफाखोरी को रोकने के लिये तैयार की गयी योजना की रूप रेखा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) वर्तमान स्थिति में जब कि खाद्यान्नों के मूल्यों में मन्दी का रुख है, मुनाफाखोरी की गुंजायश नहीं के बराबर है। सस्ते अनाज की दुकानों पर उपयुक्त मूल्यों पर सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बांटना और सरकार के पास भारी मात्रा में सुरक्षित भण्डार का होना, व्यापारियों की संग्रह करने और सट्टे बाजी की प्रवृत्तियों को रोकता है ।

दिल्ली में स्वास्थ्य संग्रहालय

†१३३५. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्वास्थ्य संग्रहालय योजना का व्योरा तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संग्रहालय की मुख्य रूपरेखा क्या है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) अभी नही ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में नदियों का सर्वेक्षण

१३३६. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछलियों के उत्पादन के हेतु हिमाचल प्रदेश में नदियों का सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो किन-किन का; और

(ख) खाद्य की कमी को पूरा करने में यह कहां तक सहायक होगा ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां, । यमुना, गिरि, सतलुज, सिर, धम्बर, ब्यास, सुक्ति, रावि, लम्बाधाग, उहल, बास्प्पा, पावेर नदियों और उनकी सहायक नदियों का, जिनकी लम्बाई ७०० मील है, सर्वेक्षण किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नदी-तरीका और कृषि विधियों के ७०० मील लम्बे रास्ते के संरक्षण उपायों से, वर्तमान मछली उत्पादन ६००० मन बढ़ कर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ८००० मन हो जायेगा ।

विदेशी पर्यटक

१३३७. { श्री पद्म देव :
श्री सुबिमन घोष :
श्री हेमराज : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में कितने विदेशी पर्यटक भारत आये और इससे सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : १६६० में कुल १,२३,०६५ विदेशी पर्यटक (पाकिस्तान विदेशियों को छोड़कर) भारत आये ।

इस प्रकार प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । ये आंकड़े रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और सामान्यतः अगले वर्ष के मध्य तक विज्ञापित किये जाते हैं ।

हिमाचल प्रदेश में बाढ़

१३३८. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के महासू जिले की तहसील रोद के सीमावर्ती क्षेत्र में धान की जो बहुत अच्छी फसल हुई थी वह पव्वर की नदी की बाढ़ के कारण नष्ट हो गई ; और

(ख) इसको सुधारने और उसे पुनः सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कदम उठाये गये अथवा जाने वाले हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टबल पर रख दी जायेगी ।

मेंढक का मांस

†१३३९. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में मेंढकों के गोश्त को प्रचलित करने का विचार किया है और साधारणतया उपयोग में लाये जाने वाले अन्य प्रकार मांश की तुलना में मेंढक के मांस में खाद्य तत्व क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : देश में मेंढक के मांस को प्रचलित करने के प्रश्न भारत सरकार ने विचार किया है और भारत की जनता को मेंढक का मांस खाने की आदत नहीं है और वह इसे खाने को उनका मन भी नहीं मानता । मेंढक के मांस में खाद्य तत्व चूजें के मांस के बराबर हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत नार्वे मत्स्यपालन परियोजना

†१३४०. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्वे की सहायता में से भारत-नार्वे मत्स्य पालन परियोजना में, काम पर लगे हुये नार्वे के लोगों पर होने वाले व्यय तथा नार्वे से परियोजना को देखन के लिये आने वाले लोगों पर होने वाले व्यय पर, कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ; और

(ख) क्या यह सच है कि नार्वे संसद के सदस्यों समेत बहुत से नार्वे वासी भारत आये, जिनका खर्च परियोजना निधि में से दिया गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) १९५२ में परियोजना के आरम्भ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक भारत-नार्वे परियोजना में काम करने वाले नार्वे के लोगों के वेतन, भत्तों और यात्रा भत्तों पर व्यय की गयी कुल राशि तथा नार्वेजियन फांउन्डेशन के बोर्ड के प्रतिनिधियों. एवं नार्वेजियन संसदीय शिष्टमंडल के लोगों के यात्रा भत्तों पर अनुमानतः ६२,४४,८५६ रुपये खर्च हुये हैं ।

(ख) जी, हां ।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†१३४१. **श्री वें० पं० नायर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की सांख्यकी से इस बात का क्या पता चला है कि (१) चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में, तथा (२) श्रेणी २ एवं (३) श्रेणी १ के सरकारी कर्मचारियों में से कितने लोगों को क्षय रोग है ; और

(ख) उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के क्षय रोग के इलाज के लिये कितने बैड उपलब्ध हैं, जो अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आते हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों में कितने लोगों को क्षय रोग है, इस बात का निश्चय उनकी कुल जनसंख्या का सर्वेक्षण करके ही किया जा सकता है; तथापि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियों में उपस्थिति के आंकड़ों से पता चलता है कि इन कर्मचारियों में एक हजार में से ५.९८ ने १९६० में क्षय रोग का इलाज करवाया है । इस समय केन्द्रीय सरकार के सब कर्मचारियों का एक्सरे किया जा रहा है, जिसके परिणाम इस वर्ष के अन्त तक मालूम हो जायेंगे ।

(ख) इस योजना में आने वाले लोगों के लिये बिस्तर आरक्षित नहीं किये जाते किन्तु निम्न संस्थाओं द्वारा 'जब कभी आवश्यकता हो' के आधार पर दे दिये जाते हैं :—

१. लाला रामस्वरूप टी० बी० हस्पताल, मेहरोली ।

२. सिल्वर जुब्ली टी० बी० हस्पताल, किंग्सवे, दिल्ली ।

३. लेडी लिनलिथगो सेनेटोरियम, कसौली ।

४. मादार यूनियन सेनेटोरियम, मादरा, अजमेर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३१ दिसम्बर, १९६६ को इस योजना के अन्तर्गत आने वाले लोग इन सैनेटोरियमों में १९६ बिस्तर पर थे ।

प्रादेशिक कुक्कुटपालन फार्म, भुवनेश्वर

†१३४२. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में प्रस्तावित प्रादेशिक कुक्कुटपालन फार्म अब तक पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस कार्य में कुल कितने पक्षी हैं ; और

(ग) यह किस प्रकार राज्य में मुर्गीपालन के विकास में सहायक हो रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** :(क) जी, हां। फार्म अस्थायी इमारतों में जनवरी १९६० में स्थापित हुआ था। फार्म की स्थायी इमारत का नियोग हाल ही में आरम्भ हुआ है।

(ख) ३९७९ ।

(ग) फार्म का मुख्य कार्य है कि पूर्वी क्षेत्र के राज्यों संघ राज्यों क्षेत्रों, अर्थात् पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर में राजकीय मुर्गीपालन फार्मों को, आधार स्टाक के रूप में उपयोग में लाने के लिये उपयुक्त, एक दिन के चूजो का संभरण करे १ फरवरी १९६१ तक फार्म ने ९३६७ चूजे, २३० युवा मुर्गे, १२१ अण्डे, प्रजनन कार्य के लिये, उड़ीसा समेत, इस क्षेत्र के राज्यों को दिये हैं ।

'जल पुष्प'

†१३४३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी १९६१ में 'जल पुष्प' रूप नारायण नदी के साथ हुगली नदी के मिलाप के स्थान पर भूमि में धंस गया ; और

(ख) यदि हां, तो शस का क्या व्योरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख) जी, हां। बंबई मेसर्स सिंदिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड का जहाज 'जलपुष्प', ५ जनवरी, १९६१ को लगभग १४.०२ बजे रूप नारायण नदी के मिलाप के 'फोर्ट मानिंगटन प्वाइंट' पर भूमि में धंस गया। इसके पश्चात् जहाज ६ जनवरी १९६१ को कलकत्ता पत्तन आयुक्त के टगों की सहायता से ०२.०७ बजे पुनः जल पर तैरने लगा। जहाज या माल को कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं पहुंची।

रूसी पर्यटक जहाज

†१३४४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रूसी पर्यटक जहाज १९६१ में भारत में आने का कार्यक्रम बना रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : जी, हां। यह ख्याल है कि 'ऐस्टोनिया' नाम का एक रूसी ३१ मार्च १९६१ को लगभग ३०० पर्यटकों के साथ बम्बई पहुंचेगा, जो २ अप्रैल १९६१ को उसी जहाज के द्वारा बम्बई में तीन दिन ठहर कर भारत से चले जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अगरतला नगरपालिका

†१३४५. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के जिला मैजिस्ट्रेट ने, जो इस समय अगरतला नगरपालिका का कार्यपालिका प्रमुख भी है, अगरतला नगर की सब सड़कों को, निर्माण, मरम्मत, मैटलिंग, सुग्राइनिंग आदि के लिये अगरतला नगरपालिका के अधीन देने आदि के बारे में त्रिपुरा प्रशासन के सम्बन्ध में प्राधिकारियों से चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा प्रशासन जिला मैजिस्ट्रेट के प्रस्ताव के अनुसार कार्य करने का विचार रखता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

क्रय संबंधी संविदाएं

†१३४६. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में १० लाख रुपये या उस से अधिक लागत की जो क्रय संबंधी संविदायें की गई हैं, उन के ब्योरे क्या हैं ;

(ख) उन में कितनी भारतीय थे और कितने विदेशी ;

(ग) इन संविदाओं में कुल कितना भुगतान किया गया है; और

(घ) कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

खेतड़ी को रेलवे लाइन

†१३४७. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **रेलवे** मंत्री २३ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है कि राजस्थान के झुनझुन जिले के खेतड़ी में स्थापित किये जाने वाले प्रस्थापित तांबा गलाने के कारखाने के लिये यातायात की सुविधा के लिये खेतड़ी तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) वह अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक उड्डयन

†१३४८. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री दी० च० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में असैनिक उड्डयन के विकास के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ;

(ख) किन किन नये क्षेत्रों में विमान सेवा प्रारम्भ की जायेगी और कब से ;
योजना है ; और

(ग) क्या मुख्य लाइनों की विमान सेवाओं की बारम्बारिता को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई योजना है; और

(घ) यदि हां तो कब से ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (घ). तृतीय पंचवर्षीय योजना में असैनिक उड्डयन परिवहन के सम्बन्ध में तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में बता दिया गया है जिस की एक प्रति १ अगस्त, १९६० को योजना आयोग द्वारा लोक सभा पटल पर रख दी गई थी ।

गुजरात में विद्युत संभरण

१३४९. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने गुजरात राज्य के सहयोग से गुजरात के ग्रामों और नगरों को विद्युत् का संभरण करने के लिये ग्रिड विद्युत् की एक योजना बनाई है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पिम्पेरखेड के निकट गाड़ी का पटड़ी से उतर जाना

†१३५०. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **रेलवे** मंत्री ९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई जाने वाली कलकत्ता मेल के डिब्बों के पिम्पेरखेड के निकट पटरी से उत्तर जाने के कारणों का विनिश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) पटडी से उतरने का कारण यह था कि दो स्लीपरों के जोड़ अचानक टुट गये थे । क्योंकि यह घटना अकस्मात हुई थी, इसलिये किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डीजल रेल कार सेवा

†१३५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–सदूलपुर और दिल्ली-हिसार के बीच डीजल कार सेवा चालू करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव है ;

(ख) यदि हां, तो ये सेवायें कब तक चालू कर दी जायेंगी ;

(ग) क्या पुरानी कारों की मरम्मत कर दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) १-४-१९६१ से सदर बाजार और सदूलपुर तथा दिल्ली सराय रोहेला और हिसार के बीच ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) रेल कारों की मरम्मत की जा रही है और यह कार्य १-४-६१ तक पूरा हो जायगा ।

कम्पाउन्डर

१३५२. **श्री जगदीश अवस्थी : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फरवरी १९६० में यह आदेश निकाला था कि सरकारी नौकरियों में काम करने वाले प्रत्येक कम्पाउन्डर को फार्मेसिस्ट काउन्सिल द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक का लेना आवश्यक है ;

(ख) प्रमाण-पत्र की कौन-कौन सी विभिन्न श्रेणियां हैं और किस योग्यता का व्यक्ति किस श्रेणी का प्रमाण-पत्र लेने का अधिकारी है ;

(ग) कितने कम्पाउन्डरों ने प्रमाण पत्रों के लिये आवेदन किया है और क्या उन सब को ये प्रमाण-पत्र मिल गये हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो अब तक प्रमाण-पत्र न दिये जाने का क्या कारण है ; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) फार्मसिस्टों का रजिस्ट्रेशन राज्य फार्मेसिस्ट काउन्सिलें करती हैं । फार्मेसी अधिनियम १९४८ की धारा ३१ और ३२ में उल्लिखित कोई भी योग्यता जिन व्यक्तियों के पास है वे फार्मेसिस्ट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं । इस के अतिरिक्त अधिनियम की धारा ३२ ए के अधीन भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है । यह व्यवस्था फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम १९५९ के द्वारा की गई ताकि विस्थापित व्यक्ति, भारत से बाहर किसी भी देश में फार्मेसी का व्यापार या व्यवसाय करने वाले भारतीय नागरिक, ऐसे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो बाद में भारत का प्रदेश बन गया हो, ऐसे व्यक्ति जो प्रार्थना-पत्र विलम्ब से भेजने के कारण फार्मेसिस्टों के प्रथम रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन न करा सके हों आदि अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करने वाले कम्पाउन्डरों की संख्या के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। फार्मेसी एक्ट १९४८ की व्यवस्था के अधीन १९५९ में ४२,०३० व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इस संख्या में पहले के भाग (ख) राज्य अर्थात्, केरल, मैसूर, राजस्थान आदि में रहने वाले फार्मेसिस्टों की संख्या शामिल नहीं है जिन में कि फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम १९५९ के प्रवर्तन से १ मई १९६० को फार्मेसी अधिनियम, १९४८ के उपबन्ध लागू किये गये।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसे जैसे अपेक्षित योग्यता प्राप्त व्यक्तियों से नये प्रार्थना-पत्र मिलते रहेंगे, राज्य फार्मेसी काउन्सिलें फार्मेसिस्टों का रजिस्ट्रेशन करती रहेंगी।

जम्मू तथा काश्मीर में तापीय विद्युत् केन्द्र

†१३५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लिगनाइट पर आधारित एक तापीय विद्युत् केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) वह कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री सैलम परियोजना

†१३५४. { **श्री रामी रेड्डी** :
श्री वेंकटा सुब्बैया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १४ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने श्री सैलम विद्युत् परियोजना रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या उस के लिये मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) क्या इस परियोजना के लिये कोई वित्तीय मंजूरी दी गई ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). वह रिपोर्ट अभी तक विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

† मूल अंग्रेजी में

कैन्सर

१३५५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुलगारिया की ओकोलौजिकल संस्था के रसायनविदों तथा वैज्ञानिकों ने देनारसीमस पोयटिक्स' नामक पौध से कई एसे तत्व निकाले हैं जो निश्चित रूप से कैन्सर व्याधि का निरोध कर घाव जल्द भर देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत उसका प्रयोग करेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार के पास बुलगारिया की ओकोलौजिकल संस्था में किये गये प्रयोगों के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात के लिये कोयले के वैगन

**†१३५६. { श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री क० उ० परमार : }**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में लघु उद्योगों के इस्तेमाल के लिये गुजरात राज्य को एक लाख तीस हजार कोयले के वैगनों की आवश्यकता थी, परन्तु वास्तव में कोयला कमिशनर द्वारा इसके लिये केवल ८० हजार डिब्बे ही आवंटित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोयले की कमी के कारण गुजरात के उद्योगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). भूतपूर्व बम्बई राज्य के उन जिलों के लिये जो कि अब गुजरात में चले गये हैं, लघु उद्योगों के लिये निम्नलिखित वार्षिक कोटे निर्धारित किये गये थे :—

१९५८	२०२० डिब्बे
१९५९ . . .	२०२० ,,
१९६०	२०२० ,,

अगस्त, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक की अवधि में गुजरात राज्य को औसत १४७ माल डिब्बे प्रतिमास संभरित किये गये थे जिसका अर्थ है १७६४ माल डिब्बे वार्षिक का संभरण।

गुजरात सरकार द्वारा भजे गये आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि राज्य को पहले वर्ष की अपेक्षा १७ प्रतिशत अधिक कोयला मिला है, यद्यपि इससे भी सम्पूर्ण माँग पूरी नहीं हुई है ।

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मांग बढ़ती जा रही है, कलकत्ता से समुद्र के मार्ग का अधिक उपयोग करने और पश्चिमी भारत के सभी उपभोक्ताओं की मांगों को केन्द्रीय भारत

†मूल अंग्रेजी में

(कोरिया तथा रीवा) तथा पेंच घाटी कोयला क्षेत्रों से पूरा करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, ताकि बंगाल/बिहार से रेलवे यातायात की अधिक भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। इस क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में कोयले के स्थान पर ईंधन तेल के इस्तेमाल के सम्बन्ध में भी विचार किया है।

पटसन के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता

†१३५७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने पटसन के संभरण के सम्बन्ध में 'आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है या कि यह अभी तक कच्ची पटसन के लिये पाकिस्तान पर निर्भर कर रहा है।

†**कृषि मंत्रालय (डा० पं० शा० देशमुख)** : कच्ची पटसन के सम्बन्ध में भारत अभी तक आत्म निर्भर नहीं बना है। कुछ अंश में इसका पाकिस्तान से आयात किया जाता है।

एवरो विमानों का निर्माण

†१३५८. **श्री ले० अचौ सिंह** :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में डकोटा विमानों के स्थान पर प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किये जाने वाले रावराए विमानों का प्रयोग प्रारम्भ किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में वे विमान पर्याप्त संख्या में तैयार किये जायेंगे ; और

(ग) स्टैण्डर्ड प्रयोग के लिये इनका निर्माण कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान-बेड़े में डकोटा के स्थान पर किस प्रकार के विमानों का प्रयोग प्रारम्भ किया जाये।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आन्ध्र प्रदेश में गौतमी नदी पर पुल

१३५९. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी की शाखा गोमती पर पुल निर्माण के कार्य को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि परियोजना के लिये आवश्यक हाई टेन्सिल इस्पात का कोटा संभारित नहीं किया जा सका ;

(ख) इस परियोजना के लिये कितना इस्पात आवंटित किया गया है ;

(ग) अभी तक कितनी मात्रा में इस्पात संभरित किया जा चुका है ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) ६८६ टन तार (हाई टसाइल स्टील वायर)।

(ग) ५४२ टन तार (हाई टेंसाइल स्टील वायर)।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि काम तो रुका ही नहीं था।

पुरी के मेले के लिये विशेष गाड़ियां

१३६०. { श्री संगण्णा :
श्री प्र० के० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ फरवरी, १९६१ को पुरी में गोविन्द द्वादशी उत्सव के सम्बन्ध में दक्षिण पूर्व रेलवे मे हावड़ा से पुरी तक कोई विशेष गाड़ियां चलायी गयीं थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उनसे रेलवे प्रशासन को कितनी अतिरिक्त आय हुई थी।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). १५-२-६१ से ३-३-६१ तक ३१७ अप-३१८ डाउन हावड़ा-पुरी सवारी गाड़ियों में से प्रत्येक के साथ हावड़ा और पुरी के बीच से तीसरे दर्जे के दो अतिरिक्त डिब्बे और २०-२-६१ से २६-२-६१ तक ३०१ अप हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस के साथ पहले दर्जे का एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ दिया गया था। उनके अतिरिक्त २५-२-६१ को हावड़ा से पुरी तक एक विशेष गाड़ी डुप्लीकेट ३०१ अप हावड़ा पुरी एक्सप्रेस चलायी गयी थी जिसमें तीसरे दर्जे के नौ डिब्बे पहले दर्जे के तीन डिब्बे और तीसरे दर्जे वह लगेज ब्रेकवान के मिले जुले दो डिब्बे थे। इसके अतिरिक्त और भी कई विशेष गाड़ियां २५-२-६१ से १-३-६१ तक पुरी से अन्य स्टेशनों जैसे खुरदा रोड, खड़गपुर, विजयानगरम, कटक, माद्रक, प्लासा, वाल्टेयर, सोमपेटा, और वायरी को तथा वापस चलायी गयी थी ताकि २७ फरवरी, १९६१ को गोविन्द द्वादशी के सम्बन्ध में आने वाले यात्रियों की भीड़ भाड़ की समस्या को हल किय जा सके।

(ग) रेलव प्रशासन को होन वाली अतिरिक्त आय के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रेडक्रास सोसाइटी की पश्चिमी बंगाल की शाखा

†**१३६१. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेडक्रास सोसाइटी की पश्चिमी बंगाल की शाखा में होने वाले धन के गबन के सम्बन्ध में ज्ञात है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का गबन हुआ है और क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी में से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सोसाइटी की पश्चिमी बंगाल की शाखा द्वारा कुछ व्यक्तियों पर आपरा-

†मूल अंग्रेज़ी में

धिक विश्वासघात आदि का सन्देह किया जाता है। अन्तर्ग्रस्त राशि के बारे में ज्ञात नहीं है। पुलिस ने कुछ एक व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दायर किया है। मामला कलकत्ते के एक न्यायालय में है।

पशु धन

१३६२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में पशु धन का ह्रास हुआ है;

(ख) गायों, भैंसों, बैलों, बकरियों और भेड़ों का कितना-कितना ह्रास हुआ है; और

(ग) समस्या का अध्ययन करने के बाद इसे रोकने के लिय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). नियमित, विधि अनुकूल देश भर का ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह जाना जा सके कि पिछले तीस सालों में देश के पशु-धनमें कितना ह्रास या सुधार हुआ है। तदर्थ सर्वेक्षणों के अनुसार, जो कि पणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा किये गये हैं, प्रति पशु औसतन वार्षिक दूध उत्पादन निम्न प्रकार बढ़ा है :—

	१९५१ (पौंड)	१९५६ (पौंड)
गाय	३३६	३८२
भैंस	९६३	१,११७
बकरी	१२२	१२७

भेड़ों के सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि यह मुख्यतया ऊन और मांस के उत्पादन के लिये इस्तैमाल की जाती हैं और माल ढोने वाले बैलों के सम्बन्ध में भी यह मालूम नहीं है।

(ग) पशु-धन के संरक्षण, रक्षा और विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जो कि अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में विभिन्न पशु विकास योजनाओं को चला रही हैं। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार ने भी उन विकास योजनाओं का जैसे पशुग्राम योजना, गोशाला विकास योजना, अस्थिर पशु प्रजनकों आदि के पुनर्वास की योजनायें, उत्तर दायित्व लिया है, जो कि दूध उत्पादन और पशुओं के माल ढोने की क्षमता को सुधारने के लिए हैं।

कृषि पंडित

१३६३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह योजना तैयार कर ली गयी है जिसके अधीन कृषि पण्डितों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त की है, अपने क्षेत्र के अन्य नवयुवक किसानों को अपने रहस्य बताने होंगे ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) (क) से (ग). ऐसा इस प्रकार की कोई भी योजना मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है। पर हां, कृषि पण्डितों द्वा ा विकसित किये गये कृषि उप.यों का पर्याप्त प्रचार किया जाता है।

दुर्गापुर विद्युत् संयंत्र

†१३६४. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर के दामोदर घाटी निगम विद्युत् संयन्त्र में बहुत सा रुपया बरबाद हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह मशीनरी, जो कि पश्चिमी जर्मनी से आयी है, ीक प्रकार से नहीं चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने के कार्य को सुधारने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है, परन्तु दामोदर घाटी निगम का यह विचार है कि विद्युत् कारखाने के निर्माण प्रबन्ध के लिये जिम्मेदार परामर्शदाता इंजीनियरों के अपर्याप्त तथा अकुशल पर्यवेक्षण के कारण लगभग २ लाख रुपयों का अतिरिक्त खर्च हो गया है। दामोदर घाटी निगम परामर्शदाता इंजीनियरों से इस मामले के सम्बन्ध में बातचीत शुरू करने वाला है।

(ख) और (ग). उत्तर नकारात्मक है। कारखाना गत तीन महीनों से तजरबे के तौर पर चालू कर दिया गया है और इस दौरान में जेनरेटर बीयरिंग और कोयला मिलों के सम्बन्ध में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। निर्माता ने टूटे हुए बीयरिंगों के स्थान पर अच्छा डिजाइन के उन नये बीयरिंगों का प्रयोग आरम्भ कर दिया है जो कि सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे थे। कोयला मिलों के सम्बन्ध में कठिनाई १–२–६१ को पैदा हुई थी, उसे सुधारने का यत्न किया जा रहा है और आशा है कि फरवरी, १९६१ के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जायगा। दामोदर घाटी निगम ने अभी तक सम्भरणकर्ताओं से यूनिट अपने हाथ में नहीं लिये हैं।

रेलवे में सामयिक मजदूरों की भर्ती

†१३६५. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलों में सामयिक मजदूरों की भर्ती के सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित नीति तथा प्रक्रिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) सामयिक मजदूरों को अल्प अवधियों के लिये सामयिक, सविराम और यदा कदा होने वाले कामों के लि े और परियोजनाओं के लिये अवधि का ध्यान रखे बिना ही भर्ती किया जाता है। उन्हें स्थानीय रूप से ही भर्ती किया जाता है और उनकी साक्षरता आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता। उन्हें दैनिक मंजूरी पर रखा जाता है और उन्हें स्थानीय दरों के आधार पर या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर अदायगी की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

†१३६६. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली में होने वाली अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं का कारण यह बताया जाता है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें बहुत पुरानी हैं या बहुत बड़े आकार की हैं;

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली परिवहन उपक्रम को परामर्श दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उपक्रम की ओर से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) जी, नहीं। कुल ६६७ बसों में से केवल २१ ऐसी बसें हैं जिनके माडल १९५२ से पुराने हैं। क्योंकि दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें अत्यधिक कार्य कर सकने वाली गाड़ियां हैं, अत: उनकी आयु १० से १२ तक की है। उपक्रम की बसों के आकार मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ के अधीन निर्धारित मोटरगाड़ी नियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत है। उपक्रम की बसों का उचित प्रकार से संधारण किया जाता है और नियमों के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुसार उन सभी बसों का राज्य मोटर गाड़ी निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण कराया जाता है। दिल्ली परिवहन की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कि सड़कों का तंग होना, सड़कों पर अधिक भीड़भाड़, आदि।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

किराये भाड़े का नुकसान

†१३६७. **श्री कालिका सिंह**: क्या **रेलवे** मन्त्री १२ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराये भाड़े के नुकसान के बारे में की गयी जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) नये पुल के लिये अयोध्या या फैजाबाद को ले जाने वाले गोल पत्थरों के तौल में कम वजन बताने के परिणामस्वरूप किराये भाड़े में कुल कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) क्या किन्हीं रेलवे कर्मचारियों को भी इस सम्बन्ध में अपराधी पाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या क्या नाम और पद हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी): (क) से (घ). जांच कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

"फोलिडोल"[1] से खाद्य का विषाक्त होना

†१३६८. { श्री वोडयार :
श्री [illegible]गाड़ी :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५८ से इस समय तक देश में 'फोलिडोल' से खाद्य के विषाक्त होने के परिणाम स्वरूप राज्यवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Folidol.

(ख) क्या इसकी बिक्री या निर्बाध प्रयोग पर नियन्त्रण रखने के बारे में किसी उपाय पर विचार किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) यह ज्ञात हुआ है कि महाराष्ट्र में 'फोलिडोल' के प्रयोग से खाद्य के विषाक्त होने के परिणामस्वरूप ४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पंजाब, पश्चिमी बंगाल, और मध्य-प्रदेश की सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि वहां १९५८ से इससे कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

(ख) (१) केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह लिख दिया है कि वे विष अधिनियम, १९१९ के अधीन 'फोलिडोल' को रखने, बेचने, स्टोर करने, लैबल लगाने आदि के सम्बन्ध में नियम बनायें। बहुत सी सरकारों ने ऐसे नियम बना लिये हैं।

(२) केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के पौधा संरक्षण परामर्शदाता ने सभी राज्य कृषि निदेशकों, राज्य पौधा संरक्षण अधिकारियों आदि को एक परिपत्र भेजा है जिसमें कीटाणु नाशक औषधियों और विशेषतया विषैली औषधियों के प्रयोग के सम्बन्ध में परामर्श तथा हिदायतें दी गयी हैं ;

(३) एक पुस्तिका तैयार की गयी है और देश में प्रचारित की गयी है जिसमें विभिन्न कीटाणु-नाशक औषधियों के उचित प्रयोग के बारे में व्यापक हिदायतें तथा सावधानियां दी गयी हैं।

(४) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) ने राज्य सरकारों को एक प्रारूप विधेयक परिचालित किया है जिसमें कीटाणु नाशक औषधियों के आयात, निर्माण, परिवहन बिक्री तथा इस्तैमाल को पूरा विनियमित करने का यत्न किया गया है।

जौनपुर स्टेशन का स्टेशन मास्टर

†१३६९. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जौनपुर स्टेशन का एक स्टेशन मास्टर, जो सेवा निवृत्त हो गया है, इसलिए दंडित किया गया और उसके क्लेम रोक लिये गए कि मालीपुर स्टेशन के औजारों और संयंत्रों में कुछ गड़बड़ पाई गई जहां कि उसने उस अवधि में कभी भी काम नहीं किया था और अनेक बार लिखे जाने पर भी उसके क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: यह सच नहीं है कि जौनपुर स्टेशन से सेवा निवृत्त हुए स्टेशन मास्टर को दंडित किया गया था। मालीपुर स्टेशन से सेवा निवृत्त हुए स्टेशन मास्टर की भविष्य निधि के विशेष अंशदान में से २०० रुपये की राशि इसलिए रोकी गई थी कि उस स्टेशन के औजारों और संयंत्र में गड़बड़ी थी। क्लर्क की गलती से यह राशि श्री अनामि सहाय (जो जौनपुर से सेवा निवृत्त हुए थे, मालीपुर से नहीं) की देय राशि में से रोक ली गई। जब यह गलती मालूम पड़ी तो उस रोक ली गई राशि का १०–२–१९६१ को श्री सहाय को भुगतान कर दिया गया।

जम्मू तथा काश्मीर में डाक घर

†१३७०. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख और जम्मू तथा काश्मीर के हिमाच्छादित क्षेत्रों में अधिक डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। परन्तु अन्य राज्यों की तरह इस राज्य में भी विभिन्न भागों में डाक-घर खोलने के प्रस्ताव हैं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कालेज

†१३७१. **श्री हेमराज** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में एक मेडिकल कालेज की स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(घ) इस कालेज से केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों को लाभ होगा अथवा वह पंजाब हिल्स के नौजवानों के लिए भी खुला रहेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में एक मेडिकल कालेज की स्थापना के प्रस्ताव की योजना आयोग में जांच की जा रही है ।

दूसरी योजना में सिंचाई योजनायें

†१३७२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कुछ सिंचाई योजनाओं को दूसरी पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने के पूर्व ही शुरू करने की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के समय से पूर्व क्रियान्वयन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पंजाब में ऐसी कोई योजना मंजूर की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो वे योजनायें कौन सी हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस प्रकार का कार्य पूरा किया जाना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारत सरकार ने अभी तक तीसरी योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी नई सिंचाई योजना को मंजूरी नहीं प्रदान की है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). पंजाब में ऐसी कोई सिंचाई योजना मंजूर नहीं की गई है । परन्तु भारत सरकार ने वर्ष १९६०–६१ में पंजाब सरकार द्वारा पांग में व्यास बांध के निर्माण का प्रारम्भिक कार्य शुरू किए जाने के लिए सहमति दे दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में डाक-घर

†१३७३. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में उप-डाकघरों की कमी महसूस की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में डाक सेवायें बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में कितने नए डाकघर खोलने का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) उनमें कितना व्यय होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) जी हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग ४० नये शाखा डाकघर खोलने का विचार है। इनमें से कुछ हिम-प्रभावित क्षेत्रों में होंगे।

(ग) पिछड़े हुए क्षेत्र में नया डाकघर खोलने के लिए हानि की अनुज्ञेय सीमा अब १०० रुपये प्रति वर्ष है।

नकली औषधियां

†१३७४. श्री आसर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ फरवरी, १९६१ को बम्बई में बहुत बड़ी मात्रा में नकलीं औषधियां जैसे इंजेक्शन, गोलियां और औषधि-चूर्ण बरामद की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य के औषधि नियंत्रण प्रशासन गुप्तचर शाखा ने यह सूचना एकत्रित की थी कि अन्य राज्यों में निर्मित की गई नकली दवाइयां बम्बई में प्रिंसेज़ स्ट्रीट तथा अन्य स्थानों में बेची जा रही हैं। खरीदें करके सूचना का सत्यापन किया गया और अनेक स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए। । लगभग १०,००० रुपए के मूल्य की औषधियां बरामद की गई।

(ग) मामले के सम्बन्ध में अभी जांच जारी है।

कोठागुदम (आन्ध्र प्रदेश) में तापीयविद्युत् केन्द्र

†१३७५. { श्री रामी रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कोठागुदम में एक तापीयविद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) परियोजना की लागत और क्षमता कितनी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उस प्रार्थना पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख)	लागत	१२.४ करोड़ रुपये
	क्षमता	१२० एम० डब्लू०

(ग) और (घ). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विदेशों से उपकरण के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सहायता मांगी है । उस पर विचार हो रहा है ।

(ङ) अभी यह नहीं बताया जा सकता कि परियोजना के कब तक पूरा होने की आशा है ।

बेकारी प्रशिक्षण संस्था[1]

†१३७६. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई डबल रोटी बिस्कुट आदि बनाने की प्रशिक्षण संस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और कहां कहां ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). भारत में डबल रोटी, बिस्कुट आदि बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए पृथक संस्था नहीं है । परन्तु बम्बई स्थित भोजन व्यवस्था तथा संस्था सम्बन्धी प्रबन्ध कालेज में एक बेकरी विभाग है । भारत सरकार को देश में किसी अन्य बेकरी प्रशिक्षण संस्था की जानकारी नहीं है ।

नानपारा-बहराइच और कतरनिया घाट के बीच चलने वाली रेल गाड़ियां

१३७७. **श्री भ० दी० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे का विचार नानपारा-बहराइच और कतरनियां-घाट स्टेशनों के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में कुछ सुधार करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये रेलगाड़ियां उसी स्थिति में चल रही हैं जिसमें कि ये पच्चीस वर्ष पूर्व थीं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उस लाइन के कुछ स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ प्रतीक्षालय बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). १-४-५४ से पहले गोंडा और कतरनियांघाट के बीच केवल एक गाड़ी चलती थी जिससे बहराइच-नानपारा-कतरनियांघाट सब-सेक्शन का भी काम चलता था । १-४-५४ से नानपारा और मिहिनपुरवा के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाई गई । इन गाड़ियों के पुराने डिब्बों को बदल कर आधुनिक सुविधाओं वाले डिब्बे लगाये गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bakery Training Institute.

नानपारा-कतरनियाघाट सेक्शन में ४७ $^1/_2$ पौंड की पटरी बिछायी गयी है। । नानपारा-निशानगाढ़ा सेक्शन और निशानगाढ़ा-कतरनियाघाट सेक्शन पर गाड़ियां क्रमशः २९ किलोमीटर और २१ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलायी जारही हैं जबकि इन सेक्शनों पर अधिक से अधिक क्रमशः ३२ और २५ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने की अनुमति है। १९६१-६२ के निर्माण कार्यक्रम में नानपारा-कतरनियाघाट सेक्शन की वर्त्तमान पटरियों को बदल कर उनकी जगह ५० पौंड की पुरानी पटरियां बिछाने और जोड़ के सामान लगाने की व्यवस्था की गयी है। फिर से पटरी बिछाने के बाद इस सेक्शन पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) और (घ). नानपारा-कतरनियाघाट सेक्शन के सभी स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय पहले से मौजूद हैं। नानपारा स्टेशन पर ऊंचे दर्जे के दो प्रतीक्षालय भी हैं।

रेलवे उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतें

†१३७८. **श्री सुबिमन घोष :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज परिवहन उपभोक्ता संघ, रानीगंज का प्रतिनिधित्व करने वाले आसनसोल डिवीज़नल रेलवे उपभोक्ता मंत्रणा समिति के सदस्य द्वारा १९५९ और १९६० में कितनी शिकायतें भेजी गई थीं ;

(ख) कितनी शिकायतों का निपटारा हो गया है और कितनों के सम्बन्ध में अभी भी जांच चल रही है ;

(ग) निपटान की गई कितनी शिकायतें उचित पाई गई थीं ;

(घ) इन में से कितनी शिकायतें उपभोक्ताओं और यात्रियों के हित के लिए थीं और कितनी व्यक्तिगत बातों के लिए थीं ; और

(ङ) कितनी शिकायतें रेलवे कमचारियों के विरुद्ध थीं और कितनी कर्मचारियों के हित के लिए थीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १९५९ . . १

(ख) निपटाई जा चुकी . . १९६० ८ . . ९

जांच के लिये शेष . . . २

(ग) तीन मामलों में जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और अन्य दो मामलों में दिये गये सुझावों को मान लिया गया है।

(घ) सात प्रत्यक्षतः उपभोक्ताओं के हित के लिये थीं और तीन व्यक्तिगत मामलों के लिए।

(ङ) आठ शिकायतें रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध थीं तथा उन के पक्ष में एक भी नहीं।

दामोदर घाटी निगम नहर के पुल का टूट जाना

†१३७९. **श्री सुबिमन घोष :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २५ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने अपनी जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने पुल टूटने के क्या कारण बताये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुल को गिराने में कितना व्यय होगा ;

(घ) पुल के नवनिर्माण में, प्रवाह नियंत्रक (फाल रेगूलेटर) फाटक (लॉक गेट) आदि को मिला कर, कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ङ) नये पुल का निर्माण कब शुरू होगा और उस के कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

† **सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) लगभग २,२१३ रुपये ।

(घ) लगभग ९,४६,९१४ रुपये, पुल को गिराने के व्यय को मिला कर ।

(ङ) कार्य २१-११-६० को एक ठेकेदार को सौंप दिया गया है और ठेके में उस के ३१-७-१९६१ तक समाप्त हो जाने का उल्लेख है ।

सोने की व्यवस्था वाले डिब्बे

†**१३८०. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **रेलवे** मंत्री २३ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ टायर के सोने के डिब्बों का निर्माण जारी रखा जा रहा है ;

(ख) क्या पुराने नमूने में और कोई परिवर्तन किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सुधार किये गये हैं ;

(घ) ऐसे डिब्बों की वार्षिक उत्पादन दर क्या है ; और

(ङ) ये डिब्बे किस कारखाने में बनाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) नये तीन टायर के सोने के डिब्बों में दिन के समय बैठने और रात के समय सोने के लिये बराबर बराबर स्थान है । (बड़ी लाइन में ७५ यात्रियों के लिये और मीटर लाइन में ६४ यात्रियों के लिये ।)

(घ) उत्पादन आवश्यकता पर निर्भर है । अप्रैल १९६० से जनवरी १९६१ तक उस वर्ष के इंजन डिब्बों आदि के कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बड़ी लाइन के तीन टायर के १३१ डिब्बों का निर्माण किया गया है ।

अप्रैल १९६० से फरवरी १९६१ तक मीटर लाइन के ३ टायर के ७३ डिब्बे पूरे हुए हैं । मार्च के अन्त तक मीटर लाइन के ८० और डिब्बों के निर्माण की संभावना है जिन में से ३५ पूर्ण होने की अन्तिम अवस्था में हैं ।

(ङ) बड़ी लाइन के सोने के डिब्बे पेराम्बुर के सवारी डिब्बों के कारखाने में बनाये गये हैं और मीटर लाइन के सोने के डिब्बे दक्षिण और पश्चिम रेलवे की कर्मशालाओं में बनाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुरुक्षेत्र के तालाब में मगर

†१३८१. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक तालाब में दो मगर आ गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार की इन मगरों को पकड़ कर दिल्ली के चिड़ियाघर में लाने की कोई योजना है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली का चिड़ियाघर अभी मगर रखने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उन के रहने के लिये वहां अभी तक कोई स्थान नहीं बनाया गया है ।

कोयले के लिये वैगन

†१३८२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में कोयले के वहन के लिए ५ हजार वैगन प्रतिदिन देने की गारण्टी को क्रियान्वित नहीं कर सका है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ महीनों में मालडिब्बों के अपर्याप्त संभरण के कारण कोयले के वहन में कुछ कमी हुई है ; और

(ग) क्या मालडिब्बों के संभरण और आवागमन में सुधार के सम्बन्ध में कोई कदम उठाये जाने वाले हैं अथवा उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). इस समय रेलवे बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से प्रतिदिन ५०३० वैगनों के लदान के लिये वचनबद्ध है जिन में से १४३४ इस्पात संयंत्रों के लिये हैं और ३५९६ अन्य उपभोक्ताओं के लिये । यह वचन पिछले तीन महीनों में बहुत हद तक पूरा किया गया है ।

इस्पात संयंत्रों से भिन्न उपभोक्ताओं के लिये कोयले का वास्तविक लदान पिछले तीन महीनों अर्थात् दिसम्बर '६० से फरवरी ६१' (२०-२-६१ तक) में औसतन ३७४३ प्रति दिन रहा है। इस्पात संयंत्रों के लिये लदान भी उन की चालू आवश्यकता के लिये पूरा रखा गया है ।

(ग) कोयले का लदान बढ़ाने की संभावना के सम्बन्ध में अग्रेतर प्रयत्न किया जा रहा है ।

देश में बहरे व्यक्ति

१३८३. **श्री रा० च० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने बहरे व्यक्ति हैं ;

(ख) किस राज्य में बहरे व्यक्तियों की संख्या सब से अधिक है ;

(ग) हर व्यक्ति को सुनने में सहायता पहुंचाने वाले यंत्रों को उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रबन्ध हैं ; और

(घ) क्या ये संयंत्र देश में बनते हैं और यदि हां, तो साधारण यंत्र का मूल्य क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (घ). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में बिजली की कमी

†१३८४. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ वर्षों में दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में बिजली की कमी का जो अनूभव किया गया है उस के लिये कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं ; और

(ख) स्थिति के सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) दामोदर घाटी निगम की बिजली प्रणाली जितनी बिजली पैदा कर सकती है उस की अपेक्षा मांग अधिक है जिस के परिणामस्वरुप निगम को बोकारो के तापीय बिजली केन्द्र के वर्तमान एककों में सामान्य क्षमता से अधिक बिजली पैदा करनी पड़ती है । स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है क्योंकि अनपेक्षित प्रविधिक कठिनाइयों के कारण नये ७५ एम० डब्लु० के एककों को स्थायी वाणिज्यिक संचालन में नहीं लाया जा सका । मानसून के हट जाने से जल केन्द्र के जलाशयों में पानी कम हो जाने से स्थिति और भी अधिक खराब हो गई है ।

(ख) कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिये समस्त संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं । दुर्गापुर के संयंत्र का परीक्षण किया जा रहा है और बोकारो के चौथे एकक से विद्युत् जाल को बिजली मिलने लगी है । १२५।१४० एम० डब्लु० प्रजनन संयंत्र के दो एककों का व्यादेश दिया जा चुका है और उन के १९६३-६४ तक चालू हो जाने की संभावना है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये १२५।१४० एम० डब्लु० के दो अतिरिक्त तापीय एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रस्ताव पर सहभागी राज्य सरकारों के साथ मिल कर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है ।

मनीपुर में पंचायत चुनाव

†१३८५. { **श्री ले० अचौ० सिंह :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में लागू किये गये उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत वहां ग्राम पंचायतों का कोई चूनाव हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी पंचायतें स्थापित हुई हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

पथरकण्डी-धर्मनगर रेलवे लाइन

†१३८६. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पथरकण्डी-धर्मनगर रेलवे लाइन (त्रिपुरा के निर्माण) के लिये भूमि अर्जन का कार्य शूरू कर दिया गया है अथवा शीघ्र शूरू करने का विचार किया जा रहा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस लाइन के निर्माण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि के लिये प्रतिकर के आकलन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो भूमि के ऐसे अर्जन के लिये संबंधित व्यक्तियों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया जायगा और प्रति एकड़ प्रतिकर कितना होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). अभी तक नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

हृदय की गति रुक जाना

†**१३८७. श्री शिवदत्त उपाध्याय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कोरोनरी थ्रोमबोसिस' के कारण हृदय की गति के रुक जाने के बाद बिना शल्य चिकित्सा के हृदय की गति चालू करने के बारे में परिचय में कोई नई पद्धति खोज निकाली गई है ;

(ख) क्या पश्चिम में डाक्टरों, नर्सों तथा साधारण नागरिकों को इस नई पद्धति का प्रशिक्षण देने के शिए फिल्में दिखाई गई हैं क्योंकि साधारण व्यक्ति भी इस पद्धति को आसानी से सीख सकता है ; और

(ग) क्या सरकार भारतीय डाक्टरों, नर्सों तथा साधारण व्यक्तियों के प्रशिक्षणार्थ इन फिल्मों को लेने का प्रयत्न करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हृदयगति के रुक जाने से मरने वाले अधिकांश रोगियों पर समाचार पत्रों में प्रकाशित, 'मालिश द्वारा हृदयगति के पुनः संचालन की पद्धति' लागू नहीं होती है। हृदयगति के रुक जाने से उन मामलों में सामान्यतः हृदय को मालिश द्वारा पुनः संचालित किया जाता है जो शल्य चिकित्सा में अचानक रुक जाते हों।

(ख) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

नरवाना और कलायत स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन

†**१३८८. चौ० रणवीर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी जोन में नरवाना-कुरुक्षेत्र शाखा लाइन पर नरवाना और कलायत स्टेशनों के बीच एक नया फ्लैग स्टेशन बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खुल जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). नरवाना और कलायत के बीच एक ठेकेदार द्वारा चालित ट्रेन हाल्ट खोलने का विचार है और काम १९६१–६२ में आरंभ हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

डाक सेवाओं के निदेशकों का स्थानान्तरण

†१३८६. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक सेवाओं के निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी अपनी समस्त सेवावधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किए जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्र द्वारा दिये गये ऋण तथा सहायता

†१३६०. **शेख मुहम्मद अकबर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने पिछले १० वर्षों में राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के लिए (१) छोटी सिंचाई योजनाओं (२) भूमि सुधार योजनाओं, (३) भू-संरक्षण योजनाओं, (४) दुग्धशाला विकास योजनाओं तथा (५) मत्स्य पालन के विकास के लिए कितना ऋण तथा सहायता दी है ; और

(ख) क्या ऋणों पर कुछ सूद लिया जाता है और यदि हां, तो सूद की दर क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५].**

(ख) ऋण पर लिया जाने वाला सूद प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है तथा भुगतान की अवधि पर लिया जाता है । सामान्यतः यह ३ प्रतिशत से ४१/४ प्रतिशत होता है ।

छोटी सिंचाई योजनायें

†१३६१. **शेख मुहम्मद अकबर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंच वर्षीय योजना में ६० लाख एकड़ भूमि को छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन लाने के लक्ष्य पूरे हो जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यवार अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी नीचे विवरण में दी गई है :

†मूल अंग्रेजी में

(लाख एकड़)

राज्य	दूसरी योजना के लक्ष्य	दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में किए गए कार्य
आन्ध्र प्रदेश	४.५	४.३
आसाम	१२.१	८.१
बिहार	१७.४	१८.८
बम्बई	१०.३	६.१
मध्य प्रदेश	७.८	३.४
मद्रास	५.०	२.३
उड़ीसा	३.०	१.२
पंजाब	२.७	४.१
उत्तर-प्रदेश . . .	१२.६	१६.२
पश्चिम बंगाल	३.६	३.१
जम्मू तथा काश्मीर .	१.२	उपलब्ध नहीं
मैसूर . . .	३.२	१.३
राजस्थान	२.०	३.७
केरल	२.६	०.६
संघ क्षेत्र	१.१	०.५
जोड़ . .	६०.०	७७.०

नोट :—उपरलिखित विवरण में राज्यों द्वारा बताये गये पूरे किए कार्यों के प्राक्कलनों के आधार पर आंकड़े दिए गए हैं। इनका पुनरीक्षण हो सकता है।

जम्मू तथा काश्मीर में चकबन्दी योजना

†१३६२. **शेख मुहम्मद अकबर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में 'चकबन्दी योजनाओं' में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता निश्चित की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) अभी तक योजना आरंभ नहीं की गई है। राज्य सरकार का विचार इसको तीसरी योजना में आरंभ करने का है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना के लिए तीसरी योजना में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के आधार के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

मनीपुर में बसों में अधिक भीड़-भाड़

†१३९३. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-बर्मा, और मनीपुर की टिड्डिम सड़कों पर चलने वाली बसों में क्षमता से अधिक भीड़-भाड़ रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) स्थानीय अधिकारियों को उसकी जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में ट्रंक तथा लोकल टेलीफोन कॉल

†१३९४. **श्री कुम्भार :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० तथा १९६१ में अब तक पोस्टल डिवीज़न-वार उड़ीसा सर्किल के विभिन्न डाक घरों में कितनी आवश्यक ट्रंक तथा लोकल काल्स रोक ली गईं तथा रद्द कर दी गई ;

(ख) इस संबंध में संबंधित अधिकारी को कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस पद्धति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उत्तर रेलवे पर साइफर आपरेटर[1]

†१३९५. **श्री गोरे :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर साइफ़र आपरेटरों की भर्ती करने की क्या प्रक्रिया है ; और

(ख) इन साइफ़र आपरेटरों को कौन सा वेतन-क्रम दिया जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)**: (क) आवश्यक प्रशिक्षण के बाद सेवा के उपयुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति के द्वारा ।

(ख) १५०–२२५ रुपये (निर्धारित वेतन क्रम) २०५–२८० रुपये (अधिकृत वेतन क्रम)

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Cipher operators

इम्फाल नगरपालिका

†१३६६. **श्री लं० अचौ सिंह:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल नगरपालिका के लेखकों की लेखा परीक्षा करने के लिए मनीपुर प्रशासन द्वारा आसाम के महालेखापाल को लिखे गये अनुस्मारक (रिमाइन्डर) का उत्तर मिल गया है ;

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार ने स्थानीय संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा करने की कोई और व्यवस्था की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) इम्फाल नगरपालिका के लेखों की लेखापरीक्षा के प्रश्न पर मनीपुर प्रशासन तथा आसाम के उपमहालेखापाल में दिसम्बर १९६० में बात चीत हुई थी। उन्होंने बताया था कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की अनुमति मिल जाने पर लेखापरीक्षा की जायेगी। लेखा अधिकारियों को ११ जनवरी १९६१ में पुनः एक पत्र भेजा गया है।

(ख) मनीपुर प्रशासन के अधीन एक अतिरिक्त लेखापरीक्षा तथा लेखा एकक बनाने के बारे में प्रशासन विचार कर रहा है जो नगरपालिका के लेखों की लेखापरीक्षा कर सके।

बीज निगम[1]

†१३६७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीज निगम बनाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ; और यह निगम कब तक बन जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) योजना के ब्यौरे बनाये जा रहे हैं और आशा है कि निगम शीघ्र बन जायेगा।

खाद्यान्नों के नियंत्रित मूल्य

†१३६८. **श्री कालिका सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ज़ोनल' प्रदेशों के किन राज्यों ने चावल अथवा धान के मूल्यों का नियंत्रण किया है और इसके क्या परिणाम हैं तथा मूल्य नियंत्रण किस तिथि से किए जायेंगे ;

(ख) क्या इन राज्यों अथवा क्षेत्रों में अनाज छिपा कर रखने (होडिंग) के समाचार मिले हैं; और

(ग) उन ज़ोनल प्रदेशों अथवा राज्यों में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ के अधीन क्या मूल्य निश्चित किये गए हैं और वहां पर चावल तथा धान के बाजार भाव क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में और आसाम तथा पंजाब राज्यों में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Seed Multiplication Corporation.

[श्री अ० म० थामस]

१९५५ के अधीन १० मन (अथवा ३.७३ क्विंटल) अथवा उससे अधिक के व्यापार के लिए चावल तथा/अथवा धान के अधिकतम नियन्त्रित मूल्यों के निर्धारण के संहित आदेश प्रख्यापित किये गये हैं। नियन्त्रित मूल्यों का तथा उनके लागू होने की तिथि बताने वाला एक विवरण संलग्न है। कुछ महत्वपूर्ण बाजारों के भावों को दिखाने वाला दूसरा विवरण भी संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

इन आदेशों को प्रख्यापित करने का यह उद्देश्य है कि मूल्य स्थिर रहें तथा राज्य में से सरकार कुछ खाद्यान्न खरीद सके।

(ख) जी नहीं।

वन विभाग, त्रिपुरा

†१३९९. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपा-बेलोनिया और सिरानुका के निवासियों से त्रिपुरा प्रशासन के वन विभाग के कार्यकलापों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो वन विभाग के विरुद्ध जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) उदापुर सब-डिवीजन की कुछ जनता से अभ्यावेदन मिला था। बेलोनिया की जनता से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। त्रिपुरा में सिरानुका नाम का कोई स्थान नहीं है।

(ख) अभ्यावेदन इसके बारे में है (१) कुछ वनों को रक्षित वन न मानने के बारे में ज्युडिशियल कमिश्नर' का फैसला (२) भूमि सुधार अधिनियम का लागू न किया जाना। महाराजा के समय में घोषित 'रक्षित वन' को ज्युडिशियल कमिश्नर ने रिजर्व नहीं माना है। त्रिपुरा प्रशासन ने इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति की एक याचिका दायर की है। उसके अधीन नियम बना लेने पर भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिया जायेगा।

त्रिपुरा प्रशासन के वन-विभाग में कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ आरोप भी अभ्यावेदन में लगाये गये हैं। विशिष्ट आरोप न होने के कारण कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में

†**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान दिलाने का एक प्रस्ताव है।

†**श्री गोरे** (पूना) : मैंने एक महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव रखा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है। पर माननीय सदस्य उसे दूसरे ढंग से उठा सकते हैं। इस सभा में व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों की पदोन्नतियों के मामले को इस तरह नहीं रखना चाहिये। उसके सही या ग़लत होने का निर्णय तभी हो सकता है जब उसकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गोरे : लेफ्टिनेंट जनरल ने त्याग-पत्र देने की अनुमति मांगी है। उसकी जड़ में कोई बड़ी बात होनी चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार कर लिया है। यदि हम त्याग-पत्र के कारणों पर चर्चा करने लगेंगे, तो कुछ ऐसे आरोप भी सामने आ सकते हैं जिनका पूरी सेना पर बुरा प्रभाव पड़े। हमें अपने मन्त्रियों पर विश्वास करना चाहिये। यदि विश्वास न हो, तो मन्त्री को बदल देना चाहिये। ऐसे प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करने से अनुशासनहीनता बढ़ सकती है। इसलिये सभा उस पर चर्चा नहीं करेगी।

आन्ध्र प्रदेश में गुड़ के भावों में गिरावट के बारे में वक्तव्य

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। माननीय मन्त्री अपना विवरण सभा-पटल पर रख दें।

†खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं यह विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश के सभी बाजारों में गुड़ के भाव गिरने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। हमारी सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में गुड़ की एक बड़ी मण्डी आनाकापल्ली के बाजारों में गुड़ के भाव १९५९ और १९६० के जनवरी-फरवरी महीनों की तुलना में जनवरी-फरवरी १९६१ में कुछ गिरे अवश्य हैं। चीनी के उत्पादन में कमी आने के कारण, जनवरी १९५९ से जनवरी–फरवरी, १९६० तक के दौरान चीनी का मूल्य अपेक्षाकृत ऊंचा था, और उसी के कारण गुड़ और खंडसारी के भाव भी कुछ चढ़ गये थे। यदि उनकी तुलना १९५७ और १९५८ के इन्हीं महीनों के भावों से की जाय, तो वर्तमान भाव उचित हैं और उसके फलस्वरूप गन्ने की खेती में कमी आने का कोई खतरा नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक प्राक्कलन

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९६१-६२ के लिये दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७१२/६१]

राज्य-सभा से संदेश

†सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि इस विधेयक के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

विनियोग विधेयक, १९६१।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विनियोग (रेलवे) विधेयक

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं, श्री जगजीवन राम की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग का प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग का प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ८ मार्च, १९६१ को रखे गये इस संकल्प तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे चर्चा करेगी कि यह सभा उड़ीसा राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा २५ फरवरी, १९६१ को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है । श्री चिन्तामणि पाणिग्रही भाषण करें ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : कल मैं बता रहा था कि राज्यपाल के प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि उड़ीसा सरकार के मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री लेखानुदान की मांग तक पेश करने के लिय तैयार नहीं थे । गैर जिम्मेदाराना रवैय की हद है ।

श्री वी० पी० मेनन ने अपनी पुस्तिका में लिखा है कि राज्यों की जनता में नवजागृति आने के कारण, तब कोई सन्देह नहीं रह गया था कि अधिकांश शासकगण खत्म हो जायेंगे ; लेकिन सरदार पटेल ने उनको वैधानिक अधिकार दे दिये, वही वैधानिक अधिकार जो शासकों ने उड़ीसा की जनता को नहीं दिये थे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

और, उड़ीसा के भूतपूर्व शासकों ने कांग्रेस की लुटिया डूबने से बचा ली । क्योंकि उड़ीसा में कांग्रेस के पीछे जनता नहीं थी । मिली-जुली सरकार इसी का परिणाम थी ।

मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री ने उड़ीसा में एक दूसरी सरकार का गठन असम्भव बनाने के लिये ही, आय-व्ययक पेश नहीं किया । इससे स्पष्ट है कि मिली-जुली सरकार जनता के हितों के लिये नहीं दलगत हितों की दृष्टि से ही बनाई गई थी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मिली-जुली सरकार के त्याग-पत्र के हाल ही बाद, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री डा० मेहताब ने कहा था कि केवल कांग्रेस दल की सरकार में वह सम्मिलित ही नहीं होंगे । उन्होंने कांग्रेस हाई कमान के साथ बात भी नहीं की ।

तब उड़ीसा के कांग्रेसी विधेयकों के नये दल ने कहा कि गणतन्त्र परिषद् के काले कारनामों के कारण उड़ीसा में मिली जुली सरकार टिक नहीं सकती । गणतन्त्र परिषद् के नेता ने कहा कि कांग्रेस हाई कमान कोई भी स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता । उसने कांग्रेस पर बेईमानी का आरोप लगाया ।

लोगों का कहना है कि गणतन्त्र परिषद् के नेता ने जिस पत्र द्वारा स्पष्टीकरण चाहा था, उसका मसौदा खुद डा० मेहताब ने तैयार किया था । डा० मेहताब ने कहा है कि गणतन्त्र परिषद् की ओर कांग्रेस दल का रुख हर दौर में बदलता रहा है । इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये । तभी हम यह समझ सकेंगे कि उड़ीसा में राज्य-पाल का शासन लागू करना अनिवार्य हो गया था, या डा० मेहताब और भूतपूर्व शासकों के आपसी झगड़ों के कारण उसे लागू किया गया है ।

मिली-जुली सरकार के त्यागपत्र से पहले केन्द्रीय सरकार ने उससे कुछ दिन और शासन चलाने के लिये कहा था । लेकिन खबर है कि वह इसके लिये भी तैयार नहीं थी । स्पष्टीकरण किया जाये कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य-पाल के जरिये उससे यह अनुरोध किया था या नहीं ?

मैं तो कहता हूं कि उड़ीसा में मिली जुली सरकार के शासन का २१ महीनों का यह काल ही सबसे शर्मनाक काल रहा है ।

मिलीजुली सरकार के निर्माण के समय कहा गया था कि उसमें स्थायित्व रहेगा । स्थायित्व उसी सरकार में रह सकता है जो जनता के हितों को सामने रख कर चले । इस मिलीजुली सरकार ने उड़ीसा में लूट मचा दी थी । इसीलिये जनता को उसके जाने से बड़ी राहत मिली है । सभी दलों ने उसके भंग किये जाने का समर्थन किया है ।

२१ महीने पुरानी इस मिलीजुली सरकार के कुकृत्यों की सीमा नहीं ।

श्री लोकनाथ मिश्र उड़ीसा में कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं । उन्होंने स्वयं बताया है कि उड़ीसा में कांग्रेस जनता की नजरों से इसीलिये गिरी है कि उसने जनता के हितों के लिये काम नहीं किया । गणतन्त्र परिषद् के साथ मिली जुली सरकार बना कर उसने जनता के हितों को धता बता दी । गणतन्त्र परिषद् के भू-स्वामियों के हितों को साधने के लिये ही भूमि लगान को विनियमित करने का विधेयक रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था ।

उसने भूतपूर्व शासकों को भत्तों की अदायगी जारी रखने का संकल्प पारित किया । पहले के इसके विरुद्ध संकल्प को रद्दी की टोकरी में डाल दिया ।

भूतपूर्व शासकों की सभी पुरानी पेंशनों और भत्ते बहाल कर दिये गये ।

और, इसके लिये धन जुटाने के लिये जनता पर एक नया कर लगाया गया---आलू, ईंधन और प्याज़ की बिक्री पर कर लगाया गया । इस तरह दो चोरों को मिल कर जनता को लूटने का अवसर मिल गया ।

†**श्री महन्ती (ढेंकनाल)**: यह भाषा आपत्तिजनक है---दोनों दलों को चोर बताना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैंने दोनों दलों को चोर नहीं कहा। मैंने कहा है कि जब दो चोर मिल गये, तब उनको अवसर मिल गया।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिये।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमसे कहा गया था कि दोनों दल मिल कर योजना को कार्यान्वित करेंगे। योजना का यह हाल रहा कि मार्च, १९६० तक विभिन्न परियोजनाओं के लिये दिये गये १२ करोड़ रुपये प्रशासन खर्च ही नहीं कर पाया। क्या कार्य-क्षमता है !

और देखिये। उड़ीसा में बीड़ी के पत्ते अधिकतर भूतपूर्व शासकों के क्षेत्रों में होते हैं। उससे राज्य को होने वाली आय का विवरण देखिये :—

१९५६–५७	. ३८,३२,००० रुपये
१९५७–५८	. ५८,३६,००० रुपये
१९५८–५९ .	. ७०,६२,००० रुपये
१९६०–६१ . .	. १२,००,००० रुपये

मिलीजुली सरकार ने उसे ३८ लाख से १२ लाख तक पहुंचा दिया।

और उड़ीसा विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि राज्य में ५४ अस्पताल बिना डाक्टरों के चल रहे हैं।

मिली जुली सरकार ने गणतन्त्र परिषद् और कांग्रेस के नेताओं के नाम खनन-पट्टे कर दिये हैं।

कल श्री महन्ती ने उड़ीसा में किये गये उर्वरकों के गोलमाल का जिक्र किया ही था। उड़ीसा के किसानों को उर्वरक नहीं मिल पाये, लेकिन कांग्रेस प्रान्तीय समिति के भूतपूर्व सभापति के सभापतित्व में चलने वाली सहकारी संस्था ने ६–१–६० से ६–८–६० के बीच भुवनेश्वर और पुरी स्टेशनों से आन्ध्र के लिये उर्वरक भेजे थे। इस पर केन्द्र के खाद्य मंत्री ने कहा था कि वह क्या कर सकते हैं अगर राज्य के अधिकारी केन्द्र द्वारा भेजे जाने वाले उर्वरकों को किसानों में न बांटें।

उर्वरक जिन मालडिब्बों में भेजे गये थे उनके नम्बर तक मौजूद हैं। चोर बाजारी की यह सब से बड़ी मिसाल है।

कांग्रेस के दो वर्ष के शासन में पहले कभी भी सिंचाई कर नहीं लगाया गया था, लेकिन इस मिलीजुली सरकार ने वह भी कर दिखाया।

और, मिलीजुली सरकार के इन २१ महीनों में एक बड़े पैमाने पर किसानों की बेदखलियां हुईं। पुलिस ने क्योंझर क्षेत्र के खनिकों के साथ ज्यादतियां कीं। लेकिन मिलीजुली सरकार ने और जो भी किया हो, भूतपूर्व शासकों की भूमि पर लगान कभी नहीं लगाया। मिलीजुली सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में दस्तकारी और कुटीर उद्योगों पर केवल १४ लाख रुपये खर्च किये, जब कि 'उत्कल प्रसंग' पत्रिका के प्रकाशन पर इसी पांच वर्ष के काल में साढ़े दस लाख रुपये खर्च किये गये। पत्रिका भी एक ऐसी जिसे कि कोई नहीं पढ़ता।

जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर भी भूतपूर्व शासकों के ही हितों को देख कर व्यवस्था की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार भ्रष्टाचार और काले कारनामों का २१ महीने लम्बा अध्याय अब समाप्त हुआ है। अब कांग्रेस के लोकतांत्रिक तत्वों ने अपने सामंत-समर्थक प्रतिक्रियावादी नेताओं को उखाड़ फेंका है। परिषद् के नवयुवकों को भी यही करना चाहिये। तभी एक सुखी और सम्पन्न उड़ीसा की नीव डाली जा सकेगी।

आतिशबाजी के सामान के कारखाने में वस्फोट के बारे में वक्तव्य

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: पश्चिमी बंगाल में चौबीस परगना के एक आतिशबाज़ी के सामान के कारखाने में विस्फोट हो गया था। वह विस्फोट चौबीस परगना जिले के बारसाट नामक नगर के एक कारखाने में ६ मार्च को ११ बज कर ५५ मिनट पर हुआ था। आतिशबाज़ी का वह कारखाना मेसर्स ओरिएन्ट फायरवर्क्स कम्पनी का था। कम्पनी को ५० पौंड आतिशबाज़ी बनाने, रखने और बेचने के लिये विस्फोटक विभाग से अनुज्ञप्ति मिली हुई थी। समवाय ने अपनी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये पहले ही प्रार्थनापत्र दे दिया था विस्फोट के फलस्वरूप कारखाने का वह शेड पूरी तरह नष्ट हो गया है और चार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तीन तो वहीं मर गये थे, और चौथा अस्पताल में जाकर मर गया। शेड में ईंटों की दीवारें और लोहे की चादरों की छत उड़ कर ५० गज तक दूर जा गिरी थी।। दुर्घटनाग्रस्त चारों व्यक्ति मजदूर थे। वे तैयार आतिशबाज़ी को, जिसे वहां तोडमा कहा जाता है, लकड़ी की पेटियों में पैक कर रहे थे। अस्पताल जाकर मरनेवाले व्यक्ति ने कुछ भी नहीं बताया। चौबीस परगना के अतिरिक्त पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट के पास विस्फोट की सूचना फोन पर ३ बजे शाम का आई थी। सवा चार बजे विस्फोटक पदार्थ सहायक निरीक्षक घटना-स्थल पर गये थे। पुलिस द्वारा रासायनिक-परीक्षा के लिये नमूने इकट्ठे कर लिये गये हैं। शेड पर ताला डालकर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। उस शेड में एक छोटी सी हथौड़ी पाई गई थी।

उसकी जांच आज मजिस्ट्रेट आरम्भ कर देंगे।

उड़ीसा के बारे में उद्‌घोषणा सम्बन्धी संकल्प—जारी

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर): मेरी राय है कि गृह-कार्य मंत्री ने उड़ीसा की हालत के बारे में जो विवरण हमें दिया है, वह अत्यन्त असन्तोषजनक है। उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा भारत सरकार को भेजे गये प्रतिवेदन के संक्षिप्त-सार से भी पूरी बात पता नहीं चलती। माननीय मंत्री के विवरण से यह पता ही नहीं चलता कि लेखानुदान की मांगें या आयव्ययक पेश क्यों नहीं हो सका। और असल बात तो यह है कि आगे चलकर ऐसी हालात पैदा न हों, इसके लिये क्या किया जा रहा है?—यह तो बताना चाहिये।

हमें सब से अधिक चिन्ता लोकतंत्र के भविष्य की है। माननीय गृह-कार्य मंत्री बतायें कि उड़ीसा में यह सब हुआ क्यों?

डा० महताब ने ८ मार्च को कटक में अपनी प्रेस-मुलाकात के अवसर पर एक बात कही थी। उन्होंने कांग्रेस हाई कमान के सामने एक प्रश्न रखा था। प्रश्न यह था कि उड़ीसा में कांग्रेस जैसे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

अल्प मत वाले दल को अपनी सरकार बनाने के लिये नये सदस्यों की भर्ती का तरीका अपनाना चाहिये या दूसरे दलों के सदस्यों के अपहरण का। राज्य-पुनर्गठन होने से पहले एक बार आन्ध्र में भी ऐसी ही परिस्थिति पैदा हो गई थी। तब मैंने भी यही प्रश्न पूछा था—कांग्रेस हाई कमान से नहीं, भारत सरकार से। मैंने उस समय भी ऐसे डाकेजनी की राजनीति के बारे में चेतावनी दी थी। कल गृह-कार्य मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया था। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय गृह-कार्य मंत्री बतायें कि उनका दल इस नीति को त्यागने के लिये तैयार है या नहीं।

उड़ीसा राज्य में फिलहाल ऐसी कोई पार्टी नहीं जो अपना सुनिश्चित बहुमत बना सके। इसलिये वहां मिलीजुली सरकार ही बन सकती है।

इस से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न यह उठता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिये यह कहां तक उचित है कि वह आर्थिक शक्ति की सहायता से हमेशा ही अपना प्रभुत्व जमाये रहे? मैं डा० महताब का समर्थक नहीं हूं। पर यह जरूर है कि उन्होंने ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार का क्या उत्तर है इन दोनों प्रश्नों पर। कांग्रेस दल का क्या दृष्टिकोण है इनके बारे में? गृह-कार्य मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये कि भारत सरकार कांग्रेस ही नहीं, किसी भी अन्य दल को उसके शासन-काल में अपनी आर्थिक जकड़ मजबूत करके, आर्थिक शक्ति बढ़ा कर, अपनी राजनीतिक सत्ता को चिरस्थायी नहीं बनाने देगी। यदि यह होने दिया गया, तो लोकतंत्र नहीं रह सकता।

डा० महताब ने तीसरा प्रश्न यह उठाया है कि कांग्रेस के नेता चुनने के लिये कुछ निश्चित सिद्धान्त अपनायें जाने चाहियें, नहीं तो कांग्रेस धनिकों के हाथ में चली जायेगी। यदि ऐसा हुआ तो उड़ीसा के राजनीतिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री पटनायक के अखबार 'कालिंगा' के दिल्ली सम्वाददाता का कहना है कि दिल्ली के कांग्रेसी नेता उड़ीसा में उद्घोषित किये गये राष्ट्रपति राज्य से सन्तुष्ट हैं। साथ में उसका यह भी कहना है कि प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन का कहना है कि यही एक ढंग है जिसके द्वारा आप आने वाले आम चुनावों में उड़ीसा में कांग्रेस के लिये बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। यह कितनी गलत बात है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उड़ीसा वही राज्य है जहां कि महात्मा गांधी को प्रथम दरिद्रनारायण के दर्शन हुए थे।

उड़ीसा में अनेक समस्यायें हैं। वहां की जनता में बड़ी निर्धनता है फिर भी उसमें बड़ा उत्साह है। हमने जनता तथा देश की अच्छी सेवा की है अथवा नहीं, इसका अन्तिम निर्णय इस बात से हो जायेगा कि उड़ीसा में हमने क्या किया है।

†**श्री जयपालसिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): उड़ीसा में गत आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। उसी कारण से ही ये सब उलझनें पैदा हुई हैं। मेरा निवेदन है कि उड़ीसा राज्य की भलाई इसी में है कि वहां के राजनीतिज्ञ अपने दलों को भूल कर राज्य के लाभ के लिये कार्य करें। ऐसी बात नहीं है कि वहां की समस्याओं को समझ पाना कठिन हो। यह सदस्य है कि सभी राजनीतिक दल स्वतन्त्रता से पूर्व समुद्रतट से दूर वाले जिलों की उपेक्षा करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में रजवाड़ों को दोष नहीं दिया जा सकता। यह ठीक है कि उड़ीसा में रजवाड़ों का प्रभाव है, परन्तु यह ऐसी बात नहीं जिससे कि हम एक दम चिन्तित

†मूल अंग्रेजी में

हो उठें। हमें करना यह चाहिये कि इस बात का पूरा पता लगायें कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं यह बात कहने को तत्पर हूं कि गरीब आदिवासियों के लिये कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। हम ही जानते हैं कि गत २१ मास में हमारे राज्य में क्या कुछ होता रहा है। मेरा निवेदन है कि संसद में कभी कभी इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिये कि राज्यों में किस ढंग से प्रशासन चल रहा है। यदि प्रशासन गन्दा होने के आधार पर ही राष्ट्रपति का शासन लागू होता है तो बिहार में भी लागू होना चाहिए।

उड़ीसा की विधान सभा में सदस्य एक दल छोड़ कर दूसरे दल में सम्मिलित होते रहे हैं। मेरा इस दिशा में एक निवेदन है कि एक विधान पास किया जाना चाहिए कि यदि कोई सदस्य अपना दल छोड़ कर दूसरे दल में सम्मिलित होता है, तो उसे सदस्यता से अनिवार्य रूप में त्यागपत्र देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। प्रशासन में दृढ़ता लाने के लिए एक सुझाव यह भी है कि झारखड राज्य की स्थापना कर दी जाये। इससे बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगी। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ ही यह है कि परिवर्तन हो। थोड़े थोड़े समय के पश्चात् परिवर्तन होना ही चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्रपति के शासन में भी मैं काफी महत्वपूर्ण कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लूंगा। बिहार में भी यदि राष्ट्रपति का शासन हो जाये तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व महात्मा गांधी ने उड़ीसा को राजाओं के राज्य से मुक्त करवाने के लिए एक आन्दोलन आरम्भ किया था। इन राजाओं के राज्य में जनता का जो खून चूसा जाता था वह मैंने देखा है। परन्तु यह आश्चर्य की ही बात है कि कांग्रेस शासन का अनुभव प्राप्त करने के बाद उड़ीसा की जनता अब वहां के रजवाड़ों के साथ हो गयी है। इस राज्य में कांग्रेस जनता को अपने पक्ष में रख सकने में समर्थ नहीं हो पाई है। अतः कांग्रेस को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

यह बात भी भ्रांति फैलाने वाली है कि गणतंत्र परिषद् में केवल रजवाड़े हैं। वास्तविकता यह है कि इसे वहां की जनता का समर्थन प्राप्त है। इस के साथ ही खेद जनक बात यह है कि कांग्रेस वहां के भूतपूर्व रजवाड़ों पर हर तरह का दबाव डाल कर यह प्रयत्न कर रही है कि वे लोग कांग्रस के अतिरिक्त अन्य किसी भी दल में सम्मिलित न हों। इस प्रसंग में मेरा यह भी निवेदन है कि उड़ीसा सम्बन्धी कुछ मामलों के सम्बन्ध में वहां के राज्यपाल को समुचित परामर्श नहीं दिया गया। इस दिशा में कहां और क्यों भूल हुई इस का पता लगाया जाना चाहिये। सरकार को भी इस संबंध में प्रक्रिया में समुचित सुधार करना चाहिये ताकि भविष्य में एसी भूलें न होने पायें।

जहां तक चुनाव करवाने का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या यह उचित नहीं होगा कि उड़ीसा में अगले चुनाव आम चुनावों के साथ ही हों। सदस्यों द्वारा अपने दल में परिवर्तन कर लेने के सम्बन्ध में मेरा विनम्र सुझाव है कि सभी राजनीतिक दलों को एक आचरण संहिता का पालन करना चाहिये और अन्य दलों के सदस्यों को अपने दल में सम्मिलित न करने का निश्चय करना चाहिये।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के चुनावों में भी चिन्ह लगा कर मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहि । राष्ट्रपति शासन के दौरान यह सावधानी बरती जानी चाहिये कि प्रशासन किसी भी दल का पक्ष न ले, और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगन्नाथराव** (कोरापुट) : जब कोई और मार्ग न दिखाई दिया तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास सारी जानकारी भेज दी। यह उन का पग बहुत ही उत्तम था। उन्होंने यह सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। २२ मई १९५९ को गणतंत्र परिषद् के २६ और कांग्रेस के ६४ विधान सभाई सदस्यों ने सम्मिलित सरकार बनाने का निश्चय किया। यह सरकार २१ मास तक चलती रही। गणतंत्र परिषद् ने कांग्रस की नीति से सहमति प्रकट करते हुए यह आश्वासन दिया था कि वह कुछ सिद्धान्तों के मामले में कांग्रेस के साथ मिल कर चलेगी। इसी आश्वासन पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस सरकार को अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया था। स्थानीय प्रदेश कांग्रस ने भी इस सम्मिलित सरकार को अपना समर्थन प्रदान किया। परन्तु कुछ परस्पर सन्देह हो जाने से सरकार का काम न चल सका। २० फरवरी १९६१ को प्रदेश कांग्रस ने एक प्रस्ताव पारित कर के सम्मिलित सरकार को समाप्त कर देने का मत व्यक्त किया। कांग्रेस विधान सभाई दल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब मुख्य मंत्री के पास त्याग पत्र दे देने के अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं था। गणतंत्र दल के श्री सिंह देव वित्त मंत्री थे, उन्होंने आय व्ययक प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया। २१ फरवरी को राज्यपाल ने त्यागपत्र स्वीकार कर विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर अपने साथियों की कड़ी आलोचना की। श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने डा० महताब के राजनीतिक आचरण की कटु आलोचना की। श्री देव ने श्री पटनायक पर आरोप लगाये। परन्तु मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री मुकर्जी ने इस बात पर दुख प्रकट किया कि उड़ीसा में संसदीय लोकतंत्र का अन्त हो गया है। परन्तु जिस राज्य में राजनैतिक व्यवस्था ही बिगड़ जाये तो उस राज्य में कोई और चारा भी तो नहीं रह जाता।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि पश्चिमी देशों में संयुक्त सरकारें सामान्यतया चुनावों तक कायम रहती हैं किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी देशों की बात और है और हमारे देश की और। हमें अभी स्वस्थ विकास करना है।

श्री मुकर्जी ने कहा कि उड़ीसा में शासन की सुविधा के लिये ही संयुक्त सरकार बना ली गई थी परन्तु ऐसी बात नहीं थी। वस्तुतः संयुक्त सरकार बनाने से पूर्व इस बात पर सहमति हो गई थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना और कुछ एक भूमि सम्बन्धी सुधारों को पूर्णतः कार्यान्वित किया जायेगा। देखने पर ज्ञात हो जायेगा कि बड़ी हद तक वैसा हुआ भी।

श्री अशोक मेहता ने तो संयुक्त सरकार के विघटन पर दुख प्रकट किया। शायद उन्हें केरल का भय रहा हो। परन्तु हर एक राज्य की अपनी अपनी स्थिति होती है।

माननीय सदस्यों ने निर्वाचनों का भी उल्लेख किया। यह प्रश्न तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद् स्वीकार न कर ले। हमें इस प्रश्न पर चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस का जब भी निर्णय होगा, सभी दलों को अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

श्री महंती ने सारा दोष डा० महताब के ऊपर डाला है। परन्तु यह चीज गलत है। श्री जयपाल सिंह का कहना है कि भविष्य में भी उड़ीसा में किसी एक दल की सरकार बनने की संभावना नहीं है। हमारा अपना विचार है कि भविष्य में वहां पर कांग्रेस का बहुमत रहेगा और कांग्रेस अपनी सरकार बना सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अशोक मेहता :** यदि संयुक्त सरकार को केवल इसी कारण तोड़ा जाये कि बाद में कांग्रेस का बहुमत हो जायेगा तो यह बहुत बुरी बात होगी । इस तरह पर कांग्रेस का कोई विश्वास न करेगा ।

†**श्री जगन्नाथराव :** जहां तक मैं ने रिपोर्ट का अध्ययन किया है उस से तो किसी ऐसी चीज का प्रकटीकरण नहीं होता । यह तो बाद की चीजें हैं । इस कारण इन्हीं चीजों से अन्य प्रकार के अर्थ निकालना हितकर न होगा । इस सम्बन्ध में राज्यपाल का प्रतिवेदन बिल्कुल स्पष्ट है । मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** इस संकल्प पर कई सदस्यों ने उत्तजित हो कर भाषण दिये हैं । परन्तु हमें इस पर शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिये । मैं समझता हूं कि समस्त सभा इस बात को तो अनुभव करती है कि राज्यपाल के लिये कोई और चारा ही नहीं था ।

जब एक राज्य का मुख्य मंत्री भी यह कह दे कि वह राज्य का उत्तरदायित्व संभालने को तैयार नहीं है तो वह कर ही क्या सकता है । राज्यपाल ने गणतंत्र परिषद् से भी सलाह ली । उस दल के सम्बद्ध मंत्री ने भी बताया कि वह जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते । ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल द्विविधा में पड़ गये । और उस के उपरान्त ही उन्हों ने राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश की । कांग्रेस आदि के वर्गों की कार्यवाही अलग चीज है और उस के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा । किन्तु यहां पर तो तथ्यों का प्रश्न है । सवाल यह है कि मुख्य मंत्री ने क्यों एसा निर्णय किया और किस कारण गणतंत्र परिषद् ने ऐसी चीज कही । इन से राज्यपाल का कोई सम्बन्ध नहीं है । राज्यपाल के सामने तो यही चीज थी कि सरकार ने उसे त्यागपत्र देने की बात कह दी थी । जब राज्यपाल ने यह देखा कि कोई भी दल शासनभार संभालने को तैयार नहीं है तो उस ने कोई फैसला करना चाहा क्योंकि एसी अनिश्चित स्थिति दीर्घकाल तक तो नहीं रह सकती । राज्य का शासन कार्य तो चलाना ही था । इसीलिये संविधान में आपातकालीन उपबन्ध किये गये हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने कहा कि किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई । परन्तु चेतावनी का प्रश्न ही नहीं उठता था । इस प्रश्न पर चार पांच दिन तक चर्चा चली और सभी दल जानते थे कि अगला कदम क्या हो सकता है । संविधान बनाने के समय पर भी राज्यपाल के अधिकारों पर व्यापक रूप से विचार हुआ था । चूंकि वहां भी विभिन्न मत थे इस कारण संविधान-सभा ने दो समितियां बनाईं । वस्तुतः संघीय समिति ने राज्यपाल या राज्य सरकार के अधिकारों के बारे में कोई राय व्यक्त न की । किन्तु राज्यों सम्बन्धी समिति ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट सुझाव दिये थे । ऐसा सोचा गया था कि कोई समय आ सकता है जब किसी राज्य विशेष का काम न चल सके । ऐसे हालात में कुछ अधिकार दिये जाने अनिवार्य थे या तो वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाये अथवा राज्यपाल उन की ओर से शासन करें ताकि हकूमत का काम चलता रहे और जनता को कष्ट न हो । अतः हमारे विचार में सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का आरोप न्यायोचित नहीं है ।

हम ने सैद्धान्तिक चीजों की बजाये व्यक्तिगत बातों पर ही ज्यादा बातचीत यहां की है । श्री अशोक मेहता ने अपने भाषण की समाप्ति के समय कुछ सामान्य बातें कहीं । सब भाषणों को सुनने और बातचीत पर ध्यान देने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कांग्रेस का ही जिक्र हुआ है कि उस के आंतरिक दल किस प्रकार से काम करते रहे और कैसे वह सारी चीजें चलती रहीं । मैं इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

बात से सहमत हूं कि दलों में दलबन्दी से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कांग्रेस में भी यह चीज पैदा हो गयी है। अन्य राजनीतिक दलों में भी यह चीज पैदा हो चुकी है। यह चीज सामाजिक तथा शिक्षा संस्थाओं में भी चल रही है। इस से दुख होता है। यदि इसी कारण वे कांग्रेस की आलोचना करते हैं तो न तो उन्हें ही लाभ है और न ही इस से कांग्रस को कुछ फायदा है।

मुझे प्रजा समाजवादी दल का भी पता है। एक राज्य में इन के भी दो दल हैं। एक दल अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का समर्थक और दूसरा आलोचक है। ऐसा चल ही रहा है परन्तु यह चीज अच्छी नहीं है।

†**श्री अशोक मेहता :** मैं ने ऐसी बात नहीं कही, और जो बातें वह कह रहे हैं वह भी आधार-हीन हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मेरी जानकारी सही है। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि ऐसी दलबंदी अन्य दलों में भी विद्यमान है। परन्तु इस प्रकार मैं कांग्रस की दलबंदियों को न्यायोचित नहीं मान रहा।

उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया था। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस तरह से उत्तर प्रदेश की हालत ही खराब है। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सदस्यों ने दो बार एसा कार्य किया जो उचित नहीं था किन्तु वहां पर कोई ऐसा संकल्प तो पारित नहीं किया गया कि सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये। वह आपस में नाराज थे किन्तु सरकार को भंग करने की बात उन्हों ने कभी नहीं की।

किन्तु उड़ीसा में तो प्रान्तीय कांग्रेस ही इस निष्कर्ष पर पहुंची। विधान सभा के सदस्यों ने यह कहा कि सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये। यदि कोई दल एसा संकल्प पारित करता है तो सरकार स्थिति से आंखें बन्द नहीं कर सकती। दल के कहने पर मुख्य मंत्री को स्वयमेव त्यागपत्र देना पड़ा। इस कारण उत्तर प्रदेश आदि का उल्लेख उपयुक्त नहीं है।

श्री मुकर्जी ने कहा कि यह मेल बुरा था। हमार भी एक साथी ने इसके विरुद्ध अपना मत प्रकट किया था। परन्तु इस विषय पर अखिल भारतीय कांग्रेस दल ने विचार किया था और बहुमत से इसका समर्थन हुआ। श्री महताब के सुझावों को मैं स्पष्टतया समझ नहीं सका हूं; तीसरे सुझाव में उन्हों ने कहा है कि इन चीजों पर खुला फैसला होना चाहिये और खुले सुझाव प्राप्त होन चाहिये। जहां तक मैं समझता हूं नीतियों के बारे में खुली घोषणा हुई थी और आर्थिक कार्यक्रम के बारे में तो स्पष्टतया घोषणा हुई थी। उन चीजों को गण-तंत्र परिषद् के सामने सपष्ट कर दिया गया था। उसके बाद उनकी सहमति से ही यह साझेदारी हुई थी।

श्री मुकर्जी ने हमें शिक्षा दी परन्तु शिक्षा देना बड़ा आसान काम है। क्षमा कीजिये कि साम्यवादी दल भी स्वमेव एसी साझेदारियां करता है। तब सिद्धांतों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जाता। कांग्रेस को क्षति पहुंचाने की खातिर साम्यवादी दल किसी से भी मिल सकता है। किन्तु श्री मुकर्जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि इन चीजों पर मतवैभिन्य हो सकता है। किन्तु कांग्रेस ने यह समझा। अस्थायी आधार पर किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कहना कि कांग्रेस ने यह निर्णय इस कारण किया कि वह अल्पसंख्या में थी, गलत बात है। जब कभी सरकार टूटने को आये तभी राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ता है किन्तु मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत जो पहली कार्यवाही की गयी वह उस कांग्रेस सरकार के अधीन की गयी जो बहुसंख्या में थी। मैं पंजाब का जिक्र कर रहा हूं जहां १९५१ में कांग्रम की बहुसंख्या थी।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वह भ्रष्ट थी।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : भ्रष्टता की बात सदा ही माननीय सदस्य की जबान पर रहती है। यदि कही भ्रष्टाचार है तो हमारी सब ही की जिम्मेदारी है।

पंजाब में भी दलबन्दी के कारण स्थायी सरकार की स्थापना असंभव हो गयी थी। इसी कारण राष्ट्रपति को वहां का शासन सम्भालना पड़ा था। इसके उपरान्त पेप्सू और त्रावनकोर-कोचीन में कार्यवाही की गयी। फिर केरल में कार्यवाही की गयी। त्रावनकोर-कोचीन में तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मुख्य मंत्री कांग्रेस का था। उसके बाद वहां की स्थिति बदली और उन्हे दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ी। किन्तु जब यह देख लिया गया कि स्वयं ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो उस समय राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया।

अतः कहना न होगा कि जहां शासन का संभलना कठिन हो गया वहीं पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया।

मुझे याद है कि केरल में शीघ्र कार्यवाही न करने पर श्री द्विवेदी ने सरकार की कड़ी आलोचना की थी। जो बात श्री द्विवदी ने कही थी, लगभग वैसी ही बात हमार साम्यवादी मित्रों न भी कही थी किन्तु मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे सरकार की स्थिति को समझने का यथेष्ट प्रयास करे। जिस राज्य में एसी कार्यवाही हुईहो वहां का सदस्य जो चाहे कह सकता है। किन्तु सरकार को सारी बात देखकर ही किसी निर्णय पर पहुंचना पड़ता है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या वहां इस समय किसी प्रकार की राजनैतिक सरकार को रहने देना वहां की जनता के हित में है। इससे कुछ नहीं हो सकता। अब यह देखना है कि क्या राज्यपाल की मार्फत वहां का शासन कराना उचित है?

श्री महताब के लेख को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ा है। पहली बात तो यह है कि एक कम संख्या वाले दल को इस कारण सरकार नहीं बनानी चाहिये कि बाद में उसे लोग मिल जायेंगे। किन्तु इसे सामान्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि पहले एक दल की अल्पसंख्या हो किन्तु और भी अनेक सहृधर्मी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। यदि अल्प संख्या में रहते हुये भी एक दल को भरोसा है कि वहां की विधान सभा उनके साथ रहेगी तो राज्यपाल स्वविवेक से उस दल को सरकार बनाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। श्री महताब की बात सामान्य है। किन्तु ऐसी संभावना हो सकती है।

दूसरी बात है कि क्या हम इस देश में अधिक चुनाव लड़ाया करेंगे। इधर हम बचत की बात करते हैं और उधर चुनाओं में लाखों रुपया खर्च किया जाता है। क्या हम जनता को चक्कर में ही डाल देना चाहते हैं। हमें सभी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है।

कुछ समय पहले हमारी भी यह राय थी कि कांग्रेस को दूसरे दलों के साथ साझदारी नहीं करनी चाहिये ! किन्तु देश की राजनैतिक स्थिति बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। लोग कभी तो कांग्रेस की आलोचना करते हैं और कभी दूसरे दलों की। वह मतदान के समय भी कोई सहीं फैसला नहीं कर पाते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

हो सकता है कि आगे चलकर भी कुछ एक राज्यों में दो या तीन तीन दलों के काफी काफी सदस्य चुनाव जीत जायें। तब क्या हम यह कहेंगे कि चलो यहां दुबारा चुनाव कराओ। अतः ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जहां इस सिद्धांत का उल्लंघन करना पड़े।

यही नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर केरल में कांग्रेस, प्रजासमाजवादी अथवा साम्यवादी दल का बहुमत दो मतों से भी कम है तो भी राज्यपाल को यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह उस दल से राजकाज चलाने के लिये कहे। ऐसी स्थिति में जब कि राज्यपाल यह समझें कि वह दल राजकाज चलाने के लिये ठीक नहीं है तो वह यह निश्चय करें कि क्या फिर से नये चुनाव करायें अथवा कोई दूसरा और ही रवैया अपनायें। अतः मैं श्री महताब की बात से पूर्णतः सहमत हूं और मैं समझता हूं कि इस बारे में हम कोई कठोर नियम नहीं बना सकते। जहां तक कि दूसरे दलों से करार करने अथवा सौदाबाजी करने का प्रश्न है उसके पचड़े में नहीं पड़ना चाहिये। मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूं। देश में जो दो या तीन बड़े बड़े दल हैं उनमें बहुत थोड़ा ही अन्तर है। लेकिन फिर भी स्वतंत्र सदस्यों के बार में एक कठिनाई यह है कि व किधर जायेंग। आचरण के नियम सभी दलों के लिय एक ही होने चाहियें।

ऐसी स्थिति में जहां कि कोई भी राजनैतिक दल बहुमत में नहीं है वहां मिलीजुली सरकार बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ताकि बार बार चुनाव करने से बचा जा सके। उड़ीसा के मामले में हमने ऐसा ही किया। केरल के मामले में भी हमने ऐसा ही किया।

जहां तक कि प्रतिरक्षा मंत्री की भेंट का प्रश्न है जिसका उल्लेख संवाददाताओं ने दिया है। मैं तो नहीं समझता कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री इस प्रकार की बात कह सकते हैं। संवाद दाताओं का कहना है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि हम राष्ट्रपति का शासन उड़ीसा में इस लिये लागू करना चाहते हैं ताकि आगामी चुनाओं में वहां कांग्रस का अधिक से बहुमत आ जाये। मैं समझता हूं कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ऐसी बात नहीं कह सकते। क्योंकि ऐसा कहना देश तथा कांग्रस दोनों के लिये ही दुर्भाग्य की बात है।

श्री द्विवेदी ने चुनाव कराने के बा में कहा है लेकिन मेरे लिये यह बताना बड़ा कठिन है कि हम क्या करेंगे। लेकिन ऐसे मामलों के बारे में हमारी नीति यह रही है कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायें। फिर भी निर्वाचन आयोग की सुविधा का ध्यान रखना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि यह कितनी जल्दी हो सकता है। फिर भी हम इस पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इस बारे में कुछ निर्णय किया जायेगा, कि ये चुनाव कब हों।

जहां तक राज्यपाल के अध्या श के अधीन रुपये निकालने की बात है कि रुपया अभी तक नहीं निकाला गया है और हम शीघ्र ही अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ तथा श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का संशोधन मतदान के लिये रखे गये जो अस्वीकृत हुए।**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छद ३५६ के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में २५ फरवरी, १९६१ को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगें

†उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में उड़ीसा के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में चर्चा होगी। माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव सभापटल पर रख दें। यदि वे १५ मिनट के भीतर यहां आ जात हैं तो मैं उन्हे प्रस्तुत किया हुआ समझूंगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	जेलें	१,०३,५००
३	पुलिस	१०
४	योजना और पुर्ननिर्माण तथा योजना और समन्वय तथा राजनीतिक और सेवा विभागों सम्बन्धी अन्य व्यय	१५
५	सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि	२०
६	नदी घाटी विकास	१५
८	स्टाम्प	१६,०००
९	मंत्रियों, असैनिक सचिवालय और वित्त विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	५
१०	निवृत्ति-वेतन	७,३४,००२
११	शिक्षा विभाग सम्बन्धी व्यय	१२०
१२	करारोपण	३,७७९
१५	पंजीयन	५
१६	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	२,४२,०००
१७	उद्योग विभाग सम्बन्धी व्यय	५
१८	व्यवहार तथा सत्र न्यायालय और विधि विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	६,३६१
१९	लेखन सामग्री और छपाई तथा वाणिज्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	६,७२,८९९
२०	श्रम और उत्प्रवास और नियोजन संगठन	१२,६४९
२१	आदिमजाति तथा ग्राम कल्याण विभाग	८,०३,४८९
२२	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	३,२५,७६५
२३	लोक स्वास्थ्य	९,८८,२३५
२४	सिंचाई	२०,३५,२२२
२५	असैनिक निर्माण कार्य	१,५०,६२,०७६
२६	राज्य विधान-मण्डल	६९,८००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२८	विद्युत योजनायें	५
३०	परिवहन योजनायें	२९,००५
३१	वन	१,१०,५११
३३	सहकारिता . . .	१५
३४	स्थानीय निकायों को अंशदान	५,१४,१७०
३६	जन-सम्पर्क .	५७,५०५
३७	कृषि . . .	१५
३९	हीराकुड बांध परियोजना	५
४१	स्थानीय निधियों, सरकारी नौकरों आदि को ऋण . .	१५,००,०१५
४३	राजस्व लेखे से बाहर की विद्युत योजनायें और निर्माण विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय . .	५
४४	कृषि सम्बन्धी सुधार और अनुसंधान . .	२८,००,०००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत परिव्यय . .	६,३२,५०५
५१	सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना . .	५
५५	विकास (सहकारिता) विभाग सम्बन्धी पूंजीगत व्यय . .	१,८०,०००
५८	योजना और समन्वय (ग्राम पंचायत) विभाग सम्बन्धी अन्य निर्माण कार्यों का पूंजीगत लेखा	४०,०००
६०	असैनिक निर्माण कार्यों का पूंजीगत लेखा . . .	१,१७,७१,०२३

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा उड़ीसा की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
६	३४	श्री महन्ती	रूरकेला इस्पात संयंत्र क्षेत्र को रूरकेला नगर क्षेत्र से अलग करना ।	राशि घटाकर १ रुपये कर दी जाये
२१	३५	श्री महन्ती	विशेष बहुद्देशीय परियोजना और उसके क्षेत्र से परे के प्रयोजनार्थ निधि का स्थानान्तरण ।	१०० रु०

१	२	३	४	५
२१	३६	श्री महन्ती	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये सहायता की आवश्यकता।	१०० रु०
२२	३७	श्री महन्ती	उड़ीसा की रेडक्रास सोसाइटी को मानसिक चिकित्सा अस्पताल बनाने के लिये सहायता देना।	२०० रु०
२५	३८	श्री महन्ती	मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के लिये छात्रावास बनाना।	१०० रु०
३३	३९	श्री महन्ती	उड़ीसा से उर्वरकों की चोरी	राशि घटाकर १ रु० कर दी जाय।
३६	४४	श्री महन्ती	कलकत्ता में प्रेस सम्पर्क पदाधिकारी के पद की समाप्ति।	१०० रु०
४१	४५	श्री महन्ती	राज्य की संचित निधि से ऋणों के रूप में गैर-सरकारी उपक्रमों में धन लगाने का सिद्धान्त।	१०० रु०

उड़ीसा में जो हुआ है वह निश्चय ही बड़े दुख की बात है। मुझे डर है कि बहुत सी मांगों का, जो वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुपूरक मांगों के रूप में उपस्थापित की गई हैं, हम समर्थन नहीं कर सकेंगे। हम उन बातों को नहीं भूल सकते जिन परिस्थितियों को लेकर कि उड़ीसा के राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया। उस अध्यादेश के बारे में यहां के विधि मंत्रालय से परामर्श लिया गया और विधि मंत्रालय ने उसे अवैध ठहराया। और आज गृह कार्य मंत्री इन अनुपूरक मांगों को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

[श्री जगन्नाथराव पीठासीन हुए]

राज्यपाल का जो प्रतिवेदन यहां सभा में कल प्रस्तुत किया गया है उससे प्रकट होता है कि २१ फरवरी १९६१ को उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने घोषणा की कांग्रेस तथा गणतंत्र की मिलीजुली सरकार आय व्ययक प्रस्तुत नहीं करेगी जो कि उसे आज प्रस्तुत करना था। और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि वे सभा को स्थगित कर दें। इससे पूर्व विधान मंडल की बैठक हुई थी। राज्यपाल ने भाषण दिया था, उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन जब लोग वहां आय व्ययक की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मुख्य मंत्री ने आकर यह घोषणा की। अतः मेरा निवेदन है कि इस स्थिति के लिये वहां के मुख्य मंत्री ही अकेले उत्तरदायी हैं। इसके लिये दूसरा दल बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने जिस ढंग से राज्य की विधान सभा में आय व्ययक प्रस्तुत करना टाला है उससे पता चलता है कि दल के हितों के लिये राज्य के सर्वोत्तम हितों को तिलांजली दे दी गई है।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब समय वह आ गया है जब कि मिलीजुली सरकार बनाना अनिवार्य हो जायेगा । अतः ऐसी स्थिति में राजनैतिक दलों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये जैसा कि इस वक्त किया गया है ।

यहां जो भाषण हुए हैं उनसे पता चलता है कि मिलीजुली सरकार बनने के बाद वहां उड़ीसा में उद्योगों के विरोध में नीति अपनाई गई थी । जहां तक कि मांग संख्या ४१ का सम्बन्ध है, मिली-जुली सरकार को निजी उद्योगपतियों को ऋण देना रोक देना चाहिये था । सरकार ने ऋण के रूप में बड़ी बड़ी राशियों के विनियोजन के औचित्य पर विचार नहीं किया विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था घाटे में चल रही थी । यदि सरकार ने अंश पूंजी में योग दिया होता तो उससे राज्य में औद्योगीकरण हो जाता और मांग का समर्थन किया जा सकता था । अच्छा होता कि गैर सरकारी क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों को कोई ऋण न दिया जाता ।

मांग संख्या ४१ के अधीन बड़े और मध्यम प्रकार के उद्योगों के लिये बहुत बड़े ऋणों की व्यवस्था की गयी है, यदि उन उद्योगों में समान पूंजी लेने की व्यवस्था की जाती तो मैं इसका समर्थन करता, तथापि एक ओर राज्य सरकार १० करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश कर रही है और दूसरी ओर गैर-सरकारी उद्योगों में इतनी अधिक राशि ऋण के रूप में दी जा रही है । अत : मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि इस मांग के संबंध में मेरा कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ।

मांग संख्या ४१ के अधीन जो जानकारी दी गयी है वह बहुत अपूर्ण है । उड़ीसा के समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि देश के बड़े उद्योग पति, ज० के० उपक्रम को राज्य सरकार की ओर से वहां कागज का कारखाना खोलने के लिये ५० लाख रुपयों का ऋण दिया जा रहा है, मैं यह नहीं समझता कि उक्त उपक्रम को रुपयों की कमी है तब भला राज्य के संसाधन और पूंजीवादी हितों के विकास के लिये इस प्रकार क्यों उपयोग किया जा रहा है ।

मांग संख्या २६ सामान्य प्रशासन के संबंध में है । मिले जुले मंत्रीमंडल के भंग होने का कारण इना ही नहीं था कि दो पक्षों के इरादे भिन्न थे अपितु यह भी था जिस उद्देश्य से उन्होंने मिली-जुली सरकार बनायी वे असफल रहे । उदाहरणार्थ मिले जुले मंत्री मंडल ने यह तय किया था कि प्रशासन में अपव्यय को रोका जायेगा और उस राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जायेगा, इस कार्यक्रम को प्रधान मंत्री का आशीर्वाद तथा योजना आयोग का समर्थन भी प्राप्त हुआ; तथापि जैसा कि आप देखेंगे कलकत्ता में प्रैस सम्पर्क अधिकारी का एक नया पद बनाया गया, उस संस्थापन में वार्षिक व्यय ६९,५०० रु० होगा । इसमें संदेह नहीं है कि यह व्यय बहुत कम है तथापि मैं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं देखता हूं, यदि उड़ीसा की सरकार दिल्ली में प्रैस सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करे तो बात समझ में आती है तथापि कलकत्ता में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जो कि कलकत्ता प्रस को उड़ीसा राज्य सरकार के संबंध में सूचना देती रहे अनुचित है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय बात है कि उस व्यक्ति को लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया, वह पत्रकार भी नहीं है, वह व्यक्ति डा० मेहताब द्वारा संचालित ईस्टर्न टाइम्स और प्रजा तंत्र नेशनल टाइम्स का विज्ञापन एजेंट है । मुझे दुख के साथ सभा के सम्मुख यह बात कहनी पड़ रही है कि ऐसे व्यक्ति को प्रैस सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करना अनुचित है अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वे अनुपूरक मांगों में से इस मांग को हटा देवें ।

उड़ीसा के संचित निधियों की जिम्मेदारी अब सभा के हाथों में है । अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार का अपव्यय न किया जाये ।

†डा० सामन्त सिंहार (भुवनेश्वर) : मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं :

मांग संख्या ३ और २३ में गोविन्द द्वादसी मेले के संबंध में व्यय रखा गया था। इस मेले में पुरी में लगभग ५०००० व्यक्ति आये थे। तथापि मैं मेला अधिकारियों को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेले में किसी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि नहीं हुई और सारा प्रबन्ध बहुत अच्छी तरह चला।

मांग संख्या ४ स्वर्गीय श्री एस० एस० मूर्ति को १०००० रु० का उपहार अनुदान देने के संबंध में है। यह कहा गया है कि वे विकास विभाग के सचिव थे, और इस प्रकार उन्हें पांच विभागों का अकेले ही काम देखना पड़ा फलस्वरूप गोरोनरी थेम्बोसिस से उनकी मृत्यु हो गयी। उनके परिवार को आर्थिक संकट से मुक्त करने के लिये उन्हें यह राशि प्रदान की जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे मामलों पर गौर करे और देखे कि ऐसे और कितने अधिकारी हैं जिन्हें इतना अधिक कार्य करना पड़ रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति भविष्य में पैदा न होने दी जाये।

मांग संख्या ५ के संबंध में मुझे प्रसन्नता पूर्वक सभा को यह जानकारी देनी है कि सारे उड़ीसा राज्य में जिला परिषद् अधिनियम लागू हो गया है और ग्रामीण इलाकों में भी चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। तथापि इस योजना के अधीन पुष्टि योजना के संबंध में यह कहा गया है कि यह योजना राज्य के ३२ विकास खंडों में लागू की जायेगी और इसका उद्देश्य अच्छी शिक्षा द्वारा मछली अंडे तथा फलों का उत्पादन बढ़ा कर अधिक पुष्टि की व्यवस्था करना है। यह समझ में नहीं आता है कि शिक्षा के द्वारा पुष्ट तत्वों की वृद्धि की किस प्रकार व्यवस्था की जायेगी जब कि इस समय उड़ीसा के ३० प्रतिशत विद्यार्थी पुष्टिहीनता के शिकार हैं।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान चिलका झील की ओर दिलाना चाहता हूं। यह देश में मत्स्य उत्पादन का सब से बड़ा केन्द्र है तथापि वहां मछलियों का उत्पादन कम होता जा रहा है जिससे वहां के मछुए भूखे मर रहे हैं। इसका कारण यह है कि झील की दुरावस्था हो गई है, और उसमें रेती भरती जा रही है। मैं आशा करता हूं कि सरकार उस झील से रेती निकालने तथा मछलियों को पकड़ने पर नियंत्रण लगाने पर ध्यान देगी।

मांग संख्या ६ और ८ के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि वहां का पर्यवेक्षक और सतर्कता संगठन पूर्ण कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है मुझे ज्ञात हुआ है कि खुरदा में एक एस० डी० एम खुले आम घूस लेता है।

हीराकुड भूमि संगठन के लिये ५.६० लाख रुपयों की मांग रखी गयी है, जब हीराकुड बांध का काम दो वर्ष पूर्व समाप्त हो गया तो समझ में नहीं आता कि यह मशीनें वहां अभी तक क्यों पड़ी हैं।

उड़ीसा में निर्माण कार्यों में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आंशिक समय कार्य करने के लिये वहां जाते हैं। उनका ठेकेदारों और बिचौलियों के द्वारा शोषण किया जाता है मैं आशा करता हूं सरकार उनके हितों पर ध्यान देगी।

मांग संख्या २५ के संबध में मेरा निवेदन है कि कैंसर के लिये जैसा कि पहिले प्रस्तावित था एक पृथक अस्पताल खोला जाय क्योंकि राज्य में कैंसर के रोगियों की संख्या काफी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० सामन्त सिंहार]

मैं मांग संख्या २६ का समर्थन करता हूं कि राज्य लोक लेखा तथा प्राक्कलन समितियों के लिये अधिक व्यय की व्यवस्था की गई है जिससे कि वे मौके पर जा कर स्थिति का निरीक्षण कर सकें।

मांग संख्या ३३ के संबंध में मेरा निवेदन है कि प्रादेशिक बिक्री सहकारी समिति की दुकानें प्रत्येक क्षेत्र में खुलनी चाहिये जिससे कि मुनाफाखोरी पर नियंत्रण किया जा सके।

मांग संख्या ३४ के संबंध में मेरा निवेदन है कि एम० आई० परियोजनाओं का कार्य समय पर समाप्त करने के लिये उचित संख्या में ओवरसियरों और इंजिनियरों की व्यवस्था की जाये।

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा उड़ीसा की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :–

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४	१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राजकीय अतिथि गृह के लिये जीप जैसी स्टेशन वैगन की खरीद	१०० रु०
६	२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	हीराकुड में निपटायी न गई हुई मशीनों का भारी ढेर	१०० रु०
९	३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	नयी राजधानी के वृक्ष संवर्द्धन कार्यों में अत्यधिक व्यय	१०० रु०
११	४	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	एम० ई० स्कूलों को सहायता की राशि दिये जाने का प्रश्न	१०० रु०
११	५	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज्य में टैगौर के जन्म दिन के उपलक्ष में शताब्दि समारोह	१०० रु०
११	६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	गैर-सरकारी कन्या एम० इ० स्कूलों को इमारतों के निर्माण के लिये अनुदान	१०० रु०
११	७	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	युवक छात्रालयों की स्थापना का प्रश्न	१०० रु०
११	८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राष्ट्रीय जल संभरण स्वच्छता कार्य-क्रम—ग्रामीण जल संभरण योजना पर कार्य	१०० रु०
१६	९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	कागज-पत्रों और मुद्रण के व्यय में वृद्धि	१०० रु०
२१	१०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के जुलाहों की आर्थिक अवस्था में सुधार करने में असमर्थ रहना	१०० रु०

१	२	३	४	५
२२	११	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	क्षय रोगियों की अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रु०
२३	१२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या की सुविधा के लिये पुरी में पीने के पानी के संभरण की सुधार की आवश्यकता	१०० रु०
४१	१३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	गैर-सरकारी उद्योगपतियों को ऋण संबंधी सहायता देने के लिये धन राशि की व्यवस्था	१०० रु०
३६	२४	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	बढ़िया कारों का संधारण	१०० रु०
३६	२५	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	कलकत्ता में एक प्रेस सम्पर्क कार्यालय खोलने का प्रश्न ।	१०० रु०
३७	२६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	बाढ़ द्वारा बालु से भर गये क्षेत्रों के कृष्यकरण में धीमी प्रगति ।	१०० रु०
३७	२७	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	ग्रामीण विश्वविद्यालय के निर्माण में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	१०० रु०
३७	२८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज्य में प्रयोगिक नल कूप संगठन का कार्य ।	१०० रु०
४१	२९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	उड़ीसा खान क्षेत्र विकास निधि का प्रशासन ।	१०० रु०
४३	३०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज्य में अविलम्बनीय बाढ़ नियंत्रण कार्य करने में असफल रहना ।	१०० रु०
६०	३१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	रेवेनशा कालेज, कटक के विद्यार्थियों के लिये अच्छे छात्रावास की व्यवस्था करने में असफल रहना ।	१०० रु०
६०	३२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	भूवनेश्वर की नयी राजधानी में पीने के पानी के उपयुक्त संभरण की व्यवस्था करने में असफल रहना ।	१०० रु०
६०	३३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई अच्छी सड़कों की व्यवस्था करने में असफल रहना ।	१०० रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३३	४०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	उर्वरक की बिक्री के सम्बन्ध में, उड़ीसा राज्य सहकारी विक्रय समिति द्वारा की गई अनियमितताएं ।	१०० रु०
३३	४१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	विभिन्न खण्ड क्षेत्रों में बाजार कीमत पर किसानों को उर्वरक देने में असमर्थ रहना ।	१०० रु०
३४	४२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	पुरी नगर पालिका को सड़कों के सुधार के लिये अधिक धनराशि देने में असमर्थ रहना ।	१०० रु०
३४	४३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज्य के नगर जल सम्भरण और नाली योजनाओं पर बहुत धीमी गति से कार्य होगा ।	१०० रु०

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी): मैं राज्य पाल के अध्यादेश के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अवैध हो चूका है यदि नहीं तो उसे अनुच्छेद २१३ के अधीन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ।

अब मैं अनूपूरक अनूदानों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, मांगों के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण किया गया है वह बहुत अपूर्ण है और वस्तुत: यह बात समझ में नहीं आ सकती है कि यह रुपये किस प्रकार व्यय होंगे । मांग संख्या ६ हीराकुड भुमि संगठन के बारे में है । इस सम्बन्ध में एक नियंत्रण बोर्ड था जो पहिले केन्द्रीय सरकार के अधीन था लेकिन अब उड़ीसा की सरकार के अधीन आ गया है । हम कई बार सभा में भी सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर चूके हैं कि वहां लाखों रुपयों की मशीनें बेकार पड़ी हैं उनकी मरम्मत कर उन्हें बेचा जाना चाहिये, अब इस सम्बन्ध में ५ लाख से भी अधिक की मांग रखी गयी है, अत: संघ सरकार को चाहिये कि वे कुछ अधिकारी वहां भेज कर पता लगायें कि वास्तविक स्थिति क्या है अन्यथा इस मांग को पारित करने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

इस सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सब मशीनें उड़ीसा की सरकार के नाम ऋण के रूप में जमा हैं, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मशीनों की पूंजी, जो उड़ीसा सरकार के नाम जमा है, उस पर भी ब्याज लिया जाता है । उड़ीसा के लोग बहुत गरीब हैं अत: मैं माननीय मन्त्री जी से इस विषय में सही स्थिति जानना चाहता हूं ।

मांग संख्या ९ के अधीन ७०,००० रु० की राशि राजधानी भूवनेश्वर की सुन्दरता बढ़ाने, वहां बगीचे इत्यादि लगाने के लिये रखी गई है, जबकि उड़ीसा में अधिकांश गांवों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है ।

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं मांग संख्या ११ को लेता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा यह कथन है कि यद्यपि मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, तथापि मैं चाहता हूं कि इंगलिश मिडिल स्कूलों को राजकीय सहायता देने के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति निर्धारित की जानी चाहिये।

मैं मांग संख्या ११ का समर्थन करता हूं, तथापि केन्द्रीय सरकार को यह ज्ञात होना चाहिये कि अभी तक पुरी जैसे स्थान में एक भी महिला कालेज नहीं है, इससे वहां की महिला विद्यार्थियों को बहुत परेशानी होती है। मैंने इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निवेदन किया था उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से यह मांग रखी जाने पर वे इस ओर पूरी पूरी सहायता देंगे। इस सम्बन्ध में पुरी में एक समिति बनायी गयी है, जिसमें पुरी के जिला मजिस्ट्रेट के अलावा वहां के अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। अब मैं आशा करता हूं कि इस ओर उचित ध्यान दिया जायेगा।

अब मैं मांग संख्या ११ को लेता हूं। इसके अधीन सरकार ने युवक होस्टलों के निर्माण के लिये गोपाल पुर और खांडगिरी में चालीस चालीस हजार रुपये दिये हैं। ये होस्टल उड़ीसा के केन्द्रीय कल्याण बोर्ड की सिफारिश पर बने हैं, मेरा यह मत है कि उक्त बोर्ड में केवल कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं का बहुमत है अतः उसकी राय नहीं मानी जाये अपितु सरकार को ऐसे होस्टलों के निर्माण के पूर्व गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मांग संख्या १९ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उड़ीसा की राज्य सरकार के कार्यालय में होने वाले मुद्रण तथा कागज पत्रों इत्यादि का व्यय ८,७६,७४९ रु० रखा गया है यह बहुत अधिक है, अतः मेरा विचार है कि इस व्यय में कमी की जाये।

मांग संख्या २१ के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं रखी गयी है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि यद्यपि इस सम्बन्ध में उड़ीसा की सरकार के लिये १९६०–६१ में ४.२५ लाख रु० की योजना स्वीकार की गयी तथापि इसमें से वस्तुतः अनुसूचित जातियों या आदिम जातियों को बहुत कम लाभ हुआ।

१९६० की बाढ़ से अनुसूचित जातियों के लोगों के बहुत से मकान बिल्कुल बह गये, इस सम्बन्ध में यद्यपि राज्य के मन्त्रियों के पास विभिन्न क्षेत्रों से बहुत अभ्यावेदन भेजे गये थे तथापि वास्तव में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सका है।

पुरी के जल सम्भरण की व्यवस्था अच्छी नहीं है क्योंकि वहां की जल सम्भरण व्यवस्था १९२४ में केवल १० हजार व्यक्तियों के लिये की गयी थी जबकि अब जन संख्या बढ़ कर ४०,००० हो गयी है। पुरी अखिल भारतीय महत्व का तीर्थ स्थान है इसे ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि पुरी की नगर पालिका को नगर में जल संभरण की व्यवस्था में सुधार करने के लिये उपयुक्त राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या ३६ बिल्कुल अनुचित है अतः मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं यह मांग कलकत्ता में एक प्रैस सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। यदि उड़ीसा की सरकार अपना प्रचार करना चाहती है तो वह दिल्ली में किया जाना चाहिये, कलकत्ता में नहीं अतः मेरा ख्याल है कि यह मांग कलकत्ता में केवल अपने पक्ष के आदमी को रखने के लिये की गयी है अतः मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं।

अब मैं मांग संख्या ३७ को लेता हूं। पिछली बाढ़ से लगभग ५०,००० एकड़ जमीन रेत से भर गयी है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार के खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने वहां ट्रैक्टर भजने का बन्दोबस्त किया है तथापि अभी तक काम की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है, अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे तत्काल बड़ी संख्या में ट्रैक्टर भेजने की व्यवस्था करें

[श्री चिंतामणि पाणिग्राही]

जहां तक ऋण और अग्रिम धन का सवाल है उड़ीसा की सरकार ने जे० के० उपक्रम को उड़ीसा में एक कागज की मिल खोलने के लिये १५ लाख रु० ऋण के रूप में देने का निश्चय किया है। मेरे विचार से यह योजना आयोग के सिद्धान्त के अनुसार नहीं है। यदि राज्य सरकार वहां कागज का कारखाना खोलना चाहती है तो उसे राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत खोलना चाहिये और यदि जे० के० उपक्रम को ही सहायता देना चाहती है तो उसे अंशों के रूप में यह राशि दी जानी चाहिये न कि ऋणों के रूप में। इस प्रकार राज्य सरकार के हित अधिक अच्छी तरह सुरक्षित रह सकते थे।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करता हूं कि उड़ीसा के प्रशासन के लिये संसद् सदस्यों की एक सलाहकार समिति बना दी जाये जिससे कि उड़ीसा के अधिकारियों को दिल्ली बार बार विमान या गाड़ी के द्वारा न आना पड़े क्योंकि इससे अतिरिक्त व्यय होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर समुचित विचार करेगी।

श्री नारयणन् कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम): राज्यपाल द्वारा अनुपूरक मांगों के विनियोग के बारे में अध्यादेश जारी किये जाने के बाद असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई है। जब तक वह अध्यादेश जोकि एक कानून के रूप में है चालू है, तब तक सभा द्वारा उस जैसा कोई विधान पारित नहीं किया जा सकता उसे न तो अप्रभावकारी घोषित किया गया है और न उसे वापिस ही लिया गया है। जब तक इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्णय न हो जाये तब तक सभा अनुदानों की मांगों के बारे में कोई कार्यवाही करमें में समर्थन नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री महन्ती (ढेंकानल)**: जब तक अध्यादेश वापिस नहीं लिया जाता तब तक मांगों को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उन्हें अध्यादेश द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। इसलिये जब तक अध्यादेश कायम है तब तक मांगों पर विचार स्थगित कर दिया जाना चाहिये।

†**श्री आचर (मंगलौर)**: जहां तक संसद् का सम्बन्ध है तथा-कथित कानून का कोई अस्तित्व ही नहीं है और न्यायालय उस के अप्रभावकारी होने की घोषणा करे यह आवश्यक नहीं है।

†**श्री प्रभात कार (हुगली)**: जब तक न्यायालय अध्यादेश वैध अथवा अवैध, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं करता तब तक वह वैध ही रहेगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद)**: मेरा भी यही मत है कि जब तक अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता अथवा सभा पटल पर नहीं रखे जाने के बाद सदन द्वारा उसे अस्वीकार नहीं किया जाता तब तक मांगों पर विचार नहीं किया जा सकता।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: राज्य पाल ने अध्यादेश का कोई प्रयोग नहीं किया और उस के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अध्यादेश औपचारिक तौर पर वापस ले लिया जाये अथवा उसे सभा पटल पर रख दिया जाये। इस दिशा में आवश्यक निर्णय होते ही अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी। किसी विधान को वैध अथवा अवैध घोषित करना इस सदन का कार्य नहीं। यह काम न्यायालय का है।

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न प्रस्तुत किया गया है कि जब तक उड़ीसा सम्बन्धी राज्यपाल अध्यादेश कायम है हम इस दिशा में और कोई कानून बना सकते हैं अथवा नहीं । क्योंकि अध्यादेश को न तो वापिस ही लिया गया है और न अवैध ही घोषित किया गया है । गृह-कार्य मंत्री का कहना है कि अध्यादेश अवैध है । यह तो इस मामले में सरकार का मत है, परन्तु जैसा मैं ने इस से पूर्व कहा है कि केवल गृह-कार्य मंत्री के कह देने मात्र से तो अध्यादेश अवैध नहीं हो जायेगा । यह भी कहा गया है कि न्यायिक अदालत के अतिरिक्त कोई उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता । जिस प्राधिकार द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वह उसे वापिस भी ले सकता है । गृह-कार्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में कोई इशारा नहीं किया कि अध्यादेश वापिस लेने के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है । जहां तक अदालत का प्रश्न है, वह तो तब ही अपना निर्णय देगी जब कोई बात इसके पक्ष अथवा विपक्ष में उसके सम्मुख रखी जाये । यदि इस विषय को लेकर कोई न पक्ष होगा न विपक्ष तो अदालत निर्णय कैसे देगी । मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि किसी ऐसे विधान के बारे में, जो बाद में असंवैधानिक घोषित किया जा सकता हो, कार्यवाही करने के लिये यह सदन सक्षम है या नहीं, इस बात का निर्णय करने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष अपने ऊपर कभी नहीं लेते । इस बात का निर्णय हमेशा सभा पर छोड़ दिया जाता है । जो स्थिति है उस में क्या उचित है इस बात का निर्णय स्वयं सदन ही मतदान द्वारा करेगा । सरकार भी कुछ समय में यह तय कर लेगी कि इस दिशा में वह क्या कर रही है । वह अध्यादेश को सभापटल पर रख रही है अथवा नहीं । शीघ्र ही सरकार घोषणा करेगी तो इस मामले में निर्णय करने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

†**श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)** : मांग संख्या २१ से स्पष्ट है कि राज्य सरकार उन आदिवासियों के पुनर्वास की योजना को लागू करने में असमर्थ रही, जिन के मकान गत वर्ष की बाढ़ों में नष्ट हो गये थे । राज्य सरकार विशेष बहुप्रयोजनीय परियोजना मद के अधीन निर्धारित धन को खर्च नहीं कर सकी और अब उसे अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान बनाने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि जिस काम के लिये राशि निर्धारित की गई है, उस के अतिरिक्त किसी अन्य काम के लिये उस राशि को प्रयोग में लाने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री दातार** : मैं ने माननीय सदस्यों के सुझाव सुन लिये हैं । मेरा निवेदन है कि उड़ीसा विधान सभा का सत्र १६ फरवरी १९६१ को हुआ था । यह बजट सत्र था । इस सत्र के लिये वार्षिक बजट भी बनाया गया था । वार्षिक बजट तथा अनुपूरक मांगों की प्रतिलिपियां विधान सभा के सदस्यों को परिचालित कर दी गई थीं । विचार था कि यथापूर्व विधान सभा में उस सब पर विचार होगा । परन्तु मामला कुछ और ही हो गया और असाधारण घटनायें घटित हो गईं । विधान सभा को ही भंग करना पड़ गया मुख्य मंत्री महोदय ने त्याग पत्र दे दिया । इस परिस्थिति में वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया । उन्होंने इस दिशा में और कुछ करना भी उचित न समझा । यह सब २१ को हुआ और २५ को राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी हो गई । इस के पश्चात् इस दिशा में सारी शक्तियां संसद् को प्राप्त हो गईं और हमें उड़ीसा सरकार द्वारा निर्मित सभी अनुपूरक मांगों को सदन के समक्ष स्वीकृति के लिये रखा गया । शायद कई माननीय सदस्यों को पता नहीं कि अनुपूरक मांगों को तैयार करने के लिये बहुत थोड़ा समय था । इन्हें उसी रूप में ही प्रस्तुत किया गया है जिस रूप में उड़ीसा की भूतपूर्व सरकार ने इसे तैयार किया है । २३ फरवरी को राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया जिसे कि ठीक नहीं समझा गया । अत: हमें सदन के समक्ष सारी स्थिति प्रस्तुत करनी पड़ी । सरकार शीघ्र से शीघ्र इन मांगों को पास कराने के लिये सदन के सामने आई है : मैं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने जो विभिन्न सुझाव दिये हैं उन पर पूरी गम्भीरता विचार किया जायेगा । उड़ीसा राज्य के वार्षिक आय व्ययक (बजट) का भी पूरी तरह परीक्षण किया जायेगा । अध्यादेश के आधार पर कोई भी राशि व्यय नहीं की गई है । इस अध्यादेश के आधार पर कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है । इन अनुपूरक मांगों के स्वीकृत होने के बाद ही, आवश्यकता पड़ने पर व्यय किया जायेगा ।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बुनकरों की आर्थिक दशा में उचित ढंग से सुधार नहीं हुआ है । भारत सरकार स्वयं इसके लिये प्रयत्नशील है । अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की उड़ीसा शाखा ने भारत सरकारके सामने एक योजना पेश की थी, जिसे अनुमोदित कर दिया गया था । १९६०-६१ में उस की लागत ४.२५ लाख रुपये थी । उस राशि में से २.५५ लाख रुपये अनुसूचित आदिम जातियों और १.७० लाख रुपये अनुसूचित जातियों के बुनकरों के लिये थी । अनुसूचित जातियों के बुनकरों के लिये १.६६ लाख रुपये की लागत से छः सहकारी संस्थायें और अनुसूचित आदिम जाति के बुनकरों के लिये २.४६ लाख रुपये की लागत से १२ सामूहिक संस्थायें चालू वर्ष में खोलने का निर्णय किया गया है ।

सामूहिक संस्था का अर्थ क्या है, इस पर मैं बाद में बोलूंगा ।

गत वर्ष उड़ीसा में बाढ़ों के कारण बड़ा नुकसान हुआ था । राज्य सरकार ने उस के लिये, बाढ़ की रोकथाम के उपायों पर ३ करोड़ रुपये व्यय किये थे । १९६१-६२ में इस के लिये काफी व्यय करने का प्रस्ताव है ।

श्री महन्ती ने प्रेस सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति की थी । उस अधिकारी की नियुक्ति उसी मिली जुली सरकार ने की थीं, जिस का माननीय सदस्यों ने बड़ा समर्थन किया है । कलकत्ता में एक प्रेस सम्पर्क अधिकारी रखना आवश्यक समझा गया था ।

†**श्री महन्ती** : क्या किसी दल का सदस्य होने के कारण मैं किसी बात पर आपत्ति नहीं कर सकता ? माननीय मंत्री को मेरी आपत्ति पर विचार करना चाहिये, इस तरह दल की बात उठा कर उसे टालना नहीं चाहिये । माननीय मंत्री को ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं रहना चाहिये ।

†**श्री दातार** : कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है। सिद्धान्त की दृष्टि से तो माननीय सदस्य को हर बात कहने का पूर्ण अधिकार है, पर उस अधिकार में कोई ज्यादा सार इसलिये नहीं रह जाता कि मिली जुली सरकार ने एक प्रेस सम्पर्क अधिकारी रखना जरूरी समझा था । इस अवस्था पर, मिली जुली सरकार के सारे कार्य को खत्म करना हमारे लिये उचित नहीं होगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

उड़ीसा सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में भुवनेश्वर और गोपालपुर में दो युवक होस्टल बनाने का निर्णय किया था । सरकार ने युवक होस्टल की योजना के लिये दिये जाने वाले ४०,००० रुपये के अनुदान में से २०,००० रुपये भुवनेश्वर के युवक होस्टल के लिये मंजूर कर दिये हैं । शेष राशि से खंडगिरि के डाक बंगले की मरम्मत कटा कर उसे युवक होस्टल के उपयुक्त बनाया जायेगा ।

गोपालपुर के होस्टल के लिये चालू वर्ष में ४०,००० रुपये देने के प्रश्न पर भारत सरकार अभी विचार कर रही है । सरकार का निर्णय होते ही, उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जहां तक मुद्रण का प्रश्न है, कागज़ की ज़रूरत पड़ती ही है । इसलिये वर्तमान प्रशासन के कागज़ की अत्यावश्यक मात्रा से वंचित करना उचित नहीं होगा ।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि अब उड़ीसा सरकार के बहुत से अधिकारियों को दिल्ली आना पड़ेगा । कुछ हद तक तो बात सही है । माननीय सदस्य स्वयं भी उस के लिये उत्तरदायी है, क्योंकि वह ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिन के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों से सूचना मांगनी पड़ती है । लेकिन सरकार यथासम्भव मितव्ययता करेगी ।

आशा है कि सभा इन राशियों की स्वीकृति देगी ।

†**श्री महन्ती** : प्रैस सम्पर्क अधिकारी के सम्बन्ध में हमारी राय उड़ीसा प्रशासन तक पहुँचा दी जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार पूरी परिस्थिति के प्रति सतर्क है ।

†**वित्त उपमंत्री(श्री ब० रा० भगत)** : मेरे माननीय सहयोगी ने लगभग सभी बातों का उत्तर दे दिया है। मुझे कुछ ही बातों का उत्तर देना रह गया है। इन अनुपूरक मांगों का ढंग, उनकी पद्धति लगभग वही है, जो केन्द्र हमेशा से अपनाता रहा है। आगे से, हम कुछ खास मांगों के सम्बन्ध में अधिक विस्तृत फुटनोट्स दिया करेंगे ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का सुझाव है कि फुटनोट्स अधिक सविवरण होने चाहियें, जिससे कि पूरी चीज़ स्पष्ट हो सके । भविष्य में ऐसा ही किया जायेगा ।

भविष्य में यदि ऐसी मांगों को पेश करना पड़ा, तो माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों से उड़ीसा सरकार को अवगत करा दिया जायेगा। हम उनके बारे में अधिक से अधिक सूचना देने क प्रयास करेंगे ।

इन अनुपूरक मांगों की सकल राशि ४४०.४९ लाख रुपये है, जिसमें से २४३.२९ लाख रुपये राजस्व के खाते में और १९७.२ लाख रुपये पूंजी खाते के हैं। लेकिन उसका अधिकांश भाग चालू वर्ष की बचत, आय और वसूलियों से पूरा हो जायेगा। इसलिये इन भागों में अतिरिक्त व्यय की शुद्ध राशि केवल १५६ लाख रुपये है। लगभग ३ करोड़ रुपये बचत की राशि में से पूरा हो जायेगा। उड़ीसा का आयव्ययक कुल मिलाकर ६२ करोड़ रुपये का है, जिसमें से ४२ करोड़ रुपये राजस्व खाते में और शेष पूंजी खाते में हैं। इसलिये ये अनुपूरक मांगें मूल अनुदान की केवल तीन प्रतिशत ही हैं। यह कोई असाधारण चीज नहीं है। केन्द्रीय आय व्ययक के सम्बन्ध में की जाने वाली अनुपूरक मांगें भी इतनी ही रहती हैं। उड़ीसा की राजनीतिक की स्थिति चाहे असाधारण रही हो पर वित्तीय स्थिति सामान्य ही है ।

श्री महन्ती ने ऋणों और अग्रिम धन के बारे में, विशेषकर बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों को दिये गये ऋणों के बारे में एक प्रश्न उठाया था। जाहिर है कि ऐसी सहायता पर उनको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उनका कहना है कि राज्य को ऐसे उद्योगों में पूंजी लगाकर उनका भागीदार बनना चाहिये। सिद्धान्त रूप में यह ठीक होगा। मुझे उससे मतभेद भी हो सकता है। लेकिन उड़ीसा की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि सरकार को ऋणों के रूप में सहायता देने के लिये बाध्य होना पड़ा। राज्य सरकार का अपना अनुभव यह है कि पूंजी लगाने के रूप में सहायता देकर

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ब० रा० भगत]

राज्य सरकार ने नुकसान ही उठाया है। राज्य सरकार ने उड़ीसा टैक्सटाइल्स के कुछ शेयर खरीदे थे, लेकिन इतने वर्ष बाद तक भी उसे कोई लाभांश नहीं मिल पाया। इसलिये जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये, शीघ्रता से उड़ीसा का औद्योगीकरण करने के लिये और आदिम जातियों के लोगों को उन्नत बनाने के लिये, जरूरी है कि उड़ीसा में एक ऐसी नीति अपनाई जाये जो व्यावहारिक अधिक हो और सैद्धान्तिक कठमुल्लेपन की कम। सब से बड़ी जरूरत यही है कि यथाशीघ्र उद्योगों का विकास हो।

अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों को तो ऋण देना ही अच्छा रहेगा। इसे तो माननीय सदस्य भी मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों को भी ऋण के रूप में सहायता देना ही उड़ीसा सरकार ने अधिक व्यवहारिक समझा हो।

एक दूसरा प्रश्न हीराकुड परियोजना और वहां पड़ी मशीनों के उत्सर्जन के सम्बन्ध में उठाया गया था। हीराकुड परियोजना का काम पूरा हो चुकने के बाद जो मशीनें बेकार पड़ी हैं, उनको उपयोगी बनाने के लिये व्यवस्था करनी है। इसी के लिये ५ लाख रुपये की राशि मांगी गई है। कुछ सदस्यों ने शिकायत की है कि अभी तक उन मशीनों का उत्सर्जन क्यों नहीं किया गया। हीराकुड परियोजना में लगभग ६४ करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनें लगी थीं। उसके काम की समाप्ति के बाद, जो मशीनें अन्य परियोजनाओं के काम की थीं, उनको वहां दे दिया गया था। जिन मशीनों का कोई उपयोग नहीं रह गया था उनको श्रेणी 'ख' में रखा गया। अच्छी मशीनें दूसरी परियोजनाओं के लिये दे दी गई थीं। उनसे वसूल हुई राशि परियोजनाओं के खाते में जमा हो गई। लेकिन ६४ करोड़ रुपये के मूल्य की उन मशीनों में, ५० लाख की मशीनें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत के बिना उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी के लिये ५ लाख रुपये की जरूरत है। इससे उनकी मरम्मत के लिये एक कारखाना खोला जायेगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि राज्य सरकार ने हीराकुड परियोजना को १ अप्रैल, १९६० को ही अपने हाथ में ले लिया था। इस बीच में वह मशीनों का उत्सर्जन करती रही है। शेष मशीनों की मरम्मत के कारखाने के लिये अब उसने ५ लाख रुपये की मांग की है। इससे कम राशि में काम चल सकेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता।

एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की है कि वहां पीने के पानी की इतनी कमी होने पर भी भुवनेश्वर के मार्गों पर वृक्षारोपण करने के लिये इतना व्यय किया जा रहा है। वृक्षारोपण पर आपत्ति उठाते हुए हमने पहली बार सुना है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैंने वृक्षारोपण पर आपत्ति नहीं की। मैंने तो यह आपत्ति की थी कि पीने के पानी की इतनी कमी होने पर भी नयी राजधानी को अधिक सुन्दर बनाने के लिये ७०,००० रुपये खर्च करना कहां तक उचित है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य का ख्याल है कि हम जल-संभरण के कार्य की उपेक्षा कर रहे हैं। ख्याल ग़लत है। सिर्फ भुवनेश्वर में ही पानी की व्यवस्था के लिये २ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों को जल-संभरण के लिये १७ लाख और देहाती-क्षेत्रों को जल-संभरण के लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसे उपेक्षा करना नहीं कहा जा सकता।

इन शब्दों के साथ, मैं इन मांगों को सभा की स्वीकृति के लिये रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दातार :** उड़ीसा में एक शब्द का प्रयोग होता है—सामुदायिक सहकारी संस्थायें। मुझे उसका अर्थ मालूम नहीं था। अब मुझे बताया गया है कि वे सहकारी संस्थायें ही हैं और उनका काम सामग्री इकट्ठा करना ही है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** योजना आयोग की टिप्पणी में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह शब्द केवल उड़ीसा में इस अर्थ में प्रयुक्त होता है।

श्री महन्ती और श्री पाणिग्रही ने कटौती-प्रस्ताव रखे हैं। क्या माननीय सदस्य उन पर आग्रह करते हैं ?

†**श्री महन्ती :** जी, हां।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** जी, हां।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री महन्ती और श्री चिन्तामणि पाणिग्रही के कटौती प्रस्ताव बारी-बारी से,मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं, तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	जेलें . .	१,०३,५००
३	पुलिस	१०
४	योजना और पुनर्निर्माण तथा योजना और समन्वय तथा राजनीतिक और सेवा विभागों सम्बन्धी अन्य व्यय	१५
५	सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि . .	२०
६	नदी घाटी विकास .	१५
८	स्टाम्प	१६,०००
९	मंत्रियों, असैनिक सचिवालय और वित्त विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	५
१०	निवृत्ति-वेतन .	७,३४,००२
११	शिक्षा विभाग सम्बन्धी व्यय	१२०
१२	करारोपण	३,७७९
१५	पजीयन	५

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१९	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	२,४२,०००
१७	उद्योग विभाग सम्बन्धी व्यय	५
१८	व्यवहार तथा सत्र न्यायालय और विधि विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	६,३६१
१९	लेखन-सामग्री और छपाई तथा वाणिज्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय .	६,७२,८९९
२०	श्रम और उत्प्रवास और नियोजन संगठन .	१२,६४९
२१	आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग .	८,०३,४८९
२२	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय . .	३,२५,७६५
२३	लोक स्वास्थ्य . . .	९,८८,२३५
२४	सिंचाई	२०,३५,२२२
२५	असैनिक निर्माण कार्य . . .	१,५०,६२,०७६
२६	राज्य विधान-मण्डल . . .	६९,८००
२८	विद्युत योजनायें	५
३०	परिवहन योजनायें	२९,००५
३१	वन	१,१०,५११
३३	सहकारिता	१५
३४	स्थानीय निकायों को अंशदान . .	५,१४,१७०
३६	जन-सम्पर्क . . .	५७,५०५
३७	कृषि	१५
३९	हीराकुड बांध परियोजना . . .	५
४१	स्थानीय निधियों, सरकारी नौकरों आदि को ऋण . .	१५,००,०१५
४३	राजस्व लेखे से बाहर की विद्युत योजनायें और निर्माण विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	५
४४	कृषि सम्बन्धी सुधार और अनुसधान .	२८,००,०००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत परिव्यय . .	६,३२,५०५
५१	सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना .	५
५५	विकास (सहकारिता) विभाग सम्बन्धी पूंजीगत व्यय . .	१,८०,०००
५८	योजना और समन्वय (ग्राम पंचायत) विभाग सम्बन्धी अन्य निर्माण कार्यों का पूंजीगत लेखा .	४०,०००
६०	असैनिक निर्माण कार्यों का पूंजीगत लेखा . . .	१,१७,७१,०२३

अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा रेलवेज से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी। जो भी माननीय सदस्य कटौती-प्रस्ताव देना चाहें, वे पन्द्रह मिनट के अन्दर-अन्दर अपने कटौती-प्रस्ताव दे दें।

सब से अधिक कटौती-प्रस्ताव मांग संख्या १ के सम्बन्ध में दिये गये हैं। मांग संख्या १ रेलवे बोर्ड के सम्बन्ध में है। इसलिये कुल दस घण्टों में से ६ घण्टे मांग संख्या १ की चर्चा के लिये दिये जायें यह मेरा सुझाव है।

श्री जगदीश अवस्थी भाषण करें।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, अब हम रेलवे मंत्रालय सम्बन्धी विभिन्न अनुदानों पर वाद-विवाद करने जा रहे हैं और यदि हम इन अनुमानों को देखें और अनुदान संख्या १ को देखें जो कि रेलवे बोर्ड से सम्बन्धित है, तो कुछ तथ्य बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकाश में आ जाते हैं। प्रथम बात तो यह है कि रेलवे बोर्ड के अनुदान में जो व्यय दिखाया गया है १९६१–६२ के लिए वह ९८ लाख १९ हजार है। इसके पूर्व के वर्ष में रेलवे बोर्ड का व्यय ९३ लाख ६० हजार था और इससे पूर्व के वर्ष यानी १९५९-६० में वह ८३ लाख ८९ हजार था। इस प्रकार हम देखते हैं कि विगत दो वर्षों में रेलवे बोर्ड का व्यय ८३ लाख ८९ हजार से बढ़ कर के ९८ लाख १९ हजार हो गया है जिसका अर्थ यह होता है कि उस पर व्यय में १४ लाख के करीब वृद्धि हो गई है।

इसके साथ ही साथ यदि हम रेलवे बोर्ड में अधिकारियों की संख्या को देखें तो पता चलता है कि १९५९-६० के मुकाबले में १९६०-६१ में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। १९५८-५९ की संख्या नहीं दी गई है। सब से बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हमारे रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या पांच है, लेकिन इन पांच पांडवों के साथ में पांच ऐडीशनल मेम्बरों को, जो कि टेम्पोरैरी हैं, बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो रेलवे बोर्ड के डाइरेक्टर हैं उनके अतिरिक्त ज्वायेंट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, असिस्टेंट डाइरेक्टर आदि जो हैं, इन ज्वायेंट, डिप्टी और असिस्टेंटों की सेना भी लगा दी गई है। इनके साथ ही साथ सैक्शन आफिसर्स भी बढ़ाये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्रेटरीज की संख्या भी बढ़ाई गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन में सब से बड़ा हाथ रेलवे बोर्ड का होता है। रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्य नीति निर्धारण होता है और सेक्शन आफिसरों के द्वारा जो आप के मंडलों के कार्यालय हैं उनके द्वारा उस नीति को कार्य रूप में परिणत करने का मुख्य कार्य हुआ करता है। मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में हमारे रेलवे बोर्ड के चार या पांच ही मेम्बर हुआ करते थे जो कि समस्त संचालन का कार्य किया करते थे। लेकिन अब उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और साथ में धन का व्यय भी बढ़ता जाता है। एक तरफ तो रेलवे प्रशासन और सरकार कहती है कि हम अपने व्यय को कम करना चाहते हैं, अधिकारियों की संख्या कम करना चाहते हैं, लेकिन यदि हम अपने रेलवे बोर्ड की मद की ओर ध्यान दें तो पायेंगे कि अधिकारियों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती जा रही है। साथ ही हमारा रेलवे बोर्ड इस प्रकार की नीति का पालन कर रहा है कि पब्लिक सेक्टर में जो हमारी रेलें चलती हैं उन में नौकरशाही का बोलबाला होता जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज खाँ : काम भी बहुत बढ़ता जा रहा है।

श्री जगदीश अवस्थी : परन्तु दूसरी तरफ तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के रेलवे बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या में कमी की गई है। उनकी संख्या तो कम की जाती है और अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाती है। मैं समझता हूं कि रेलवे बोर्ड के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उन में काम करने की शक्ति है, वे भी मनुष्य हैं और वे ठीक काम करते हैं। लेकिन आप उनकी संख्या कम करते हैं, उन को बेकार करते हैं। अगर इस प्रकार से रेलव बोर्ड का कार्य चलेगा तो निस्संदेह भारतवर्ष के लिये यह कोई उत्तम लक्षण नहीं है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से निवदन करूंगा कि वे इस बात पर ध्यान दें और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों में जितनी कमी की जा सके उतनी करें। साथ ही रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन होना चाहिये। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि अभी तक प्रशासन चलाने के लिये रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, जेनरल मैनेजर के कार्यालय और आप के डिवीजनल खंड बने हुए हैं, मंडल बने हुए हैं। आप ने जो इतनी संख्या बढ़ा रक्खी है कार्यालयों की उस से मैं समझता हूं कि रेलवे प्रशासन को चलाने में और काम के करने में कठिनाई भी होती होगी और साथ में जो कोआर्डिनेशन अथवा सामंजस्य होना चाहिये वह नहीं होता है। इस लिये इस बात की आवश्यकता है कि रेलवे बोर्ड पर जो खर्च बढ़ रहा है उस खर्च को कम करने के लिये आप इस बात पर विचार करें कि रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय और जनरल मैनेजर कार्यालय के जो अफसर हैं उनकी संख्या कम की जाय। इसकी जांच पड़ताल करने के लिये आप एक कमेटी नियुक्त करें तो बड़ा अच्छा होगा। इससे आप बहुत सी बातें अनुभव करेंगे और साथ में अनावश्यक रूप से जो खर्च हो रहा है अधिकारियों पर और कार्यालयों पर उस में कमी होगी और आप एक नया आदर्श कायम कर सकेंगे।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है रेलवे के ठेकों के सम्बन्ध में। इस सदन में मैं ने दो वर्षों के अन्दर बराबर रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित किया कि कुछ वर्ष पूर्व ३ करोड़ के ठेके हिन्दुस्तान की ११ बड़ी-बड़ी कम्पनियों को, पूंजीपतियों को, इस लिये दिये गये थे कि वे रेलवे के वैगन्स, छोटे-छोटे पार्टस, पहिये और कल पुर्जे आदि बनायें। वे ठेके कुछ सालों के लिये दिये गये थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन ११ ठेकों में से दो व्यक्ति जिनको ठेके दिये गये थे २८, २८ लाख रुपये के, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। लेकिन उन के ठेकों की जिन्दगी बढ़ाई गई। न उनके पास भूमि है और न उनके पास साधन हैं जिन से वे अपना काम पूरा कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि जिन ११ बड़े-बड़े व्यक्तियों को ३ करोड़ रु० के ठेके दिये गये थे उनका अब क्या भविष्य है। कानपुर नगर की दो बड़ी-बड़ी फर्मों, सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स और जे० के० आइरन, को २८, २८ लाख रु० के ठेके दिये गये। मैं कहना चाहूंगा कि चार वर्ष हो गये, अभी तक मैं ऐसा अनुभव करता हूं, कि कानपुर नगर की दो बड़ी-बड़ी फर्में जिनको ५६ लाख रु० के ठेके दिये गये थे, उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकी हैं। फिर भी उन का जीवन बढ़ाया जाता है। अभी हाल में सिंह इंजीनिअरिंग वर्क्स ने, जितने उनके पास कारखाने हैं उनके संचालन के लिये, राज्य सरकार से ५० लाख रु० कर्ज लिया। उसके बाद उन्होंने १२ लाख रु० की जमीन वहां के बोर्ड से २ लाख रु० में ले ली। लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। अभी हम उड़ीसा की बहस कर रहे थे। जे० के० ग्रुप को २५ लाख रु० का लोन उड़ीसा में कागज की मिल खोलने के लिये दिया गया है। उसको २८ लाख रु० का ठेका रेलवे बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। फिर भी कोई काम पूरा नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें कि जब हम बड़े-बड़े पूंजीपतियों को रेलवे की तरफ से लाखों रुपयों के ठेके देते हैं, तब हम उन से समय पर काम क्यों नहीं लेते हैं। आखिरकार रेलवे

का पैसा जनता का पैसा है। यह पब्लिक अन्डरटेकिंग है। इस में ठेकों के नाम पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों को धन देकर उन से समय पर काम न लेना और उनके समय को और बढ़ा देना बड़ा गम्भीर विषय है। मैंने गत वर्ष भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था लेकिन वे ठेके अब भी विद्यमान हैं पर काम नहीं हुआ है। जनता के नाम पर उन ठेकों को खत्म किया जाय और जो चित्तरंजन लोको है, जहां पर काम होता है सब चीजों को बनाने का, रेलवे वहीं पर यह चीजें बनवाये और इन पूंजीपतियों से अपना पीछा छुड़ाये।

रेलवे मंत्रालय ने घोषणा कर रक्खी है कि छोटे-मोटे ठेके हम सहकार समितियों को देंगे। मैं किसी घटना विशेष का वर्णन नहीं करना चाहता। रेलवे मंत्रालय ने और रेलवे बोर्ड ने सहकारी समितियों और कोआपरेशन की वृद्धि के लिये सहकारी समिति बनाये जाने का नियम कर रक्खा है, लेकिन जब भी सहकार समितियां छोटे-मोटे ठेकों के लिये कोशिश करती हैं और आवेदन पत्र देती हैं तो व्यक्तिगत ठेकदारों को प्रोत्साहन मिलता है और सहकार समितियों को यह कह कर अलग कर दिया जाता है कि आप ने जो डेढ़ या दो हजार रु० की जमानत का नियम बना रक्खा है उस को उन्होंने जमा नहीं किया और इस लिये ठेका नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि एक ओर तो आप सहकार समितियों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं दूसरी ओर उन को व्यक्तिगत लोगों के समकक्ष रख कर इतनी लम्बी रकम की जमानत रखते हैं, यह अनुचित बात है। यदि सहकार समितियों को प्रोत्साहन देने की आप की नीति है तो फिर उनकी जमानत वाली जो शर्त है उस में छूट दी जाये। आप इस की जांच कीजिये कि कहां-कहां पर सहकार समितियों को ठेके नहीं दिये गये और व्यक्तिगत ठेकेदारों को प्रोत्साहन दिया गया। आप चाहें तो इसके उदाहरण मिल सकेंगे। मैं केवल कानपुर नगर की एक घटना का वर्णन करना चाहता हूं जहां पर दो वर्षों से कुछ संगठनों ने कोआपरेटिव सोसायटी बना कर ठेका मांगा। लेकिन ठेका उनको नहीं दिया जाता है, दूसरों को दे दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को देखें।

मुझे मालूम होता है कि रेलवे मंत्रालय ने यह भी नियम सा बनाया है कि जो छोटे-मोटे ठेके दिये जाते हैं वे स्थानीय व्यक्तियों को न दे कर लोगों को खुश करने की दृष्टि से, पक्षपात करने के लिये बाहर के लोगों को दिये जायें। आप इस बात को देखिये कि रेलवे मंत्रालय की नीति स्पष्ट न होने के कारण जो छोटे-मोटे ठेके दिये जाते हैं वे बाहर वालों को मिलते हैं। हम चाहते हैं कि स्थानीय व्यक्तियों को ठेके दिये जायें। आज तो व्यक्तियों को एक प्रदेश से ला कर दूसरे प्रदेश में ठेके दिये जाते हैं, इस से पक्षपात स्पष्ट प्रतीत होता है। मैं चाहूंगा कि ठेके के सम्बन्ध में जो आज इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण नीति और खुशामद की नीति बरती जा रही है उस की ओर रेलवे मंत्री ध्यान दें और इस प्रकार का रवैय्या अपनायें जिस से भविष्य में इस प्रकार की बातें न हों।

इसके साथ ही साथ रेलवे मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व अपनी यह नीति घोषित की थी कि वे कुछ नान सेलेक्शन पोस्ट रक्खेंगे जिस में केवल सीनिआरिटी के आधार पर रेलवे कर्मचारियों को तरक्की मिलेगी। यह बड़ा अच्छा नियम था। सेलेक्शन में चूंकि आम तौर से भ्रष्टाचार, पक्षपात घूसखोरी आदि की बहुत सी बातें हुआ करती थीं, इस लिये आप ने इस नियम को रक्खा था, लेकिन एक तरफ तो आप ने नानसेलेक्शन पोस्ट के लिये सीनिआरिटी रक्खा और साथ ही साथ उस सीनिआरिटी के साथ सूटेबिलिटी शब्द भी जोड़ दिया। और सूटेबिलिटी के नाम पर भिन्न-भिन्न रेलों में वही पक्षपात, घूसखोरी और वही भ्रष्टाचार होता है। मैं चाहता हूं कि—

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सूटेबिलिटी तो हमेशा रही है, सूटेबिलिटी और सीनियारिटी दोनों हमेशा रही हैं।

[श्री जगदीश अवस्थी]

श्री जगदीश अवस्थी : आपने इन पोस्टों का नाम सिलेक्शन पोस्ट रखा है। लेकिन सूटेबिलिटी का तो कोई टैस्ट नहीं है। या तो आप इनको सिलेक्शन पोस्ट न कहिए या सूटेबिलिटी की बात न रखिए। ऐसा करने से वही पुराने तरीके आ जाते हैं जिनसे भ्रष्टाचार पनपता है। और सिलेक्शन पोस्ट महत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें।

इसके साथ-साथ मैं ट्रैन एग्जामिनर्स के बारे में भी यह कहना चाहता हूं कि जब हड़ताल हुई थी यह उस समय आपने घोषणा की थी और सैकिंड पे कमीशन ने भी कहा था कि उनका वेतन १८० रुपए से २४० रुपए तक का रहेगा। आपने इसके लिए आश्वासन दिया था। लेकिन जब हड़ताल समाप्त हो गयी तो वह आश्वासन भी चला गया और उनका प्रारम्भिक वेतन १५० रुपया कर दिया गया। मैं समझता हूं कि सरकार जो वचन दे उस पर उसे कायम रहना चाहिए। इस पर आप विचार कीजिए। सारे देश में इस प्रकार के चार हजार कर्मचारी हैं जो वैगन्ज और कोचेज को एग्जामिन करते हैं, जो ट्रैन के मूवमेंट को चैक करते हैं। अगर आप इनको ठीक वेतन नहीं देंगे तो काम ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको इनको संतुष्ट रखना चाहिए।

इसी के साथ-साथ जो इनके काम का तरीका आपने रखा है वह ठीक नहीं है। आप इनको एक कोच या वैगन को एग्जामिन करने के लिए एक मिनट का समय देते हैं। मैं समझता हूं कि इतने कम समय में कोई भी ठीक प्रकार से वैगन को या कोच को एग्जामिन नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो आप इन लोगों का समय बढ़ा दीजिए या अगर ऐसा न कर सकें तो इनकी संख्या बढ़ा दीजिए। केवल नाम मात्र के लिए वैगन या कोच को एग्जामिन करने से काम नहीं चल सकता।

इसके साथ ही साथ मैं कुछ अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इन मांगों का मैंने कटमोशन्स में जिक्र किया है। कानपुर जिले में नारदर्न, नार्थ ईस्टर्न और सेंट्रल रेलवे का संचालन होता है। मेरा निवेदन है कि सेंट्रल रेलवे पर पामा भीमसेन के बीच में बिनौर स्टेशन बना दिया जाए। इसके लिए जनता बहुत दिनों से मांग करती आ रही है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि आप उस पर विचार करें और वहां पर एक स्टेशन खोला जाए।

इसी प्रकार पूर्वोत्तर रेलवे पर बिलहौर तथा उत्तरीका के बीच में धौर सलार के फ्लैग स्टेशन के लिए भी जनता की बहुत दिनों से मांग है। इस स्टेशन के न होने से जनता को बड़ा कष्ट होता है। इसके लिए जब मांग की जाती है तो जवाब दिया जाता है कि जनता वहां चैन खींचती है। आपको यह देखना चाहिए कि आखिर जनता ऐसा क्यों करती है। आप उसकी जांच कीजिए। मेरा ख्याल है कि अगर वहां पर एक स्टेशन बन जाए तो जनता चैन खींचना बन्द कर दे। लेकिन कुछ रेलवे के अधिकारी झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और जनता की मांग को पूरा नहीं करते। मैं समझता हूं कि जनतंत्र में जनता की मांग सर्वोपरि महत्व रखती है। इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

आपने पांच सौ मील या उससे ज्यादा दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सोने की सुविधा प्रदान की है। लेकिन लम्बी गाड़ियों में जो आपने सोने के लिए डिब्बे लगाए हैं वे तीन टायर सीट वाले हैं जिनमें यात्रियों को बड़ा कष्ट होता है। इन यात्रियों के साथ ही आप दूसरे कम दूरी वाले यात्रियों को ३ रुपया ७० नये पैसे लेकर सोने की सुविधा देते हैं। इन तीन टायर वाली सीटों के कारण यात्रियों को बड़ा कष्ट होता है। मेरा सुझाव है कि कम से कम उन यात्रियों के लिए जिनसे आप ३ रुपए ७० नये पैसे लेते हैं तीन टायर वाले डिब्बों में स्थान न दें। मेरा

सुझाव है कि इन तीन टायर की सीट वाले डब्बों को खत्म करना चाहिए और उनके स्थान पर दो टायर की सीट वाले डिब्बों को लाना चाहिए। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पर अडौल मकन पर में, जो एक अच्छा स्टेशन है, हमारे प्रदेश का सब से बड़ा जानवरों का मेला लगता है। पहले इस मेले के समय लोगों को कैटिल वैगन पर्याप्त संख्या में मिल जाते थे लेकिन अब कम वैगन मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि इनमें वृद्धि होनी चाहिए और सरकार की यह नीति भी है कि इस प्रकार के मेले बढ़ें। इससे आसपास के किसानों को बहुत लाभ होता है और दूसरे लोगों को भी लाभ होता है। इस मेले में बहुत दूर-दूर से व्यापारी आते हैं। उनको सुविधा मिलनी चाहिए। वहां पर लाखों यात्रियों का जमाव होता है। स्टेशन छोटा है। यह सही है कि आप मेले के समय टेम्पोरेरी वेटिंग शेड बना देते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि वहां पर स्थायी रूप से लम्बा-चौड़ा वैटिंग हाल बनाया जाए।

कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नगर है। लेकिन यहां से या लखनऊ से दक्षिण भारत को जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। झांसी से एक बोगी चलती है जो कि जी० टी० में जुड़ती है। उसमें जगह की कमी रहती है। इसके अतिरिक्त चूंकि उत्तर प्रदेश के और दक्षिण भारत के लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझते इसलिए उनमें आपस में झगड़ा होता है। और इससे थर्ड क्लास के यात्रियों को तकलीफ होती है। मेरा निवेदन है कि यदि आप एक ट्रैन न चला सकें तो लखनऊ से या कानपुर से दक्षिण भारत के लिए एक बोगी लगा दें जो कि जी० टी० में लगाई जाए।

इसी तरह से बम्बई हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा व्यपारिक नगर है और कानपुर भी बहुत बड़ा व्यापारिक नगर है। लेकिन कानपुर से एक भी बोगी बम्बई के लिए नहीं जाती। इससे यात्रियों को कष्ट होता है। लखनऊ से एक बोगी चलती है। इसलिए यात्री कानपुर से उसमें जाकर बैठते हैं और उनको बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बम्बई के लिए कानपुर से भी एक बोगी लगायी जाए।

मैं आशा करता हूं कि जो ये दो तीन मांगें मैंने आपके सामने रखी हैं उन पर आप विचार करेंगे।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, रेलवे प्रशासन ने पिछले वर्षों में जो प्रगति की है उसके लिए वह प्रशंसा का पात्र है। कुछ अच्छी बातें हुई हैं और भी बहुत कुछ करना है। मैं कुछ थोड़ी बातों की तरफ रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले रेलवे के कर्मचारियों को जो वरदी दी जाती है उसके बारे में मुझको खास तौर से कुछ कहना है। करीब १२ लाख रेलवे कर्मचारी हैं जिनको यूनीफार्म दी जाती है और उनमें से अधिकतर को उससे असन्तोष है। जहां कहीं भी मैं जाता हूं और इस विषय में लोगों से पूछता हूं तो उनको असन्तुष्ट पाता हूं। इस असन्तोष को दूर करना चाहिए। उनको असन्तोष इस कारण है कि जो यूनीफार्म उन के लिए बनवायी जाती है वह उनके ठीक नाप की नहीं होती। मैंने एक गार्ड का कोट देखा कि उसकी दोनों साइड्स ही नहीं मिलती थीं। उनमें चार ६ इंच का अन्तर रहता था। इसी तरह से मैंने देखा कि कुछ लोगों की पैंटें चार-चार छः-छः इंच ऊंची थीं। नारदर्न, सेंट्रल, वैस्टर्न जिस रेलवे में भी मैं जाता हूं यही चीज देखता हूं। इसका कारण यह है कि एक आदमी को बम्बई में तमाम कर्मचारियों के लिए यूनीफार्म बनाने का ठेका दे दिया गया है। बहुत से लोग उससे कपड़ा ले लेते हैं। लेकिन वह पांच गज देता है जब कि उसको छः गज मिलता है। कर्मचारी अपने पास से पैसा खर्च करके उस कमी को पूरा करते हैं और अपने लिए यूनीफार्म बनवाते हैं। या बहुत से कर्मचारी पांच पांच दस दस रुपया अपने पास से खर्च करके छोटी को बड़ी और बड़ी को छोटी करवाते हैं। अंग्रेजों के समय में यह बात नहीं होती थी। खेद है कि स्वतंत्र होने के बाद यह बात हो रही है। कर्मचारी अपने पास से सिलाई देने को

[श्री राधेलाल व्यास]

तैयार हैं अगर उनको कपड़ा दे दिया जाए। तो जहां लाखों आदमियों को ड्रैस देने का सवाल है तो आपको देखना चाहिए कि उनको ठीक ड्रैस मिले क्योंकि ड्रैस का मनुष्य के मन पर बड़ा असर पड़ता है। अगर ड्रैस ठीक न हो तो उसको दुःख होता है क्योंकि वह देखने में खराब लगता है। आप एक-एक आदमी को तीन-तीन चार-चार ड्रेसें देते हैं और इस तरह से लाखों रुपया दूसरे लोग कमाते हैं, लेकिन कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस असन्तोष को दूर करने की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि आपने ५०० मील से अधिक के यात्रियों को बगैर सरचार्ज दिए हुए रिजर्वेशन की सुविधा दी है वे एक स्वागत योग्य चीज है। मैंने उसमें सफर किया है और मैंने देखा है कि कई दफे लोग बच्चों के नाम पर जिनका कि उनको आधा टिकट पड़ता है पूरी बर्थ ले लेते हैं लेकिन उस बर्थ का वह सोने में उपयोग नहीं करते हैं और उस पर सामान रखते हैं जो कि मेरी समझ में उसका उचित उपयोग नहीं है। अब अगर कोई उस सुविधा का सही उपयोग न करे तो वह बर्थ दूसरों को एलौट कर दी जानी चाहिए लेकिन आज होता यह है कि वे उस बर्थ का सोने में प्रयोग नहीं करते हैं और उन पर सामान रखते हैं और दूसरे यात्रियों को जो कि बर्थ रिजर्व करना चाहते हैं और उसका सोने में उपयोग करना चाहते हैं उनको वह नहीं मिलती है जिसके कि कारण उनको बड़ी तकलीफ और असुविधा का सामना करना पड़ता है। अब चूंकि बगैर कोई सरचार्ज दिए रिजरवेशन हो जाता है इसलिए वे बर्थ बच्चे के नाम पर रिजर्व करा लेते हैं लेकिन उस बर्थ का इस्तेमाल सोने में न कर सामान उस पर रखते हैं। मेरा इस बारे में सुझाव है कि ऐसी बर्थ जिनका कि उपयोग सोने में न किया जाए उनको दूसरे जरूरतमंद लोगों को देने का आदेश हो जाना चाहिए।

रेलवे प्रशासन द्वारा स्ट्रैट होम डिलीवरी और कलैक्शन आफ गुड्स फ्राम दी हाउसेज की जो व्यवस्था की गयी है वह बड़ी अच्छी और स्वागत योग्य व्यवस्था है और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी इसे प्रारम्भ किया जाय। अब इन्दौर, जबलपुर, भूपाल और ग्वालियर आदि यह बड़े बड़े शहर हैं और इस तरह की व्यवस्था वहां पर भी आरम्भ करनी चाहिए। हमारा इतना बड़ा राज्य है उसमें भी कहीं-कहीं पर इसकी शुरूआत करें।

मेरे क्षेत्र में उज्जैन से नागदा को जहां ८ घंटे में तीन गाड़ियां चलती हैं वहां १६ घंटे में एक भी गाड़ी नहीं है। मैंने यह सुझाव कई दफे पहले भी रक्खा है और आज फिर मैं उसको रखना चाहता हूं कि एक रैक जो रात को १२ बजे नागदा से आता है वह दूसरे दिन के १२ बजे तक खाली पड़ा रहता है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है और इसलिए उससे सुबह को एक गाड़ी चालू कर सकते हैं। मैंने देखा कि रात के पौने आठ बजे के बाद दूसरे दिन के १२ बजे तक एक भी ट्रैन नहीं है जब कि महत्वपूर्ण गाड़ियां जैसे जनता एक्सप्रेस जो कि सुबह वहां पहुंचती है उससे जाने वालों को कोई गाड़ी नहीं है उसका कोई कनैक्शन नहीं है। इसी तरह से फ्रंटियर मेल से जिनको जाना होता है उनको जाने के लिये कोई गाड़ी नहीं है। इसी तरीके से सुबह को मथुरा बड़ौदा लोकल से जाने वालों को भी कोई गाड़ी या कनैक्शन नहीं है। भूपाल से रात को तीन बजे जो उज्जैन गाड़ी आती है उससे आनेवाले यात्री जो आगे रतलाम या मंसौर वगैरह जाना चाहते हैं उनको भी कोई कनैक्शन नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर यही सुझाव दूंगा कि एक रैक जो रात को १२ बजे नागदा से आता है और दूसरे दिन १२ बजे तक खाली पड़ा रहता है उस को चालू करें .....

अध्यक्ष महोदय : रीजनल कौंसिल बनी हुई हैं वहां यह सुझाव भेज सकते हैं।

श्री राधेलाल व्यास : जी रीजनल कौंसिल में भी मैंने इस चीज को रखा है लेकिन मेरा अपना अनुभव यह रहा है कि वहां पर अपनी बातों को रक्खे २, २ साल हो जाते हैं लेकिन वह पूरी नहीं हो

पाती हैं और मैं इसलिए यह उपयुक्त समझता हूं कि उन बातों को यहां पर अपने रेलवे मिनिस्टर साहब के सामने पुनः रख दूं जो कि जनता के दुःख दर्द को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं ....

†**श्री शाहनवाज खां** : संसद्-सदस्यों के साथ नियमित रूप से बैठकें होती हैं, उनमें महा-प्रबन्धक भी उपस्थित रहते हैं। हर सत्र के दौरान ऐसी बैठकें होती हैं। यदि उन बैठकों में यह प्रश्न उठाया जायेगा, तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे।

श्री राधेलाल व्यास : उसमें भी मैंने उठाया था।

दूसरी चीज मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन्दौर-बिलासपुर एक्सप्रेस गाड़ी ३१ दिन में से २९ दिन लेट आती है। इस चीज को कई दफे रीजनल कौंसिल में भी रक्खा, वहां बम्बई जा कर रक्खा लेकिन अभी तक वही बेढंगी रफ्तार जारी है और उसमें कोई सुधार नहीं होता है। यह बड़े दुःख और शर्म का विषय है कि रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन इसको भी नहीं सुधार सकता। महीने में २७, २८ दिन गाड़ी लेट चले आखिर यह क्या बात है? अब जो डिफैक्ट्स के लिए कहा जाय तो क्या दूसरी गाड़ियों में वह डिफैक्ट्स नहीं है? क्या दूसरी गाड़ियां हमेशा इसी तरीके से लेट होती हैं? मैंने इसकी बाबत कई दफे पहले भी ध्यान दिलाया है और आज पुनः बड़े जोर के साथ इस सदन के मार्फत यह चीज रखना चाहता हूं कि यह अव्यवस्था दूर होनी चाहिए।

डिपार्टमेंटल केटरिंग के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि यद्यपि कई भाइयों ने उसकी तारीफ की है ताहम मैं तो आप से यही कहूंगा कि पहले हालत जो कुछ अच्छी थी वह अब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अब मेरे जो भाई नाश्ता वगैरह करते हैं और दिन में दो, दो और चार चार मर्त्तबा खाते हैं उनका तो आज जो भोजन रेलवे से मिलता है उससे पेट भले ही भर जाय लेकिन उन आदमियों का जो दो बार केवल रोटी खाते हैं उनका पेट तो बिल्कुल नहीं भर सकता। अब फुलके कहने को तो चार दिये जाते हैं लेकिन वह छोटे छोटे और हलके हलके दिये जाते हैं और उनसे आदमी का पेट नहीं भर पाता है। अब होता यह है कि कोई स्टैन्डर्ड तो फिक्स है नहीं और वह थोड़ा सा आटा लेकर उसी में चार फुलके बना देते हैं और इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उसके वास्ते कोई एक स्टैन्डर्ड होना चाहिये कि इस वजन के फुलके होंगे। यही हालत चावल की है। उसका भी आज कोई स्टैण्डर्ड नहीं है बस थोड़ा सा परोस दिया जाता है। इसलिये चावल का भी एक स्टैण्डर्ड होना चाहिये कि चावल जो दिया जायगा वह इतना होगा। मैं चाहता हूं कि इनके बारे में कोई एक स्टैण्डर्ड फिक्स किया जाय और जो खराबी है उसको सुधारा जाय।

गूना-उज्जैन लाइन का सर्वे हो चुका है। उसका बजट में प्राविजन है। बहुत थोड़ा सा सर्वे बाकी रह गया है। मेरा निवेदन है कि उन्होंने जो नया सर्वे किया है उसमें इस को शाजापुर से तराना होकर आगे तराना रोड में मिला दिया जाय। वह तहसील हैडक्वार्टर भी है और उसको अगर वह शामिल कर लें तो उससे सड़क से भी लाइन दूर हो जायगी और लौंग रन में जाकर इससे रेलवे को भी फायदा होगा जनता को तो होगा ही। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस उज्जैन-गुना लाइन को शाजापुर से तराना होकर तराना रोड तक बढ़ा दें।

हमारे इतने बड़े प्रदेश में एक मेल ट्रेन की बहुत जरूरत है। मैंने पहले भी कहा है अहमदाबाद से कलकत्ता तक वाया नागदा उज्जैन, भुपाल, बीना, और कटनी एक मेल ट्रेन रन की जाय लेकिन वह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधलाल व्यास]

अभी तक शुरू नहीं की गई है। एक मेल ट्रेन की मांग इस प्रदेश में अर्से से रही है। मैं तो कहूंगा कि अभी आप फिलहाल एक मालवा मेल अहमदाबाद और भुपाल के बीच में शुरू करें और मैं समझता हूं कि उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। ऐसी मेल ट्रेन की बहुत जरूरत है और आज जो यात्रा में घंटों लगते हैं वे न लग कर लोगों को आराम पहुंचेगा और उनका कम समय लगेगा।

हमारे प्रदेश में नैरोगेज लाइन्स काफी हैं और एक समय तो आना चाहिए था जब कभी न कभी नैरोगेज के बजाय कोई दूसरी रेलगाड़ी की वहां पर व्यवस्था हो। मैं चाहता हूं कि ग्वालियर से भिण्ड लाइन को अगर उसको भिण्ड के आगे बढ़ा कर इटावा तक जोड़ दिया जाय तो उचित होगा और उससे दूसरी रेलगाड़ियों पर जो ज्यादा लोड है वह किसी कदर कम हो सकता है और यह बहुत लम्बा रास्ता जो है वह बहुत छोटा हो सकता है। इसलिये इस ओर ध्यान देना चाहिये। ग्वालियर से शिवपुरी जो नै ोगेज है उसकी बजाय ब्रौडगेज बना दिया जाय और उसको शेवपुर के आगे सवाई माधोपुर या कोटा तक मिला देना चाहिए और ऐसा करने से दूसरी गाड़ियों पर जो ज्यादा लोड होता है वह कम हो सकता है।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि हमारे यहां उज्जैन में एक विक्रम युनिवरसिटी है और जैसा कि आपको पता ही होगा कि वहां पर काफी एजूकेशनलिस्ट्स आते रहते हैं लेकिन यह देखने में आया है कि वे वहां आने में थोड़ा पशोपेश करते हैं क्योंकि उनको अपर क्लास में फर्स्ट क्लास में जगह नहीं मिलती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस इन्दौर-बिलासपुर ट्रेन में एक कोच लगा दी जाय जिसमें कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास भी हो। ऐसी व्यवस्था करने से लोगों को सहूलियत होगी। अब होता यह है कि इन्दौर से जो गाड़ी आती है उसमें फर्स्ट क्लास भरा हुआ होता है और लोगो को उसके कारण बड़ी तकलीफ होती है और इसलिये लोग आने में हिचकते हैं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

एक अन्तिम बात मुझे रेलवेज में टिकटलैस ट्रैविल के बारे में कहनी है। मिनिस्टर साहब ने भी अपने भाषण में उसका जिक्र किया है और यह स्वीकार किया है कि यह समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। अब रेलवे बोर्ड ने जो टिकटलैस ट्रैविल के आंकड़े दिये हैं वे तो उन्हीं तक सीमित हैं जिनको कि रेलवेज ने बगैर टिकट सफर करते हुए डिटैक्ट किया है लेकिन उनके अलावा हजारों लाखों ऐसे भी लोग हैं जो कि बगैर टिकट सफर करते हुए पकड़े नहीं जाते और उनका शुमार इन आंकड़ों में नहीं है और वास्तव में देखा जाय तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अब इसका एक ही इलाज है और वह है कौरीडोर ट्रेंस चलाया जाना। कोरीडोर ट्रेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ायी जानी चाहियें ताकि टिकट चैकर्स चलती रेलगाड़ी में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाकर यात्रियों को चैक कर सकें। अब आज हालत यह है कि जो लोग बगैर टिकट सफर करते हैं वे भी तो होशियार होते हैं और जहां गाड़ी स्टेशन पर रुकी वे गाड़ी से उतर आते हैं और देखते रहते हैं कि टिकट चैकर महाशय किस डिब्बे में जा रहे हैं और वे उसमें न जाकर और कहीं बैठ रहते हैं और इस तरह चकमा देने में सफल हो जाते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि कौरीडोर ट्रेंस की अधिक से अधिक व्यवस्था की जाय और उनके बनाने में जो रेलवेज का खर्च आयेगा उसके मुकाबले में उन्हें इस व्यवस्था से जो आमदनी प्राप्त हो सकेगी वह बहुत ज्यादा होगी। बस इन थोड़े से सुझावों को रखते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, युद्ध के पहले सवारी गाड़ियों और जनता एक्सप्रेस गाडियों की जो गति थी उसको हमने बाद में बढ़ाया और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में पहले

उस गाड़ी को पहुंचने में कितना समय लगता था और अब कितना लगता है उसकी यदि आप तुलना करें तो आपको ज्ञात होगा कि पहले और अब में काफी अन्तर है। युद्ध के पहले जिस गाड़ी को नागपुर से दिल्ली या कलकत्ते से बम्बई, कलकत्ते से नागपुर या नागपुर से मद्रास तक किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक एक टरमिनस से दूसरे टरमिनस तक जो उसका रनिंग टाइम था और आज जो उसका अभी रनिंग टाइम है उन दोनों टाइमिंग्स की तुलना करेंगे तो आपको उनमें अन्तर मिलेगा। मैंने इसको अपनी दो, तीन कमेटियों में कहा, एम० पोज कंसलटेटिव कमेटी में कहा था कि वास्तव में गाड़ियों की स्पीड नहीं बढ़ती है बल्कि उनका रनिंग टाइम बढ़ा दिया जाता है। अब जब लोग शोरगुल करते हैं और आलोचना करते हैं तब यह रेलवे अधिकारी रेल के रनिंग टाइम को बढ़ा देते हैं ताकि लोगों को इस धोखे में डाला जा सके कि गाड़ी ठीक समय पर चलती है। अभी हमारे व्यास जी ने बतलाया था कि इंदौर-बिलसपुर एक्सप्रैस ट्रेन का रनिंग टाइम बढ़ा दिया गया है अर्थात् १६घंटे से २१घंटे कर दिया है फिर भी देर से चलने की शिकायत आती ही रहती है। आज हमारे देश को स्वतन्त्र हुए १२ साल हो गये। हमने इस बीच में अपनी लाइन्स की कैपेसिटी बढायी, क्रौसिंग स्टेशन्स बढ़ाये और लाइनें जो कि पहले ६० पौंड की थीं उनको हमने ९० पौण्ड बढायी और उससे भी अधिक बढ़ायी। लेकिन यह मज़-बूती बढ़ने के बाद भी हम देखते हैं कि गाड़ियां लेट चलती हैं और रनिंग टाइम को बढ़ा दिया गया है। आज के ज़माने में हर क्षेत्र में कार्य तेज़ी और शीघ्रता से हो रहा है, लेकिन यह खेद की बात है कि हमारी गाड़ियां धीमी गति से चल रही हैं। मेरा सुझाव यह है कि इस बात की जांच करने के लिये कि हमारे देश में गाड़ियां क्यों लेट चलती हैं, आल इण्डिया लैवल पर एक स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिए। वह कमेटी गाड़ियों के लेट चलने के कारणों पर विचार करे और उन को शीघ्रगामी करने के उपायों के सुझाव दे। आज स्थिति यह है कि यदि साउथ-ईस्टर्न रेलवे से इस विषय में शिकायत की जाये, तो वे कहते हैं कि हम को इस के लिये सेंट्रल रेलवे का कोआपरेशन चाहिये, यदि वह सहयोग देंगे, तभी यह काम हो सकेगा। इसी प्रकार सेंट्रल रेलवे के अधिकारी सदर्न रेलवे पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हम को उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, इसलिये जब तक उनसे सहयोग नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं,। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सब रेलवेज़ एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं और तरह तरह के बहाने बनाती हैं, जिस का परिणाम यह है कि गाड़ियां अभी भी लेट चलती हैं और इस दिशा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी सुझाव दिया है, सारे हिन्दुस्तान की रेलवेज़ की गति को बढ़ाने पर विचार करने के लिये एक हाई पावर कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि देश भर में सब गाड़ियों को शीघ्रतागामी बनाया जा सके।

इस सम्बन्ध में हम यह भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति को चार सौ, पांच सौ या छः सौ मील की यात्रा करनी हो,उसको पैसेंजर गाड़ी से ही जाना पड़ता है और उसको कोई फ़ास्ट गाड़ी नहीं मिलती है। मैं इस प्रकार के कई उदाहरण बता सकता हूं। सारे हिन्दुस्तान के लिये हमारी पालिसी यह होनी चाहिये कि हर एक यात्री को देश के किसी भी कोने तक जाने के लिये शीघ्रगामी गाड़ी उपलब्ध हो सके। मैं आपको उदाहरण के रूप में यह बताना चाहता हूं कि बिलासपुर से कोटा जाने में छःसौ मील की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन वहां कोई शीघ्रगामी गाड़ी नहीं मिलती है। नार्थ-ईस्टर्न रेलवे में लोगों को दो सौ मील से ज्यादा सवारी गाड़ी पर जाना पड़ता है और समय बरबाद करना पड़ता है।

अब मैं कैटरिंग के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आजकल हम देखते हैं कि हम वहां काम करने वाले कर्मचारियों की तन्ख्वाह बांध देते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं कि दो चार थाली परोसने के बाद कह देते हैं कि अब गाड़ी छूटने वाली है, अब खाना नहीं दिया जा सकता है। इसलिये केटरिंग में सुधार तभी हो सकता है यदि कमीशन एजेन्सी की पुरानी पद्धति को फिर से लागू किया जाये। इसके बिना दक्षता नहीं आयेगी और यात्रियो को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अभी हमारे

[श्री जांगड़े]

मित्र, श्री व्यास, ने भी कहा है कि भोजन के सम्बन्ध में सुधार नहीं हुआ है। जहा तक ब्रांच-लाइनों का सम्बन्ध है, भोजन में क्वालिटी और क्वान्टिटी—गुण और परिमाण—दोनों दृष्टियों से सुधार नहीं हुआ है। इन दोनों में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रशासन को इधर ध्यान देना चाहिये।

हम हर साल देखते हैं कि रेलवे के एस्टाब्लिशमेंट चार्जिज़—स्थापना का खर्च—बढ़ते जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि अमुक काम के लिये कितने का कंट्रैक्ट दिया जाता है और उसमें कितना खर्च होता है, इस विषय में बारीकी से जांच नहीं की जाती है। न तो मंत्री महोदय और न ही रेलवे बोर्ड के आफ़िसर इस ओर ध्यान देते हैं। यदि कोई छः मील लम्बी लाइन के लिये छः लाख का एस्टीमेट बना देता है, तो कोई इस बात की जांच-पड़ताल नहीं करता है कि उसमें वाकई चार लाख रुपया खर्च होता है बल्कि छः लाख रुपये की स्वीकृति दे दी जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि इन बातो की बारीकी से जांच की जाये। इससे रेलवे विभाग के करोड़ों रुपये बच सकते हैं।

हम देश में समाजवादी समाज स्थापित करने की बात करते हैं,लेकिन जहां तक रेलवे के कंट्रैक्ट्स का सम्बन्ध है, पचास पचास लाख और दो दो करोड़ रुपये का ठेका एक एक ठेकेदार को दे देत हैं। अच्छा हो यदि इसको ब्रेक-अप करके दो, चार, पांच लाख के ठेके लेबरर्ज़ की को-आपरेटिव सोसाइटीज़ को दे दिये जायें। बड़े बड़े ठेकेदार रुपया, डेढ़ रुपया एक मजदूर को देकर काम लेते हैं, लेकिन एक एक मजदूर के पीछे चार पांच रुपया कमा लेते हैं। इस नीति का परिणाम यह है कि पूंजीपति तो लखपति होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहे हैं। इसलिये लेबरर्ज़ की को-आपरेटिव सोसाइटीज़ को इन्सेन्टिव देना चाहिये और उनको एनकरेज करना चाहिए और बड़े बड़े ठेकेदारो को काम देने की पद्धति को तोड़ कर ब्रेक-अप करके ठेके देने चाहिए, ताकि देहात के आदमी भी ठेका ले सकें। रेलवेज़ इतनी बड़ी अंडरटेकिंग है, इतना बड़ा उद्योग है कि देश के छोटे से छोटे आदमी को भी उस मे हिस्सा मिलना चाहिये।

अब मैं रेलवे राजस्व के अपगमन—पिलफ़ेज आफ़ रेलवे रेवेन्यूज़—के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हम अक्सर कहते है कि जनता बिना टिकट के रेलों में यात्रा करती है, लेकिन तथ्य यह है कि रेलवे के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही रेलवे राजस्व के अपगमन के लिये ज़िम्मेदार हैं। यदि किसी स्टेशन मास्टर या टिकट कलेक्टर के चार पांच दोस्त आयें, तो वे उनको कह देते हैं चुपके चुपके चले जाओ। अगर इसकी पूरी तरह जांच की जाये तो इस प्रकार बिना टिकट यात्रा करने वाले लाखों व्यक्ति आपको मिलेंगे। टिकट कलेक्टर, गेट कीपर की तरह एक स्टेशन पर खड़ा रहता है। उसके पास कोई फ़िज़िकल वर्क नहीं होता है। उन लोगों की तन्ख्वाह बढ़ाने की बात तो की जाती है, लेकिन उनके कर्तव्य की ओर कभी ध्यान नही दिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त जब तक उनकी प्रापर सुपरविज़न और प्रापर चेकिंग न हो, तब तक इस दिशा में सुधार होना कठिन है। ट्रेड यूनियन आरगेनाइज़ेशन्ज़ कर्मचारियों की तनख्वाह के विषय में आन्दोलन चलाती हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर और कर्तव्य-पालन की भावना की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। यह बात मैं आपके सामने चुनौती देकर कहना चाहता हूं। इस महत्वपूर्ण विषय की तरफ़ यथोचित ध्यान न दिये जाने के कारण रेलवे की करोड़ों रुपये की जायदाद की पिलफ़ेज होती है। जब तक इसका उपाय नहीं किया जायेगा, तब तक राजस्व मे अपगमन को रोका नही जा सकता है।

ब्रिजिज़ के सम्बन्ध मे मुझे यह कहना है कि अक्सर यह होता है कि ओवर-ब्रिजेज़ के सम्बन्ध में कभी कभी राज्य सरकारों की सहायता और सहयोग नहीं मिलता है और कभी कभी स्वयं रेलवे विभाग की ओर से देर होती है। मैं इसके उदाहरण दे सकता हूं कि कहीं पर राज्य सरकार ने सहयोग

नहीं दिया और कहीं रेलवे विभाग ने असावधानी दिखाई। सागर में ओवर-ब्रिज बनाने के लिये रेलवे प्रशासन दो साल से कमिटिड है, लेकिन वह अभी तक नहीं बन पाया है।

रेलवे अपनी कनवीनियेंस और ट्रांसपोर्ट फ़ैसिलिटी के लिये पार स्टेशन बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीना-कोटा लाइन पर सूमरखेड़ी नाम का एक गांव है। वहां तीस साल से गाड़ी रुकती है, लेकिन अभी तक वहां पर स्टेशन नहीं बन पाया है और उसको हप स्टेशन के नाम से सम्बोधित नहीं कर सके हैं।

रायपुर-वाल्टेयर लाइन पर कोमाखान नाम का स्टेशन है। वह एक बड़ा स्टेशन है। वहां बीस साल से गाड़ियां रुकती हैं, वहां केवल एक ही मेन लाइन है लेकिन अभी तक वहां लूप लाइन नहीं बन पाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन छोटी छोटी बातों पर रेलवे प्रशासन का ध्यान जाना चाहिये। बात यह है कि हमको समय नहीं मिलता है और प्वाइंट्स भूल जाते हैं, इसलिये इस विषय में याद दिलाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

खड़गपुर में एक छत्तीसगढ़ प्राइमरी एजूकेशन सोसाइटी बनी है। वहां पर स्कूल को रेकगनीशन मिल गया है और बिल्डिंग भी बन गई है, लेकिन दो तीन साल तक प्रार्थना पत्र देने के बावजूद उसको न वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट से और न रेलवे विभाग से रुपया मिला है। इस सम्बन्ध में मैं जी० एम० से भी मिला, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर बेचारे मजदूरों ने एक एक पैसा जमा करके बिल्डिंग बनाई है, इसलिये उनको पैसा देने की तुरन्त व्यवस्था की जाये।

मालगाड़ियों की गति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सुधार सा हो गया है, अर्थात् एक घंटे में आठ मील के बजाये नौ या साढ़े नौ मील की गति हो गई है। लेकिन वह गति आज के ज़माने में पर्याप्त और उचित नहीं है। जब तक गुड्ज़ ट्रेन की गति नहीं बढ़ायी जायगी, तब तक ट्रांसपोर्ट फ़ैसिलिटीज़ नहीं बढ़ सकेंगी।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बार बार कहा है कि रेल-रोड काम्पीटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने देखा है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ब्लंडर करती है, वहां रेलवे विभाग भी ब्लंडर करता है। अन्तर्राज्यीय राजमार्ग—नेशनल हाइवे—के समानान्तर ही रेलवे विभाग की ओर से रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं। इससे रेल-रोड काम्पीटीशन बढ़ता है। हम देखते हैं कि सौ मील तक माल पहुंचाने में रेलवे को दिन भर लगते हैं, जब कि ट्रक छः घंटों में पहुंचा देता है। इस कारण रेलवे को उस रेवेन्यू से वंचित होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में एक उच्च-स्तरीय कमेटी बन है लेकिन फिर भी यह डिफैक्ट दूर नहीं हो पाया है। जब तक पैरालल लाइन्ज़ बनाई जाती रहेंगी और लोगों को उचित सुविधायें नहीं दी जायेंगी, तब तक रेलवे का राजस्व नहीं बढ़ेगा। इसलिये मैं रेलवे मंत्रालय का ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

रेलवे स्टोर्ज़ के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि स्क्रैप मैटीरियल की निगरानी की ओर—चाहे वह कोयले का चूरा हो, चाहे मशीनरी हो—पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है।

मैं आपको कई केसिस बता सकता हूं। खड़गपुर और नागपुर ऐसे स्टेशन हैं जहां पर कि गुंडों का आतंक है और ये गुंडे बाहर वाले लोग नहीं हैं बल्कि रेलवे के कर्मचारी ही हैं और ये वही लोग हैं जिनकी कि ट्रेड यूनियन वाले इतनी हिमायत करते हैं। जब माल चोरी चला जाता है तो उसकी तहकीकात करने का प्रयास नहीं किया जाता है। बड़े बड़े अफसर लोग, क्लास १ लोग डरते हैं कि कहीं उनका अगर वे कुछ करें तो कत्ल न कर दिया जाए। लोग शिकायत तक इनकी करने से डरते हैं। आपकी स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट और इंटेलीजेंस ब्रांच है, वह इस तरह की चीज़ों

[श्री जांगड़े]

का पता क्यों नहीं लगाती है और इन चोरियों को पकड़ती क्यों नहीं है। खड़गपुर और नागपुर में इन चोरियों का तांता सा लगा रहता है। रेलवे स्टोर्ज़ चोरी चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस ओर खास तौर से ध्यान दे और इसकी जांच किये जाने के आदेश जारी करे।

मध्य प्रदेश में मुरैना डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर हैं। हमारी पालिसी यह है कि हमारी जो डाकगाड़ियां हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटज़ पर रोकते हैं। मुरैना डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर है और डाकूग्रस्त क्षेत्र है। मैं चाहता हूं कि ५ और ६ अप एंड डाउन पंजाब मेल को यहां रोका जाए। यह बहुत जरूरी है।

मैं अधिक कहना नहीं चाहता हूं और एक ही बात कह कर समाप्त कर दूंगा। हर एक स्टेट में हमने एक्सप्रेस ट्रैन चलाई हैं, शीघ्रगामी गाड़ियां चलाई हैं। मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान का सब से बड़ा राज्य है। वहां पर भी भोपाल से बिलासपुर तक एक शीघ्रगामी गाड़ी है पर पैसेंजर ट्रैन से भी उसकी स्पीड कम है। मैं समझता हूं कि भोपाल से जो फार-फ्लंग ईस्टर्न एरियाज़ हैं, छत्तीसगढ का एरिया है, उनके लिये एक भी सुविधादायक गाड़ी नहीं चलाई गई है। यहां की जन संख्या ८० लाख के करीब है। भोपल से बिलासपुर एक गाड़ी जाती है। यह ४५० मील का क्षेत्र है और इसको तय करने में वह २० घंटे के करीब लेती है जबकि दूसरी जगह पर इतने फासले को केवल १२-१३ घंटों में तय कर लिया जाता है। यह ऐसी चीज़ है जिस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। इतनी कम स्पीड पर इसको ले जाकर जो सुविधा हम एक करोड़ लोगों को देना चाहते हैं, उससे उनको वंचित करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में तुरन्त सुधार हो। इस के बारे में मैं चार साल से कोशिश करता आ रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आज भी आप कह देंगे कि इस सवाल को रिजनल कमेटी में या जोनल कमेटी में रखा जाय। एम. पीज. की जो जोनल रेलवे कमेटी है उस में इस सवाल को रखते रखते मैं थक गया हूं और उन को समझाते समझाते थक गया हूं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उस गाड़ी को एक साधारण आदमी एक ले मैन भी चला सकता है लेकिन आप के जो एक्सपर्ट लोग हैं, वे ऐसे ऐसे दांव पेच रखते हैं, ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि हमारी बात नहीं चल पाती है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर के सामने और जोनल कमेटी के सामने कई बार हम इस मामले को रख चुके हैं और कुछ नहीं हो पाया है। जब उन को कहा जाता है कि यह पब्लिक डिमांड है और पब्लिक प्रैसर है तो टैक्नीकल डिफिकलटी हमारे सामने रख दी जाती है और बात वहीं खत्म हो जाती है। मैं चाहता हूं कि बिलासपुर से भोपाल तक या बिलासपुर से बीना तक कोई शीघ्रगामी गाड़ी चलाई जाय। यदि ऐसा किया गया तो ५० लाख आन्ध्र के लोगों को ५० लाख उड़ीसा के लोगों को और एक करोड़ मध्य प्रदेश के लोगों को इस से लाभ होगा। इस तरह से दो करोड़ लोगों को यह गाड़ी सुविधा दे सकेगी। इस का यह नतीजा भी होगा कि जी० टी० का जो ओवर-क्राउडिंग होता है वह कम हो जायगा। अगर बिलासपुर से बीना तक आप एक्सप्रैस गाड़ी चलाते हैं और वह इस डिसटैंस को बारह तेरह घंटे में कवर कर लेती है तो जी० टी० का ओवर क्राउडिंग दूर हो सकता है और आंध्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के दो करोड़ लोगों को फायदा पहुंच सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जायगा।

जो बातें मैंने कही हैं, वे छोटी बातें नहीं हैं, उन में से कुछ तो तमाम देश के बारे में हैं और मैं आशा करता हूं कि उन की ओर आप ध्यान देंगे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : हमें रेलवेज पर गर्व है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन की ओर माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सब से पहली बात है कोयले की ढुलाई के लिये माल-डिब्बों की सुलभता। देश में जितना भी कोयला होता है उसका ८० प्रतिशत पश्चिमी बंगाल और बिहार की खानों से आता है। कोयला-नियंत्रक ने १९६१ में इन कोयला-क्षेत्रों की आवश्यकता ६,१५६ माल-डिब्बे प्रति दिन मानी थी। बाद में रेलवे बोर्ड ने ५,०३० माल-डिब्बों का लक्ष्य रखा था। लेकिन वह कभी पूरा नहीं हुआ। आशा है कि इस पर ध्यान दिया जायगा और तटीय नौवहन के लिये भी उचित कोटा रखा जायेगा।

तटीय नौवहन हमारी प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति है। अतः जब वहां कोयले की कमी है तो मैं समझती हूं कि वहां कोयला भेजा जायेगा। रेलवे के लेखा क्लर्क बहुत दिनों से बराबर यह मांग कर रहे हैं कि उनके यहां जो उन्हें आश्वासन भी दिया था किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि इन दोनों श्रेणियों को मिला दिया जाय। ताकि सभी क्लर्कों को समान वेतन मिलने लगे। स्टोर विभाग के सभी प्रकार के क्लर्कों को भी तो मिला दिया गया है और वे सब एक ही सा वेतन पा रहे हैं। उन रेलवे कर्मचारियों को जो दूसरे विभाग में चले गये हैं पास देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। अमुक वर्ष नौकरी करने के बाद ही पास दिये जायेंगे यह प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि यदि वे रेलवे में ही रहते तो उन्हें पास मिलते रहते। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे इंजिनों के असफल होने की घटनायें भी सुनने में आई हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। यह भी निर्णय किया गया है कि कर्मचारी अब १२० दिन से अधिक अपनी छुट्टियां जमा नहीं कर सकते जब कि पहले वह १८० दिन तक अपनी छुट्टियां जमा कर सकते थे। ऐसा करना ठीक नहीं है। आशा है मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा। तीसरी श्रेणी के डिब्बों में आराम की सुविधायें अधिक मात्रा में दी जानी चाहियें। अंत में मैं निवेदन करूंगी कि मनीपुर रोड से कोहिमा होते हुए इम्फाल और सिल्चर तक लाइन बनाई जानी चाहिये। सियालदह रानीघाट रेलवे लाइन पर काफी संख्या में यात्री निकलते हैं। अतः वहां बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाई जानी चाहियें। इससे रेलवे की आय बढ़ेगी और बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में भी कमी होगी। यदि वहां बिजली की गाड़ियां चलाना अभी कुछ वर्षों तक संभव नहीं है तो कम से कम वहां तेज रेलगाड़ियां चलायी जानी चाहियें। वर्दियों के लिये महिला समितियों को ठेके दिये जाने चाहियें। ताकि वे ठीक नाप तोल के अनुसार वर्दियां तैयार कर सकें। और इस प्रकार उन्हें कुछ आय भी हो सकेगी।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली): रेलों में आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं का कारण यह है कि रेलवे कर्मचारियों से काम लेने वाले तो रेलवे पदाधिकारी हैं और जो नियंत्रण करते हैं अथवा उन्हें परामर्श देते हैं वे हैं मजदूर संघ के आदमी। अतः जब तक ये दोनों मिल कर काम नहीं करते तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इन दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण यह भी है कि रेलों में निश्चित नियम एवं प्रक्रिया है। या तो वे नियम दोषपूर्ण हैं या उनका पालन नहीं किया जाता। कभी कभी तो ये नियम इतने अव्यावहारिक हैं कि उनके अनुसार कार्य भी नहीं हो सकता। बहुत से स्टेशनों पर नियमों की आद्यतन प्रतियां तक उपलब्ध नहीं हैं। यातायात सम्बन्धी नियमों व विनियमों की छानबीन करने वाली समितियों में यदि उन लोगों को भी रख लिया जाये जो इन नियमों का पालन कराते हैं तो इन नियमों को सरल बनाया जा सकता है। नियम है जरूर लेकिन उनका सही तौर पर पालन नहीं किया जाता। दुर्घटनायें इस कारण भी होती हैं कि परिचालन कर्मचारियों को ऐसी परि-स्थितियों में काम करना पड़ता है जो उचित नहीं होतीं। इन कर्मचारियों को लगातार कई-कई घंटे काम करना पड़ता है। रेलवे के एक छोटे पदाधिकारी ने मशीन बनाई है कि उस से दुर्घटनायें रुक सकती हैं। मेरा निवेदन है कि उस मशीन को रेलवे के विशेषज्ञ चलायें। तो हो सकता है कि दुर्घटना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभातकार]

की स्थिति में कुछ सुधार हो सके। हावड़ा-सियालदह सैक्शन पर बहुत भीड़ चलती है जिस के कारण भी बहुत सी दुर्घटनायें होती हैं। इस लाइन पर चलने वाली रेलों में सुबह शाम को आफिस के काम से कलकत्ता जाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ रहती है। और स्थानाभाव के कारण वे दरवाजों में या सीढ़ियों पर खड़े हो कर चलते हैं। कभी कभी गिर जाते हैं जिनके कारण दुर्घटनायें होती रहतीं हैं। अतः जहां कहीं भी अधिक भीड़ चलती है वहां इस भीड़ को कम करने के लिये अधिक संख्या में रेलें चलानी चाहियें और वर्तमान गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक घोषणा करनी है कि रेलवे आय व्ययक सम्बन्धी मांग संख्या १ के बारे में २३६ कटौती प्रस्ताव हैं। मैं उन सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ मानता हूं। चुने हुए कटौती प्रस्तावों की संख्या बताने वाली सूची सदस्यों की जानकारी के लिये आज रात को भेज दी जायेगी।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हैं:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
				राशि घटा कर इतनी कर दी जाये रुपये
१	३४३	श्री कोडियान .	नई रेलवे लाइन खोलने के बारे में नीति।	१
१	३९९	श्री अरविन्द घोषाल	विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में और सामान्य रूप से सभी राज्यों में कोयले की कमी को दूर करने के लिये पर्याप्त संख्या में डिब्बों की व्यवस्था करने में असफलता	१
१	४००	श्री अरविन्द घोषाल	जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाने में असफलता।	१
१	४०१	श्री अरविन्द घोषाल	अखिल भारतीय रेलवेमैन फैडरेशन को मान्यता देने में असफलता।	१

†मूल अंग्रेजी में

सांकेतिक

१	२	३	४	५
				राशि घटा कर इतनी कर दी जाये रुपये
१	४०८	श्री प्रभात कार .	हल्की रेलवे का राष्ट्रीयकरण।	१
१	४०९	श्री प्रभात कार .	अखिल भारतीय रेलवे मैन फैडरेशन की मान्यता।	१
१	४१०	श्री प्रभात कार .	औद्योगिक क्षेत्रों की कोयले के परिवहन की कठिनाई।	१
१	४११	श्री प्रभात कार	रेलों में भीड़ को कम करने के लिये कदम उठाना।	१
१	१	†श्री त० ब० विट्ठल राव	मालगाड़ियों की औसत चाल बढ़ाने की आवश्यकता।	१००
१	२	श्री त० ब० विट्ठल राव	आल इंडिया रेलवे मैन फैडरेशन की मान्यता फिर से दिलाने का प्रश्न।	१००
१	३	श्री त० ब० विट्ठल राव	कार्य संचालन के अनुपात में वृद्धि।	१००
१	४	श्री त० ब० विट्ठल राव	वर्दी समिति के प्रतिवेदन की जांच में देरी।	१००
१	५	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला खदानों से कोयला ढोने में रेलों की असफलता।	१००
१	६	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे बोर्ड में पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि।	१००
१	७	श्री त० ब० विट्ठल राव	डिब्बों की आमद रफ्त में कमी	१००
१	८	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे बोर्ड को किये गये प्रतिनिधि मंडलों के निपटान में देरी।	१००
१	११	†श्री कोडियान .	उन सभी कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता जिनकी सेवाएं ६ महीने से अधिक की हो गई हैं।	१००
१	१२	श्री कोडियान . .	रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति को फिर से बनाने की आवश्यकता ताकि उसमें उन सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि आ जायें जिनके प्रतिनिधि कि राज्य विधान मंडलों में हैं।	१००

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

१	२	३	४	५
				राशि घटा कर इतनी कर दी जाये रुपये
१	१३	श्री कोडियान . .	दक्षिण रेलवे में तूतीकोरन एक्सप्रेस, त्रिचूवल्ली एक्सप्रेस और नीलगिरी एक्सप्रेस में सोने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१००
१	१४	श्री कोडियान . .	यात्री गाड़ियों में समय पर आने के मामले में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता ।	१००
१	१५	श्री कोडियान . .	दक्षिण रेलवे में त्रिचूवल्ली और मद्रास एगमोर के बीच अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	१००
१	१६	श्री कोडियान . .	स्टेशनों पर यात्रियों के लिये खान पान की दुर्व्यवस्था ।	१००
१	१७	श्री कोडियान . .	द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप बकाया राशि के भुगतान में देरी ।	१००
१	१८	श्री कोडियान . .	मूल्यों की वृद्धि के अनुसार महंगाई भत्ते के संशोधन करने में असफलता ।	१००
१	१९	श्री कोडियान . .	रेलवे कर्मचारियों के क्वाटर्रों के लिये मूल वेतन के ५ प्रदिशत से अधिक किराया निश्चित करने की आवश्यकता ।	१००
१	२०	श्री कोडियान . .	दक्षिण रेलवे में मेट्टुपलियम से आलुओं के परिवहन के लिये पर्याप्त संख्या में इन्सूलेटिड डिब्बों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१००
१	२३	श्री कोडियान . .	पेनरू राधानगर और कमरपाकूर हो कर मुंशिरहाट से बिस्नूपुर तक लाइट रेलवे के विस्तार की आवश्यकता ।	१००

१	२	३	४	५
			राशि घटा कर इतनी कर दी जाये	रुपए
१	२४	श्री कोडियान .	जिन कर्मचारियों ने १९४७ में पाकिस्तान जाने के लिये अपनी इच्छा प्रकट की थी, वे या तो गये नहीं अथवा पाकिस्तान में काम शुरू करने के कुछ महीनों के बाद ही वापस आ गये, उन्हें फिर से काम देने की आवश्यकता ।	१००
१	२५	श्री त० ब० विट्ठल राव	असिस्टेंट सरजन के पद को बढ़ा कर राजपत्रित पद करने की आवश्यकता ।	१००
१	२६	श्री त० ब० विट्ठल राव	नई दिल्ली और मद्रास के बीच और अतिरिक्त यात्री गाड़ियों के बढ़ाने की आवश्यकता ।	१००
१	२७	श्री मुहम्मद इलियास .	दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर स्थान पर चुने गये बहुत से खलासियों को काम देने में असफलता ।	१००
१	२८	श्री मुहम्मद इलियास .	उन रेलवे व्यापारिक प्रशिक्षार्थियों को काम में लगाने की आवश्यकता जिन्होंने डिब्बा तथा बिजली विभाग, खड़गपुर में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है ।	१००
१	२९	श्री मुस्म्मद इलियास .	खड़गपुर के कर्मचारियों की उस अवधि की बकाया राशि का भुगतान न करना जो कि गत साधारण हड़ताल के कारण बनी थी और सेवा की निरन्तरता में अवधि का वह गत्यावरोध माफ कर दिया गया था ।	१००
१	३०	श्री मुहम्मद इलियास .	दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर स्थित डी० सी० एम० ई० कार्यालय सहित रेलों के कुछ कार्यालय के कर्मचारियों की छुट्टियां बकाया होते हुए भी उन्हें छुट्टियां नहीं दी गई ।	१००

[अध्यक्ष महोदय]

१	२	३	४	५
				राशि घटा कर इतनी कर दी जाये रुपये
१	३३	श्री कोडियान . .	दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता देने में असफलता।	१००
१	३४	श्री कोडियान .	रेलों में मजदूर संघों को मान्यता देने के बारे में नीति ।	१००
१	३५	श्री कोडियान . .	दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा उन मजदूर संघों को मान्यता देने की निरंतरता के सम्बन्ध में कार्यवाही जिनका पंजीयन रद्द हो चुका है ।	१००
१	३६	श्री कोडियान . .	मद्रास-मध्य अकॉनम सैक्शन को बिजली की रेलें चलाने के लिये सम्मिलित न करने में सरकार की असफलता ।	१००
१	३७	श्री कोडियान .	बहुत से अस्थायी गैंगमैंनों को आकस्मिक श्रमिक न मान कर उन्हें द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप मिलने वाले लाभों से वंचित करना ।	१००
१	३८	श्री कोडियान . .	पैराम्बूर डिब्बा बनाने के कारखाने के सुधार के लिए अपर्याप्त धन का आवंटन ।	१००
१	४५	श्री कोडियान	डिब्बों क वितरण के बार में रेलवे प्रशासन की अक्षमता।	१००
१	४६	श्री मुहम्मद इलियास	रेलों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पद्दोन्नति में भेदभाव ।	१००
१	४७	श्री मुहम्मद इलियास	विशेषतः हावड़ा-आमता तथा हावड़ा सियानहाला लाइनों सहित सभी लाइट रेलों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ।	१००

१	२	३	४	५
				राशि घटा कर इतनी कर दी जाये रुपये
१	४८	श्री मुहम्मद इलियास	मार्टिन लाइट रेलवे के किरायों में अचानक वृद्धि जिसके कारण यात्रियों को उत्पन्न कठिनाई	१००
१	५५	श्री मुहम्मद इलियास	हल्दिया को खड़गपुर होकर मिलाने के लिये रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता।	१००
१	५६	श्री मुहम्मद इलियास	दक्षिणपूर्व रेलवे के शालीमार गेट संख्या २ और, सन्तरागाची, अन्दुल, खड़गपुर तथा पूर्व रेलवे के हावड़ा पंजाब लाइन्स लिलोहा, बेलूर, बाली, उत्तरपारा, रिसहर पर पुल बनाने की आवश्यकता।	१००
१	५७	श्री मुहम्मद इलियास	रेलों में ऐसे आकसमिक श्रमिकों की आकसमिकता की अवधि समाप्त करना जो स्थायी काम कर रहे हैं।	१००
१	५८	श्री मुहम्मद इलियास	ठेकेदारों की सूची बनाते समय भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता।	१००
१	५९	श्री मुहम्मद इलियास	पूर्व रेलवे में लिलाहा के स्टोर विभाग में कुप्रशासन।	१००
१	६०	श्री मुहम्मद इलियास	पूर्व रेलवे के हावड़ा सैक्शन में मार्कमैनों का विभागीयकरण	१००
१	६१	श्री मुहम्मद इलियास	रेलों में और विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व रेलवे में चोरी तथा डिब्बों की तोड़-फोड़।	१००
१	६२	श्री मुहम्मद इलियास	भारतीय रेलों में विभागीय खान-पान विभाग के बैरों को कमीशन का भुगतान।	१००
१	६३	श्री मुहम्मद इलियास	भारतीय रेलों के उन सभी कर्मचारियों को फिर से भर्ती करने की आवश्यकता।	१००

१	२	३	४	५
				राशि घटा कर इतनी कर दी जाये रुपये
			जिन्हें कि गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल में निकाल दिया गया था ।	
१	६४	श्री मुहम्मद इलियास	वेतन आयोग की सिफारिशों को गाड़ी निरीक्षकों के मामले में लागू न किया जाना ।	१००
१	६५	श्री मुहम्मद इलियास	दक्षिण रेलवे में वेलोक्सोड स्टेशन पर गाड़ी संख्या ५४३, ५४४ और ५२ के रुकने की आवश्यकता ।	१००
१	६६	श्री मुहम्मद इलियास	दक्षिण-पूर्व रेलवे में बेलघारिया तथा अगरपाड़ा के बीच टैक्समाको का नया स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	१००
१	६७	श्री मुहम्मद इलियास	ए० सी० एम० ई० सैक्शन खड़गपुर के उन कर्मचारियों को लेखा परीक्षा में बैठने की अनुमति न देना जो सी० एम० ई० में चले गये हैं ।	१००
१	६८	श्री मुहम्मद इलियास	दक्षिण-पूर्व रेलवे के शालीमेरे नौवहन वर्कशाप के कर्मचारियों का खड़गपुर के लिए अचानक ही स्थानान्तरण ।	१००
१	६९	श्री मुहम्मद इलियास	सामान्य हड़ताल के बाद रेलवे प्राधिकारियों द्वारा रेलवे कर्मचारियों को परेशान करना ।	१००
१	७०	श्री मुहम्मद इलियास	रेलों के कर्मचारियों की आम हड़ताल के बाद की स्थिति की जांच करने के लिये एक	१००

१	२	३	४	५
				राशि घटा कर इतनी कर दी जाये रुपये
			संसदीय समिति की स्थापना करने की आवश्यकता।	
१	७१	श्री मुहम्मद इलियास	रेलों के विभिन्न कारखानों तथा कार्यालयों में विशेष रूप से आम हड़ताल के बाद कर्मचारियों की परिषदों द्वारा काम करना।	१००
१	७२	श्री मुहम्मद इलियास	रेलवे कर्मचारियों के संघों की मान्यता की वापसी।	१००
१	१०२	श्री मुहम्मद इलियास	भारतीय रेलों में रेलगाड़ी निरीक्षकों को वेतन-आयोग द्वारा सिफारिश किया गया १८०—२४० रुपये का वेतनक्रम न देना।	१००
१	१०३	श्री मुहम्मद इलियास	भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ के सरकारी स्तर एवं कार्य को अमान्यता।	१००
१	११०	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा खड़गपुर सैक्शन में बिजली की गाड़ियां चलाने की आवश्यकता।	१००
१	१११	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे के उलूबेरिया नामक स्टेशन पर प्रतीक्षालयों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता।	१००
१	११२	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे के मचन्दा जाने वाली रेलवे के स्टेशन में सुधार की आवश्यकता।	१००
१	११३	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा एवं सरितागाची के बीच रेलवे लाइन को तिहरा करने की आवश्यकता।	१००

१	२	३	४	५
				राशि घट कर इतनी कर दी जाये रुपये
१	११४	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे के उलूबेरिया रेलवे स्टेशन से वहां के माल गोदाम तक जाने वाली सड़क के सुधार की आवश्यकता।	१००
१	११५	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे के फुलेश्वर स्टेशन पर बिजली लगाने की आवश्यकता।	१००
१	११६	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे के उलूबेरिया तथा फुलेश्वर स्टेशनों के बीच स्टुअर्ट नहर पर रेलवे पुल तक जाने वाले रास्ते को चौड़ा करने की आवश्यकता।	१००
१	११७	श्री अरविन्द घोषाल	फुलेश्वर स्टेशन पर साइडिंग लाइन पार करने के लिये पुल की आवश्यकता।	१००
१	११८	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	उड़ीसा में दक्षिण-पूर्व रेलवे के जनकादेई पुर, पुरी, साखीगोपाल और निरकारपुर स्टेशनों पर सुधार करने की आवश्यकता।	१००
१	११९	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	कटक स्टेशन को जाने वाले रेलवे क्रासिंग के निकट एक भूमिगत पुल बनाने में देरी।	१००
१	१२०	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	साखीगोपाल स्टेशन पर यात्रियों को पीने के पानी का संभरण करने की व्यवस्था के लिये एक ट्यूब वैल लगाने की आवश्यकता।	१००
१	१२१	चिंतामणि पाणिग्रही	हावड़ा से वाल्टेयर तक गाड़ी संख्या ३२५ और ३२६ अप तथा डाउन गाड़ियों को आने एवं जाने की व्यवस्था करने में असफलता।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	१२२	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	नीरगुंडी से खुर्दा रोड तक दुहरी रेलवे लाइन के पूरा करने की आवश्यकता	१००
१	१२३	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	खुर्दा रोड पर डिवीजनल मुख्यालय बनाने की आवश्यकता	१००
१	१२४	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	उड़ीसा से नारियल को ले जाने के लिये नारियल को बिगड़ने वाली चीजों की श्रेणी में रखने की आवश्यकता	१००
१	१२५	श्री चितामणि पाणिग्रही	नारियल को भेजने की सुविधा देने के लिये साखीगोपाल जनकादेई पुर मालतीपटपुर स्टेशनों पर अधिक रेलवे डिब्बों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१००
१	१२६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	पुरी में सरकारी सहायता प्राप्त रेलवे होस्टल की आवश्यकता	१००
१	१२७	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	दिल्ली से कटक तक सीधी रेल सेवा की आवश्यकता	१००
१	१२८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	बांस पानी क्षेत्र लौह-अयस्क के परिवहन की सुविधा के लिये उपयुक्त संख्या में डिब्बों का संभरण	१००
१	१२९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	उड़ीसा सरकार द्वारा पूर्ववर्तिता के आधार पर प्रस्तावित नयी रेलवे लाइनों की तीसरी योजना में शामिल न करना	१००
१	१४२	श्री कोडियान	विभिन्न खंडों में उच्च पदालि के गार्डों में विसमता को समाप्त करने की आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	१४३	श्री कोडियान	परीक्षाओं द्वारा अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति करने में असफल रहना	१००
१	१४४	श्री कोडियान	दक्षिण रेलवे में क्लर्कों की बहुत बड़ी संख्या की, जिन्होंने आवश्यक परीक्षा पास की थी पदोन्नति न करना	१००
१	१४५	श्री कोडियान	मदुरै विभाग में आवश्यक परीक्षा में अर्हता प्राप्त, क्लर्कों की पदोन्नति में विलम्ब	१००
१	१४६	श्री कोडियान	दक्षिण रेलवे में केशियरों की प्रतिभूति निधि में कमी करने की आवश्यकता	१००
१	१४७	श्री कोडियान	वेतन क्लर्कों के वेतन स्तर को बढ़ा कर सहायक ट्रेन निरीक्षकों के बराबर करने की आवश्यकता	१००
१	१४८	श्री कोडियान	दक्षिण रेलवे के केरल खंड के १८ फ्लैग स्टेशनों को गाड़ी रोकने के स्टेशन बनाने की योजना पर अमल न करना	१००
१	१४९	श्री कोडियान	दक्षिण रेलवे के केरल खंड में रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छप्परों के निर्माण के लिये पूर्ववर्तिता कायम करना	१००
१	१५०	श्री कोडियान	दक्षिण रेलवे के कन्नापुरम् और एलुमल्लई स्टेशनों को फ्लेट स्टेशन बने रखने की आवश्यकता	१००
१	१५१	श्री कोडियान	केसरगौड, पय्यानूर और कालीकट स्टेशनों के प्लेटफार्मों को विस्तृत करने की आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	१५५	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	रेलवे कर्मचारियों के बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में अव्यवस्था	१००
१	१५६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	दक्षिण-पूर्वी रेलवे के शिक्षा अधिकारियों द्वारा खुर्दा रोड हाई स्कूल की अव्यवस्था रोकने की आवश्यकता	१००
१	१५७	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	कटक के राजसहायता प्राप्त हास्टल में विद्यार्थियों का प्रवेश	१००
१	१५८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	सत्र १९६१-६२ में, राज सहायता प्राप्त हास्टल कटक में रेलवे कर्मचारियों के बालकों के लिये स्थानों को बढ़ा कर १०० तक करना	१००
१	१५९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	कटक में रेलवे कर्मचारियों के बालकों के लिये राज सहायता प्राप्त हास्टल में वार्डन का चुनाव	१००
१	१६०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	कटक के राज सहायता प्राप्त हास्टल में रसोईघर और गोदाम के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं की व्यवस्था	१००
१	१६१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	कटक के राज सहायता प्राप्त हास्टल की देखभाल के लिये बनाई गयी प्रबन्धक समिति में रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता	१००
१	१६२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज सहायता प्राप्त हास्टलों की दैनिन्दिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयुक्त समय पर अनुदान मंजूर करने की आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	१६३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	रेलवे अधिकारियों द्वारा खुर्दा रोड स्टेशन की निकट की भूमि को खुर्दा रोड स्टेशन से हरीपुर गांव तक सड़क बनाने के लिये देने में विलम्ब करना	१००
१	१७२	श्री अरविन्द घोषाल	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन को मान्यता देने की आवश्यकता	१००
१	१७३	श्री अरविन्द घोषाल	कोयला खानों के मुंह से, कोयले को ले जाने के लिये उपयुक्त संख्या में माल डिब्बे संभरण करने में असफल रहना	१००
१	१७४	श्री अरविन्द घोषाल	इंजिन कर्मचारियों द्वारा कोयले की बर्बादी रोकने में असफल रहना	१००
१	१७५	श्री अरविन्द घोषाल	रेलवे कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टरों की आवश्यकता	१००
१	१७६	श्री अरविन्द घोषाल	रेलवे में कुछ महीनों से अधिक समय काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता	१००
१	१७७	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे की उपनगरीय रेलों में समयनिष्ठता की आवश्यकता	१००
१	१७८	श्री अरविन्द घोषाल	रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के लिये अधिक अच्छी भोजन व्यवस्था की आवश्यकता	१००
१	१७९	श्री अरविन्द घोषाल	रेलवे के ठेकेदारों द्वारा भोजन की ऊंची कीमतें लिया जाना	१००
१	१८०	श्री अरविन्द घोषाल	रेलवे के रेस्टोरां कारों द्वारा दिये जाने वाले भोजन का अधिक मूल्य लिया जाना	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	१८१	श्री अरविन्द घोषाल	एम० ए० लाइट रेलवे को अरेनबेग से होकर बिशनपुर तक बढ़ाने की आवश्यकता	१००
१	१८२	श्री अरविन्द घोषाल	अप्रैल १९५७ के पूर्व पदनिवृत हुए रेलवे कर्मचारियों को पेंशन की सुविधायें देने की आवश्यकता	१००
१	१८३	श्री अरविन्द घोषाल	घाट-भाड़ा दरों को बढ़ाने की आवश्यकता	१००
१	१८४	श्री अरविन्द घोषाल	रेलवे में भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता	१००
१	१८५	श्री अरविन्द घोषाल	वारासाट वसिरहाट रेलवे लाइन को सीधे कलकत्ता से मिलाने की आवश्यकता	१००
१	१८६	श्री अरबिन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर और हल्दिया के बीच रेलवे सम्पर्क के निर्माण में शीघ्रता करने की आवश्यकता	१००
१	१८७	श्री अरविन्द घोषाल	सफाई शुल्क को समाप्त करने की आवश्यकता	१००
१	१८८	श्री अरविन्द घोषाल	टी० टी० आई० और टी० टी० सी ओं को चलने वाले कर्मचारियों के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता	१००
१	१८९	श्री अरविन्द घोषाल	सिलचर से इम्फाल तक रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता	१००
१	१९०	श्री अरविन्द घोषाल	पाथरकंडी से अगरतला तक रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता	१००
१	१९१	श्री अरविन्द घोषाल	त्रुटिपूर्ण इंजिन डिब्बों के परीक्षण के लिये, गाड़ी परीक्षकों के लिये अधिकतम कोटे का निश्चय करना	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	१९२	श्री अरविन्द घोषाल	गाड़ी परीक्षकों को मालगाड़ियों के परीक्षण और संधारण के लिये उपयुक्त समय देने की आवश्यकता	१००
१	१९३	श्री अरविन्द घोषाल	गाड़ी परीक्षकों का वेतन क्रम कम करना	१००
१	१९४	श्री अरविन्द घोषाल	गाड़ी परीक्षकों की पदोन्नति के लिये अधिक क्षेत्र निकालने की आवश्यकता	१००
१	१९५	श्री अरविन्द घोषाल	पूर्वी रेलवे के रामपरेहट स्टेशन में भोजन व्यवस्था की वर्तमान पद्धति को कायम रखने की आवश्यकता	१००
१	१९६	श्री अरविन्द घोषाल	नये स्टेशनों पर अपनी शाखायें खोलने के लिये व्हीलर स्टालों को सहायता देने की आवश्यकता	१००
१	१९७	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्वी रेलवे के उपनगरीय गाड़ियों में रोशनी और पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१००
१	१९८	श्री अरविन्द घोषाल	उपनगरीय रेलवे यात्री परामर्श-दातृ समिति का क्षेत्र	१००
१	१९९	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्वी रेलवे के मैरीन शाप के कामगरों को शालिमार से खड़गपुर को स्थानान्तरण	१००
१	२००	श्री अरविन्द घोषाल	तीसरे दर्जे के सोने वाले डिब्बों में दुहरे बर्थों की पद्धति को जारी करने की आवश्यकता	१००
१	२०१	श्री अरविन्द घोषाल	वायु नियंत्रित डिब्बों को समाप्त करने की आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	२०२	श्री कोडियान	मदुरै खंड के कर्मचारियों को बकाया, छुट्टी का वेतन, यात्रा भत्ता, शिक्षा भत्ता, वृद्धि के भुगतान में विलम्ब	१००
१	२०३	श्री कोडियान	जुलाई १९६० की हड़ताल में भाग लेने में निकाले गये कर्मचारियों को पुनः अपने पद पर रखने की आवश्यकता	१००
१	२१२	श्री अरविंद घोषाल	अस्थायी गैंगमैंनों को स्थायी बनाने की आवश्यकता	१००
१	२१३	श्री अरविंद घोषाल	रेलवे यार्डों से सामान की शीघ्र निकासी की आवश्यकता	१००
१	२१४	श्री अरविंद घोषाल	गैंगमैंनों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नैमित्तिकता की पद्धति अन्त करने की आवश्यकता	१००
१	२१५	श्री अरविंद घोषाल	चतुर्थ श्रेणी के इंजीनियरिंग के कर्मचारियों की नैमित्तिक कर्म-चारियों की नैमित्तिक पद्धति के अन्त करने की आवश्यकता	१००
१	२१६	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण-पूर्व रेलवे के शालीमार गोदाम में माल उतारने और चढाने में ठेकेदारी पद्धति को समाप्त करना	१००
१	२१७	श्री अरविंद घोषाल	हावड़ा स्टेशन के कोयला खानों का विभागीयकरण करने की आवश्यकता	१००
१	२१८	श्री अरविंद घोषाल	एच० ए० रेलवे के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	१००
१	२१९	श्री अरविंद घोषाल	मैसर्स मेकलियड कम्पनी द्वारा संचा-लित लाइट रेलवे के प्रशासन की जांच की आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	२२०	श्री अरविंद घोषाल	मार्टिन लाइट रेलवे द्वारा भाड़ों की वृद्धि	१००
१	२३३	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण-पूर्वी रेलवे के शालीमार स्टेशन में छोटी क्रेनों से चढ़ाये जाने वाले माल के बुकिंग में कठिनाई	१००
१	२३४	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण-पूर्वी रेलवे के शालीमार स्टेशन में रेलवे रसीदें जारी करने में बिलम्ब	१००
१	२३५	श्री अरविंद घोषाल	कलकत्ता में एक वर्तल रेलवे की आवश्यकता	१००
१	२३६	श्री अरविंद घोषाल	पूर्वी रेलवे के सियालदा विभाग में शीघ्रता से बिजली लगाने की आवश्यकता	१००
१	२३७	श्री अरविंद घोषाल	यार्ड अथवा साइडिंग लाइनों पर खड़ी यात्री गाड़ियों से फिटिंगों की चोरी रोकने में रेलवे सुरक्षा संगठन की असफलता	१००
१	२३८	श्री अरविंद घोषाल	रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता	१००
१	२३९	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे के मदुरै स्टेशन में ह्वील टापरों, सी० एन्ड डब्लू० और आर० एस० एल० फिटरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	१००
१	२५३	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण-पूर्वी रेलवे की रात्रि गाड़ियों में उपनगरीय यात्रियों के लिये पहिले-दर्जे के स्थान की आवश्यकता	१००
१	२५४	श्री अरविंद घोषाल	दाक्षण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर स्टेशन के पूरे प्लेटफार्म पर छप्पर की व्यवस्था करना	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	२५५	श्री अरविंद घोषाल	उपनगरीय यात्रियों की सुविधाओं के लिये मंजूर राशि की अनुपयुक्तता	१००
१	२५६	श्री अरविंद घोषाल	दनकुनी मौरीग्राम रेलवे सम्पर्क के विस्तार के कार्यक्रम में शीघ्रता की आवश्यकता	१००
१	२५७	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे के संत्रागाची स्टेशन के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता	१००
१	२५८	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे में डाक गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाने की आवश्यकता	१००
१	२५९	श्री अरविंद घोषाल	पूर्वी रेलवे में वाल्टेयर से दक्षिण के लिये इंजिन डिब्बों का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता	१००
१	२६०	श्री अरविंद घोषाल	माल तथा कौयले के परिवहन के के सम्बन्ध में रेलवे की सही क्षमता का मूल्यांकन	१००
१	२६१	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे के शालीमार स्टेशन में उपरी पुल के बनाने की आवश्यकता	१००
१	२६२	श्री अरविंद घोषाल	आर्मानियन घाट बुकिंग कार्यालय में बड़े सामान के बुकिंग की सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता	१००
१	२६३	श्री अरविंद घोषाल	सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर लॉकरों का प्रबन्ध करने की आवश्यकता	१००
१	२६४	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्व रेलवे में शालीमार स्टेशनों में माल डिब्बों को देने में विलम्ब	१००
१	३०१	श्री अरविंद घोषाल	जाति के आधार पर पदोन्नति	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	३०४	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्व रेलवे के टिकियापाड़ा स्थान पर बहुत सी मालगाड़ियों का पटरी से उतरना	१००
१	३०५	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे में रक्षण पद्धति के सुधार की आवश्यकता	१००
१	३०६	श्री अरविंद घोषाल	वाल्टेयर में मालगाड़ियों की भीड़-भाड़ कम करने की आवश्यकता	१००
१	३०७	श्री अरविंद घोषाल	पूर्वी रेलवे के दुर्गापुर स्टेशन में सुधार की आवश्यकता	१००
१	३०८	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे के दावों के निपटारे में विलम्ब दूर करने की आवश्यकता	१००
१	३०९	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे के दावा कार्यालय में भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता	१००
१	३१०	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे की चलती गाड़ियों में डिब्बों के तोड़ने और चोरी की रोकथाम के लिये उपयुक्त सतर्कता की आवश्यकता	१००
१	३११	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे के विभिन्न स्टेशनों में पार्सल शैडों के लिये अपर्याप्त स्थान	१००
१	३१२	श्री अरविन्द घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर स्टेशन में अधिक विश्राम गृहों अथवा रिहायशी होटलों की व्यवस्था	१००
१	३१३	श्री अरविंद घोषाल	कलकत्ता गार्डन रीच स्टेशन में माल बुकिंग की सुविधाओं में सुधार	१००
१	३१४	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे की उपनगरीय गाड़ियों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	३१५	श्री अरविंद घोषाल	मिदनापुर और खड़गपुर के बीज कामगरों की गाड़ी चलाने की आवश्यकता	१००
१	३१६	श्री अरविंद घोषाल	दक्षिण पूर्वी रेलवे के शालीमार गोदाम में भृष्टाचार रोकने की आवश्यकता	१००
१	३१७	श्री अरविंद घोषाल	पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे में माल डिब्बे तोड़ने और चोरियां रोकने की आवश्यकता	१००
१	३१८	श्री अरविंद घोषाल	पठान कोट से श्रीनगर तक रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता	१००
१	३१६	श्री अरविंद घोषाल	खराब हो गये तथा अलाभकारी माल डिब्बों के उपयोग को रोकने की आवश्यकता	१००
१	३२१	श्री महन्ती	दक्षिण पूर्वी रेलवे के ढेकनाल स्टेशन और हिंडोल रोक स्टेशन के बीच यात्रियों के ठहरने के स्टेशन की आवश्यकता	१००
१	३२२	श्री महन्तीं	दक्षिण पूर्वी रेलवे के कटक, ढेंक-नाल, मेरामानदेली स्टेशनों में सुधार की आवश्यकता	१००
१	३२३	श्री महन्ती	दक्षिण पूर्वी रेलवे में कटक स्टेशन के पास के फाटक पर ऊपरी पुल के निर्माण कीं आवश्यकता	१००
१	३२४	श्री महन्ती	हावड़ा तथा अन्य स्टेशनों में यात्रा करने वाले संसद् सदस्यों के लिये विश्राम गृह सुविधाओं की अनुपयुक्तता	१००
१	३२५	श्री महन्ती	दक्षिण पूर्व रेलवे में हावड़ास् खुर्दा अधिक यात्रीं गाड़ियों की कीं आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	३२६	श्री महन्ती	निर्यात के प्रयोजन के लिये जाने वाले इंजिनियरिंग माल पर लिये जाने वाले भाड़े पर अग्रेतर छूट की आवश्यकता	१००
१	३२७	श्री महन्ती	दक्षिण पूर्वी रेलवे में खुर्दा रोड पर विभागीय मुख्यालय के स्थापना की आवश्यकता	१००
१	३२८	श्री महन्ती	श्रेणी १ और २ सेवाओं का विषम विस्तार	१००
१	३२९	श्री महन्ती	रेलवे की कार्य प्रवर्तन कुशलता	१००
१	३३०	श्री महन्ती	उड़ीसा राज्य के दक्षिण पूर्व स्टेशनों में अधिक यात्री सुविधाओं को देने की आवश्यकता	१००
१	३३१	श्री महन्ती	भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच वैकल्पिक रेल सम्पर्क की आवश्यकता	१००
१	३३८	श्री अरविन्द घोषाल	पिछली सामान्य हड़ताल के दौरान नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों को पुनः काम पर रखने की आवश्यकता	१००
१	३४४	श्री कोडियान	गाड़ियों में भीड़भाड़ रोकने में असफल रहना	१००
१	३४५	श्री कोडियान	मंगलौर और कोचीन के बीच अतिरिक्त गाड़ियों का चलाया जाना	१००
१	३४६	श्री कोडियान	बम्बई और कोचीन बन्दरगाह के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने की आवश्यकता	१००
१	३४७	श्री कोडियान	केरल के एजुमाला तथा कुछ अन्य फ्लेग स्टेशनों को गाड़ी ठहरने का स्टेशन बनाना	१००
१	३४८	श्री कोडियान	रेलवे बोर्ड का कार्य	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	३५५	श्री कोडियान	चरकुन्नु में गाड़ी ठहरने के स्टेशन को फ्लेग स्टेशन बनाना	१००
१	३५६	श्री कोडियान	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निर्धारित पदों में पूरा कोटा पूरा करने में असमर्थ रहना	१००
१	३७४	श्री मो० व० ठाकुर	पश्चिम रेलवे के भूतपूर्व केन्टीन ठेकेदारों के कर्मचारियों को काम पर लगाना	१००
१	३७५	श्री मो० न० ठाकुर	चलती गाड़ियों में टिकट निरीक्षण करने वाले, कन्डक्टरों वाणिज्यिक निरीक्षकों को अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता	१००
१	३७६	श्री मो० ब० ठाकुर	१ अप और २ डाउन दिल्ली मालगाड़ी में बड़ी डाइनिंग कार लगाने की आवश्यकता	१००
१	३७७	श्री मो० ब० ठाकुर	पश्चिम रेलवे के पालनपुर से कांडला तक दुहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता	१००
१	३७८	श्री मो० ब० ठाकुर	पश्चिम रेलवे के कार्यालय को अहमदाबाद में रखने की आवश्यकता	१००
१	३७९	श्री मो० ब० ठाकुर	पश्चिम रेलवे में कालोल से आबू रोड स्टेशन तक दुहरी पटरी बिछाने की आवश्यकता	१००
१	३८०	श्री मो० ब० ठाकुर	मेहसाना और अहमदाबाद जंकशनों से जाने वाली शाखा लाइनों में भीड़ भाड़ कम करने के लिये निश्चित कदम उठाना	१००
१	३८१	श्री मो० ब० ठाकुर	पश्चिमोत्तर रेलवे के कलोल सिधपुर स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता	१००
१	३८२	श्री मो० ब० ठाकुर	रेलवे में भोजन व्यवस्था के सुधार की आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	३८३	श्री मो० ब० ठाकुर	पश्चिम रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था को रोकने की आवश्यकता	१००
१	३८४	श्रीं मो० ब० ठाकुर	जुलाई १९६० की हड़ताल में जितने भी रेलवे कर्मचारी शामिल हुये थे उन्हें पुन: नौकरी पर रखने की आवश्यकता	१००
१	४१२	श्री इन्द्रजीत गुप्त	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों के कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों को मान्यता देने की आवश्यकता	१००
१	४१३	श्री इन्द्रजीत गुप्त	ईद के मौके पर रियायती अल्पकालीन वापसी-टिकट जारी करने की आवश्यकता	१००
१	४१४	श्री इन्द्रजीत गुप्त	रसा रोड (काली घाट), कलकत्ता पर मानसून से पहले ऊपर का रेलवे पुल बनाने में शीघ्रता की आवश्यकता	१००
१	४१५	श्री इन्द्रजीत गुप्त	हावड़ा-बर्दवान के विद्युतीकृत सैक्शनपर बहु-इकाई सवारी डिब्बों में संडासों की व्यवस्था की आवश्यकता	१००
१	४१६	श्री इन्द्रजीत गुप्त	बेहतर भोजन-व्यवस्था की आवश्यकता	१००
१	४१७	श्री प्रभातकार	कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था न कर पाना	१००
१	४१८	श्री प्रभातकार	रेलवे में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता	१००
१	४१९	श्री प्रभातकार	रेलवे स्टेशनों पर भोजनादि की अपर्याप्त व्यवस्था	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	४३५	श्री त० ब० विट्ठल राव	मध्य रेलवे के दोर्नाकल और भद्राचलम् रोड के बीच गैंग-मैनों के लिये मकानों की व्यवस्था की आवश्यकता ।	१००
१	४३६	श्री त० ब० विट्ठल राव	मध्य रेलवे के दोर्नाकल स्टेशन के प्लेटफार्म पर पंखों की व्यवस्था की आवश्यकता ।	१००
१	४३७	श्री त० ब० विट्ठल राव	ट्रेनों में से दूसरा दर्जा हटाने की आवश्यकता ।	१००
१	४३८	श्री त० ब० विट्ठल राव	जलाने की लकड़ी, कोयला और इमारती लकड़ी के परिवहन के लिये मध्य रेलवे के भद्राचलम् रोड पर माल डिब्बों का अपर्याप्त संभरण ।	१००
१	४३९	श्री त० ब० विट्ठल राव	यात्री-डिब्बों में सवारियां लेने की कम क्षमता ।	१००
१	४४०	श्री त० ब० विट्ठल राव	यातायात के निरीक्षकों को एवजी के लिये अधिक ऊंचे वेतन-स्तर देने की आवश्यकता ।	१००
१	४४१	श्री त० ब० विट्ठल राव	राजामुंदरी और विजयवाड़ा से काली कट तक के स्टेशनों से चावल के परिवहन के लिये समय पर माल-डिब्बे जुटाने में असफलता ।	१००
१	४४२	श्री त० ब० विट्ठल राव	नई दिल्ली से मद्रास जाने वाली वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेन से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को काज़ीपेट पर सम्बन्धित ट्रेन की आवश्यकता	१००
१	४४३	श्री त० ब० विट्ठल राव	हैदराबाद और दिल्ली के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन की आवश्यकता ।	१००
१	४४४	श्री त० ब० विट्ठल राव	बम्बई में मध्य रेलवे के कर्मचारियों के लिये मकान-निर्माण की आवश्यकता ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१	४४५	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला खान की साइडिंग और भद्राचलम् रोड के बीच इंजनों का हैडलाइट के बिना चलना।	१००
१	४४६	श्री त० ब० विट्ठल राव	पुरी-हैदराबाद यात्री गाड़ी का विलम्ब से चलना।	१००
१	४४७	श्री त० ब० विट्ठल राव	दक्षिण रेलवे कर्मचारी कार्मिक संघ को मान्यता देने की आवश्यकता।	१००
१	४४८	श्री त० ब० विट्ठल राव	निवृत्ति सम्बन्धी बकाया राशि के निर्धारण में विलम्ब।	१००
१	४४९	श्री त० ब० विट्ठल राव	तदर्थ न्यायाधिकरण के पंचाट की कार्यान्विति में विलम्ब	१००
१	४५०	श्री त० ब० विट्ठल राव	भोजन-डिब्बों के कर्मचारियों पर काम के घण्टे सम्बन्धी विनियमन लागू करने का प्रश्न।	१००
१	४५१	श्री प्रभात कार	दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न रोक पाना।	१००
१	४५२	श्री प्रभात कार	गाड़ियों के देर से चलने को रोकने में असफलता।	१००

†**अध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १० मार्च, १९६१/१९ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिय स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, ९ मार्च, १९६१
१८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१९१७–४३
तारांकित प्रश्न संख्या		
६९२	दिल्ली राज्य में परिवार नियोजन	१९१७–१८
६९४	खाद्यानों का आयात . .	१९१८–२२
६९५	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कलकत्ता कार्यालय से गुम होने वाली धनराशि . . .	१९२२–२४
६९६	संघ राज्य-क्षेत्रों में ग्राम्य जल संभरण योजनायें	१९२४–२५
६९७	भाखड़ा से दिल्ली के लिये जल संभरण	१९२६–२७
६९८	हीराकुद बांध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता	१९२७–२९
६९९	उर्वरकों का उत्पादन	१९२९–३२
७००	गाड़ियों में चोरियां . .	१९३२–३४
७०४	डाक और तार के सैंट्रल सर्कल का मुख्य कार्यालय	१९३४–३५
७०६	मंगलौर और तुतीकोरिन पत्तन	१९३५–३६
७०७	जल-विद्युत् तापीय केन्द्रों का निर्माण	१९३६–३८
७०८	कोयला और जलाने की लकड़ी	१९३८–३९
७०९	रामगंगा पर रेल का पुल	१९३९–४०
७११	नाविकों की भरती	१९४०–४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१९४३–९४
तारांकित प्रश्न संख्या		
६९१	अनुपयोगी पशु	१९४३–४४
६९३	दामोदर घाटी निगम का सिंचाई सम्बन्धी राजस्व	१९४४
७०१	गोमोह स्टेशन पर गाड़ी की टक्कर	१९४४–४५
७०२	दिल्ली को नहरी पानी का संभरण	१९४५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७०३	उदयपुर--हिम्मतनगर लाइन .	१९४५
७०५	गन्ने का मल्य निर्धारित करना	१९४५–४६
७१०	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत डाक्टर .	१९४६
७१२	डाक और तार विभाग में नियुक्ति के लिये विशेष सूचियां .	१९४६–४७
७१३	खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल . . .	१९४७
७१४	सुरेन्द्रनगर में डीजल---ट्रामवे . .	१९४७
७१५	बड़ौदा में डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र . . .	१९४८
७१६	मनीपुर राज्य परिवहन	१९४८
७१७	सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा नाविकों को तंग किया जाना .	१९४८–४९
७१८	बीकानेर–आगरा–दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ . .	१९४९
७१९	आल इंडिया इंस्टीट्यट आफ मेडिक्ल साइन्सेज का अस्पताल .	१९४९
७२०	डकोटा विमानों का प्रतिरस्थापन . . .	१९५०
७२१	केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव . . .	१९५०
७२२	पर्यटकों के लिये सर्किट हाउसों का उपयोग .	१९५०–५१
७२३	दिल्ली में नेत्र बैंक	१९५१
७२४	जम्मू में टलीफोन एक्सचेंज . . .	१९५१–५२
७२५	डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण .	१९५२
७२६	गुजरात के लिये डाक तथा तार विभाग का मंडल .	१९५२
७२७	राष्ट्रीय राजपथ . . .	१९५३
७२८	ग्रामीण जनता का कल्याण	१९५४–५५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३०२	विलिंगडन अस्पताल, नयी दिल्ली	१९५५
१३०३	नयी रेलवे लाइनें . .	१९५५
१३०४	मध्य रेलवे में चलती गाड़ियों में डकैतियां .	१९५५
१३०५	मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले .	१९५६
१३०६	मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	१९५६
१३०७	महाराष्ट्र में मेडिकल कालेज . .	१९५६–५७

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३०८	महाराष्ट्र में आहार गृह	१९५७
१३०९	महाराष्ट्र में कुष्ठ रोग . . .	१९५७
१३१०	राल और तारपीन का उत्पादन .	१९५७
१३११	चावल प्रति व्यक्ति उपभोग	९१५७–५८
१३१२	तुंगभद्रा उच्चस्तर नहर योजना .	१९५८
१३१३	पूर्वोत्तर रेलवे में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम .	१९५८–५९
१३१४	राजस्थान में नयी रेल लाइनें . .	१९५९
१३१५	डाक-तार विभाग में भ्रष्टाचार के मामले . .	१९५९–६०
१३१६	डाक-तार कर्मचारियों का कल्याण . . .	१९६०
१३१७	सिद्धपुर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर जुर्माना किया जाना और इकट्ठा करना . .	१९६०
१३१८	उत्तर प्रदेश में डाक तार कर्मचारी . .	१९६०
१३१९	उत्तर प्रदेश सर्किल में प्राप्त शिकायतें और सुझाव	१९६०–६१
१३२०	उत्तर प्रदेश के गांवों में पानी की सप्लाई	१९६१
१३२१	उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन	१९६२
१३२२	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . .	१९६२
१३२३	जम्मू और कश्मीर के लिये स्वास्थ्य परियोजनायें	१९६२–६३
१३२४	हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बनाया गया सबसे अधिक तेज चलने वाला जहाज .	१९६३
१३२५	आंध्र में कृषि विश्वविद्यालय . .	१९६३
१३२६	दिल्ली में बड़े पैमाने के उद्योग .	१९६४
१३२७	केरल के लिये डाक परिमंडल .	१९६४
१३२८	डाकघर से बीमाकृत पार्सल का गुम हो जाना .	१९६४–६५
१३२९	मत्स्यग्रहण समवाय	१९६५
१३३०	प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना .	१९६५
१३३१	पंजाब में नलकूप बनाने का काम	१९६५
१३३२	दिल्ली में श्रवणविज्ञान केन्द्र .	१९६६
१३३३	खाद्य में मिलावट को रोकना . .	१९६६
१३३४	खाद्यान्नों में मुनाफाखोरी पर रोक . . .	१९६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३३५	दिल्ली में स्वास्थ्य संग्रहालय . .	१९६७
१३३६	हिमाचल प्रदेश में नदियों का सर्वेक्षण	१९६७-६८
१३३७	विदेशी पर्यटक . .	१९६८
१३३८	हिमाचल प्रदेश में बाढ़ .	१९६८
१३३९	मेंढक का मांस . .	१९६८
१३४०	भारत-नार्वे मत्स्य पालन परियोजना	१९६९
१३४१	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना .	१९६९-७०
१३४२	प्रादेशिक कुक्कुट पालन फार्म, भुवनेश्वर .	१९७०
१३४३	जल पुष्प	१९७०
१३४४	रूसी पर्यटक जहाज . . .	१९७०
१३४५	अगरतला नगरपालिका .	१९७१
१३४६	क्रय संबंधी संविदाएं . . .	१९७१
१३४७	खेतड़ी को रेलवे लाइन . . .	१९७१
१३४८	असैनिक उड्डयन	१९७२
१३४९	गुजरात के विद्युत् संभरण . . .	१९७२
१३५०	पिम्पेरखेड के निकट गाड़ी का पटड़ी से उतर जाना . .	१९७२
१३५१	डीजल रेलकार सेवा . .	१९७२
१३५२	कम्पाउन्डर	१९७२-७३
१३५३	जम्मू तथा काश्मीर में तापीय विद्युत् केन्द्र . . .	१९७३
१३५४	श्री सेलम परियोजना . .	१९७४
१३५५	कैंसर . . .	१९७५
१३५६	गुजरात के लिये कोयले के वैगन . . .	१९७५-७६
१३५७	पटसन के संबंध में आत्म-निर्भरता .	१९७६
१३५८	एवरो विमानों का निर्माण .	१९७६
१३५९	आंध्रप्रदेश में गोतमी नदी पर पुल	१९७६-७७
१३६०	पुरी के मेले के लिये विशेष गाड़ियां	१९७७
१३६१	रेडक्रास सोसाइटी की पश्चिमी बंगाल की शाखा	१९७७-७८
१३६२	पशुधन	१९७८

विषय   पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३६३	कृषि पण्डित .	१९७८–७९
१३६४	दुर्गापुर विद्युत् संयंत्र .	१९७९
१३६५	रेलवे में सामयिक मजदूरों की भर्ती	१९७९
१३६६	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	१९८०
१३६७	किराये भाड़े का नुकसान .	१९८०
१३६८	'फोलिडाल' से खाद्य का विषाक्त होना	१९८०–८१
१३६९	जोनपुर स्टेशन का स्टेशन मास्टर	१९८१
१३७०	जम्मू तथा काश्मीर में डाकघर .	१९८१–८२
१३७१	हिमाचल प्रदेश में मैडिकल कालेज	१९८२
१३७२	दूसरी योजना में सिंचाई योजनायें	१९८२
१३७३	हिमाचल प्रदेश में डाकघर	१९८३
१३७४	नकली औषधियां . .	१९८३
१३७५	कोठागुदम (आंध्र प्रदेश) में तापीय विद्युत् केन्द्र	१९८३-८४
१३७६	बेकरी प्रशिक्षण संस्था . .	१९८४
१३७७	नानपारा बहराइच और कतरनिया घाट के बीच चलने वाली रेल गाड़ियां . .	१९८४-८५
१३७८	रेलवे उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतें	१९८५
१३७९	दामोदर घाटी निगम नहर के पुल का टूट जाना	१९८५-८६
१३८०	सोने की व्यवस्था वाले डिब्बे	१९८६
१३८१	कुरूक्षेत्र के तालाब में मगर	१९८७
१३८२	कोयले के लिये वैगन .	१९८७
१३८३	देश में बहरे व्यक्ति . . .	१९८७
१३८४	दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में बिजली की कमी	१९८८
१३८५	मनीपुर में पंचायत चुनाव .	१९८८
१३८६	पथरकंडी धर्मनगर रेलवे लाइन . .	१९८८–८९
१३८७	हृदय की गति का रुक जाना . .	१९८९
१३८८	नरवाना और कलायत स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन .	१९८९
१३८९	डाक सेवाओं के निदेशकों का स्थानान्तरण .	१९९०
१३९०	केन्द्र द्वारा दिये गये ऋण तथा सहायता . . .	१९९०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३६१	छोटी सिंचाई योजनायें .	१९९०–९१
१३९२	जम्मू तथा काश्मीर में चकबन्दी योजना	१९९१–९२
१३९३	मनीपुर में बसों में अधिक भीड़भाड़ .	१९९२
१३९४	उड़ीसा में ट्रंक तथा लोकल टेलीफोन काल .	१९९२
१३९५	उत्तर रेलवे पर साइफर आपरेटर .	१९९२
१३९६	इम्फाल नगरपालिका . .	१९९३
१३९७	बीज निगम .	१९९३
१३९८	खाद्यान्नों के नियंत्रित मूल्य	११९३–९४
१३९९	वन विभाग, त्रिपुरा. .	१९९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९९४–९५

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के लिये दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक संबंधी प्राक्कलनों की एक प्रति।

मंत्रियों का वक्तव्य १९९५

(१) खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने आंध्र प्रदेश में शीरे के भाव में गिरावट के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(२) निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) ने मैसर्स अरियन्ट फायर वर्क्स समवाय, बारासारा, जिला २४ परगना के आतिशबाजी के सामान के कारखाने के उत्पादन शैड में ६ मार्च १९६१ को हुये विस्फोट के बारे में एक वक्तव्य दिया।

राज्य सभा से सन्देश १९९५

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा १ मार्च १९६१ को पारित किये गये विनियोग विधेयक, १९६१ के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयक—पुरःस्थापित . . १९९६

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६१

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प . .	१९९६—२००६
८ मार्च १९६१ को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा आरम्भ हुई। संशोधन अस्वीकृत हुये। संकल्प स्वीकृत हुआ।	
उड़ीसा के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९६०–६१ . .	२००७—२२
वर्ष १९६०–६१ के लिये उड़ीसा राज्य संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुये और मांगें स्वीकृत हुईं।	
अनुदानों की मांगें रेलवे, १९६१-६२ . . .	२०२३—६०
वर्ष १९६१–६२ के आय व्ययक (रेलवे) के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या १ पर चर्चा आरम्भ हुई। मांग संख्या १ के बारे में २३६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	

शुक्रवार, १० मार्च १९६१/१९ फाल्गुन १८८२ (शाक) के लिये कार्यावलि—

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६१ पर विचार और पारित किया जाना।
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९६१–६२ पर और आगे चर्चा।
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार।

GIPND—LS III 2262 (Ai) L.S.D. 10-4-61—125.